खण्ड-359, अंक-3
सोमवार, 18 माघ, शक संवत् 1904
(7 फरवरी, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 359 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	77–81
प्रश्नोत्तर	82–156
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	156–157
जिला बरेली, तहसील फरीदपुर क्षेत्र के गन्ना किसानों का गन्ना न क्रय किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	157
शुगर मिल मालिकों द्वारा गन्ने की ढुलाई की दर में वृद्धि किये जाने के संबंध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	158
मथुरा जनपद के ईंट भट्ठा मालिकों के शोषण के खिलाफ मजदूरों के चल रहे अनशन व हड़ताल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	158–159
गत शीत लहर से हुई जन धन की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	159
सरकार के परस्पर विरोधी वक्तव्यों से उत्पन्न सदन के कार्यक्रम में अनिश्चितता के संबंध में औचित्य का प्रश्न	159–162
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1982 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उस पर कृत कार्यवाही का विवरण	163
नियम 301 की सूचनाओं के उत्तर समय से न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	163–165
उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (1981–82) का दशम प्रतिवदन (सदन के पटल पर रखा गया)	165
हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री गुलाब सेहरा के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	165–166
श्री एस0डी0 बागला, आयुक्त इलाहाबाद मण्डल के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	167–168
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के निर्णय शीघ्र दिये जाने की मांग ..	168–170
श्री खैरुल बशर के दल परिवर्तन किये जाने की सूचना	170
गढ़वाल विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	170–171
अवध विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करन के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (जारी)	171
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	172–177
आज सदन में श्री धनी राम वर्मा द्वारा किये गये व्यवहार की निन्दा एवं खेद प्रकाश	177–185
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	185–187
अवध विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	187
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	187–188
सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना	188
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	188–200
सदन में पर्चे फेकने की घटना के संबंध में कार्यवाही	201
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	201
नत्थियां	202–216

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 7 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 361

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोण्डा
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अनवार मोहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
उदल, श्री	वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री	एटा
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव

गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चन्दर सिंह, श्री	मेरठ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदी लाल, श्री	गोण्डा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़

दाभोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
धूप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़

प्रताप नारायण द्विववेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलंद शहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बुद्ध पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा0	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूपसिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
मंडलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्नी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल दहेलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़

राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरायण सिंह (एडवोकेट), श्री	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, (उर्फ मणि जी)	इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमारी तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भू नाथ, श्री	आजमगढ़

शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बांदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर — कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री — अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर — पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री — नैनीताल
सन्त बक्स रावत, श्री — लखनऊ
संतोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
साहब सिंह, श्री — गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री — शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता, श्रीमती — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सुल्तानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री — बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपुर
हंस राज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री — बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री — उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया
हरि सिंह, श्री — बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर
हरीशंकर, श्री — हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री — मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 7 फरवरी, 1983

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनता इण्टर कालेज, अहिरौला, आजमगढ़ के अध्यापकों की जी0पी0एफ0 की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा न किये जाने के विरुद्ध जांच

*1—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनता इण्टर कालेज, अहिरौला, आजमगढ़ में अध्यापकों के वेतन से काटी गयी जी0 पी0 एफ0 की लगभग तेईस हजार सात सौ पैंसठ रुपए की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा नहीं है? इसके अतिरिक्त जी0 पी0 एफ0, वेतन भुगतान, शुल्काय आदि में भी भारी गोलमाल के सम्बन्ध में विद्यालय के अध्यापकों द्वारा एक जनवरी, 1982 में कोई मांग पत्र शासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया था तथा 16 जनवरी से 27 जनवरी तक कलम-बन्द हड़ताल जारी रखी गयी? यदि हां, तो प्रमुख मांगें क्या हैं? इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी? जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां। रु0 22770-57 की धनराशि जमा नहीं की गई।

जी हां।

जांच सह जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा की गई।

आरोप प्राग् दर्शन सत्य पाये जाने पर, जांच अधिकारी द्वारा कोतवाली, आजमगढ़ में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं लिपिक को निलम्बित कर दिया गया।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह प्रश्न पिछले सदन में स्थगित हुआ था आज पुनः आया है। इसके तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा स्वीकार किया है कि जी0 पी0 एफ0 का 22770-57 की धनराशि जमा नहीं हुई। दूसरे हिस्से में था जी0 पी0 एफ0 वेतन भुगतान में गोलमाल है, इसमें जांच के क्या निष्कर्ष निकले ? इसमें भारी पैसे का गबन किया गया है। एक साल में इसमें क्या जांच हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, शिक्षकों का आवेदन पत्र आया था कि जी0 पी0 एफ0 में 23 हजार 557 रुपये 57 पैसे का गोलमाल है इसके अतिरिक्त आया था कि 1978 से भविष्य निधि का पैसा कर्मचारियों के वेतन से काट लिया गया लेकिन वह एकाउन्ट में जमा नहीं किया गया। इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि 22 हजार 770 रुपये की धनराशि जमा नहीं की गई है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जी0 पी0 एफ0 के सम्बन्ध में जांच हुई नहीं दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जनवरी, 82 में एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी थी उस पर आज तक कोई कार्यवाही हुई या ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है?

श्री अध्यक्ष–

यह आक्षेप हैं ऐसा नहीं कह सकते ।

श्री पंचानन राय–

इसको मैं वापस लेता हूं । एफ0 आई0 आर0 में क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूं कि इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं डाला गया है, मामले की जांच हो रही है। इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य को निलम्बित कर दिया गया है। पूरी कार्यवाही की जायेगी और दोषी व्यक्ति को सजा दी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन–

अध्यक्ष महोदय, निलम्बन की कार्यवाही तो विभागीय कार्यवाही है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एफ0 आई0 आर0 जनवरी, 82 में लिखी गयी उसके आधार पर आज तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की और न ही की तो क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इस विषय में पुलिस छानबीन कर रही है जो तथ्य सामने आयेंगे उसके आधार पर दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाई जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

आपने गबन के मामले में एक को निलम्बित किया और एफ0 आई0 आर0 पुलिस में लिखा दी गई। तो जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी, वह क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 की सूचना आपको दे दी जायेगी।

श्री ऊदल–

प्रधानाचार्य के अलावा और कौन-कौन लोग दोषी इस सम्बन्ध में पाये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अभी तक तो प्रधानाचार्य और लिपिक ही दोषी पाये गये। भविष्य में अगर और कोई दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, सह विद्यालय निरीक्षक से जांच करायी गयी और वही कन्ट्रोलर हैं और जी0 पी0 एफ0 और सी0 डी0 एस0 तथा शुल्क आय के रख रखाव का वही अधिकारी है। तो जो जिम्मेदार हैं वही जांच अधिकारी हैं। पूरा एक साल हो गया, कार्यवाही हुई नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप आश्वासन देंगी कि इसमें अन्तिम कार्यवाही कितने दिनों में पूरी करा दी जायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

आर्य कन्या जूनियर हाई स्कूल डोईवाला (देहरादून) की अध्यापिकाओं को क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान

*2–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या जूनियर हाई स्कूल डोईवाला (देहरादून) जो शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई

स्कूल है, को वर्ष 1979-80 के अन्तिम त्रैमास से अब तक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं के लिये क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं मिला है जिसके कारण अध्यापिकाओं को गत चार मास से वेतन का भुगतान नहीं हो सका है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी अविलम्ब अवशेष क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान कराने का आश्वासन देंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

6 से 8 तक की कक्षाओं का वर्ष 79-80 से वर्ष 81-82 तक की अवधि का क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान प्रश्नगत विद्यालय को किया जा चुका है।

अध्यापिकाओं को वेतन मिलने में कुछ विलम्ब हुआ था क्योंकि अनुदान की मांग निर्धारित प्रपत्र पर समयान्तर्गत नहीं भेजी गई थी। वर्ष 81-82 के बाद क्षतिपूर्ति अनुदान के भुगतान समय से कराने के निर्देश शिक्षा निदेशक को भेज दिये गये हैं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि अनुदान मांगने की निर्धारित तिथि क्या थी और कब विद्यालय की ओर से अनुदान मांगा गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अनुदान की मांग तो की गई थी फरवरी, 81 और फरवरी, 82 में । उसमें पहले 81-82 में अनुदान की मांग की गयी थी। निदेशालय द्वारा आपत्ति यह की गई थी कि निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति की मांग की जाये। इसको निर्धारित प्रपत्र में लिखा दिया जाये बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।

श्री हरगोविन्द वर्मा–

मान्यवर, 81 और 82 का जो मांग पत्र था उसमें जो 81 और 82 के लिए लिखा गया वह अलग-अलग लिखा गया था?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां, अलग-अलग लिखा गया था। मान्यवर, आपको पैसा तो दे ही दिया गया है। आप तो लखनऊ में रहते हैं। तो आपको आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से ।

नरेन्द्र देव इण्टर कालेज, जलालपुर को हरिजन रिइम्बर्समेन्ट स्वरूप स्वीकृत हुई पूरी धनराशि को जमा न किये जाने के विरुद्ध जांच

*3–श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में जिला फैजाबाद की जलालपुर स्थित नरेन्द्र देव इण्टर कालेज को किन-किन वर्षों में कितना-कितना धन हरिजन रिइम्बर्समेन्ट स्वरूप मिला है और गत पांच वर्षों में वर्ष अनुसार कितना-कितना धन वेतन एकाउन्ट एवं प्रबन्धक एकाउन्ट में जमा हुआ? क्या यह सही है कि उपरोक्त प्राप्त धन नियमानुसार संबंधित खातों में जमा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हरिजन रिइम्बर्समेन्ट स्वरूप इस विद्यालय को निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत

हुई :–

वर्ष	धनराशि
1976-77 में	रु0 7875-66
1977-78 में	रु0 7661-07
1978-79 में	रु0 9357-17
1979-80 में	रु0 3196-18
1980-81 में	रु0 3525-57

इनमें से वेतन संदाय खाते में वर्ष 1976-77 में रु0 9010-87 तथा वर्ष 1978-79 में रु0 8234-40 की धनराशि जमा की गई।

विद्यालय के कार्यालय में प्रधानाचार्य पद के दावेदार दो व्यक्तियों के ताले लगे होने तथा अभिलेख उपलब्ध न हो सकने के कारण अन्य धनराशियों के जमा होने की स्थिति ज्ञात नहीं है। जब तक अभिलेख उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक धन न जमा करने का दायित्व निर्धारित करना व कार्यवाही करना भी सम्भव नहीं है।

श्री नन्द किशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि वर्ष 76-77 में 9010-87 पैसे की धनराशि जमा की गयी जबकि 7875 रुपये ही आये हैं। यह मनमाने आधार पर जवाब बनाकर दे दिया गया है। मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जांच करने वाले अधिकारी कौन है ? आप कहते हैं कि हम निर्धारित नहीं कर पायेंगे कि कौन-कौन तथा किसने कितना-कितना गड़बड़ किया है। मैं जानना चाहता हूं कि अधिकारी का नाम क्या है। इतना बड़ा गबन है, 22-23 हजार का मामला है, कब तक सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, आपके माध्यम से विधायक महोदय को यह सूचित करना चाहती हूं कि हमने इस सम्बन्ध में बड़ी कड़ी कार्यवाही की ।

(हंसी, 'कहां की' की आवाजें)

कबीर साहब ने कहा है–

धीरे धीरे चल मना धीरे धीरे सब कुछ होय।

(हंसी)

अथराइज्ड कंट्रोलर अप्वाइंट हुआ 82 में। लेकिन 24-4-82 को कोर्ट का स्थगन आदेश आ गया। मान्यवर, मा0 न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना मेरे बस का तो है नहीं । कंट्रोलर को हटा दिया गया । फिर से मैनेजर आ गये। झगड़ा दो पार्टीज का है। जिस प्रिन्सिपल के विरुद्ध आरोप थे उनको कंट्रोलर ने हटा दिया था। फिर से प्रबन्धक महोदय न्यायालय के आदेश के अनुसार विराजमान हो गये साथ ही साथ प्रिन्सिपल को भी ले आये। दो का ताला पड़ा हुआ है, न्यायालय में लड़ रहे हैं। वहां का फैसला होने के उपरान्त बस कार्यवाही यूं (चुटकी बजाते हुए) होगी, बस।

(हंसी)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, इस प्रदेश का शासन हरिजनों के नाम पर हो रहा है परन्तु निहित स्वार्थी व्यक्ति सब खा जाते हैं। इससे गम्भीर सवाल मान्यवर, कोई नहीं हो सकता। मान्यवर, इस प्रकार की अनियमितताओं के लिये प्रबन्धक को

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सस्पेंड किया जाना चाहिये, जो नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में शासन को अधिकार है अथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त करने का, जो आज तक नहीं किया गया। अनधिकृत व्यक्ति ने सारे रिकार्ड पर ताला लगा रखा है, जो स्वीकार भी किया गया। लड़कों को असुविधा हो रही है। शासन को मजिस्ट्रेट लेकर ताला तुड़वा देना चाहिए था, नहीं तुड़वा सके। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि स्कूल में अनधिकृत व्यक्ति ने ताला लगा रखा है जिसको मान्यता नहीं है। कोर्ट के आदेशों के मुताबिक शासन को ताला खुलवाकर वैध प्रधानाचार्य से कार्य करवाने में क्या परेशानी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मामला वास्तव में गम्भीर है और यह प्रश्न पैसा का ही नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का भी प्रश्न है। जब दो ताले लगे हुये हैं, दो प्रधानाचार्य हैं तो पठन पाठन में असुविधा हो सकती है। लेकिन मैं विधायक महोदय को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि शीघ्र ही न्याय के अन्तर्गत जो भी हमारी कार्यवाही हो सकेगी, भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उस विद्यालय में पठन पाठन दोनों रुके हैं, जैसा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है, तो न्यायालय में स्थगनादेश कब तक के लिये है और विभाग उसमें अपनी तरफ से क्या करने जा रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में है और उसमें उचित कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय के आदेशानुसार तुरन्त कार्यवाही करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं, लेकिन पठन पाठन बंद नहीं है उसमें असुविधा हो सकती है, यह मैंने कहा है।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस महान विद्यालय में प्रबंधक और उप प्रबंधक कौन हैं उनके नाम बता दें?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रबंधक और उप प्रबंधक के नाम ही नहीं बल्कि पूरी लिस्ट प्रबंधक समिति की आपकी सेवा में शीघ्र ही प्रेषित कर दी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन–

प्रश्न का उत्तर मान्यवर, अभी नहीं आया है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर ठीक से दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यदि आपके पास सूचना नहीं है तो आप नोटिस मांग लें।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

उत्तर मंत्री जी न दे सकें तो प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इसकी सूचना दे दी जायेगी और प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न नहीं है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि उस विद्यालय में ताला लगा हुआ है। वहां पर 2 प्रबन्धक हैं और दो प्रधानाचार्य हैं तो उनके नाम बताने की कृपा करें ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे शिक्षा मंत्री को सदन से त्यागपत्र दे देना चाहिये। मंत्री जी जानकर भी नाम नहीं बता रही हैं।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो वहां प्रबन्धक हैं वह मंत्रि मंडल के भूतपूर्व मंत्री के पिता हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह तथ्य मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि वहां पर दो प्रधानाचार्य हैं और वहां पर ताला लगा है। इसमें से एक प्रधानाचार्य ऐसा है जिसके खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच कराने के बाद एफ0 आई0 आर0 लार्ज करायी थी और वह जमानत पर छूटा है। तो वह प्रधानाचार्य कौन है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जो प्रधानाचार्य प्रबंधक समिति ने बनाया था उनका नाम है श्री सूर्य नारायण लाल श्रीवास्तव। लेकिन उनके विरुद्ध अनियमितताएं होने के आरोप थे इसलिये उनको हटाकर श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह को प्रधानाचार्य के पद पर नियंत्रक ने एप्वाइंट किया और वह कार्य करने लगे। लेकिन कोर्ट के आर्डर से प्रबन्धक समिति वहां पर फिर विराजमान हो गयी और उसने श्री सूर्य नारायण लाल श्रीवास्तव को फिर से वहां पर कार्यभार सौंप दिया ।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मैंने पूछा था कि इन दोनों प्रधानाचार्यों में से एक के विरुद्ध एफ0आई0आर0 लाज है और वह जमानत पर छूटा है तो वह कौन है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इसकी मुझे सूचना नहीं है कि कोई उनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 है। मैं यह मालूम कर लूंगी कि उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 है या नहीं?

श्री पंचानन राय–

किसी विद्यालय में नियमित प्रधानाचार्य एक ही हो सकता है। दो का सवाल नहीं है। इसमें से किसी को प्रधानाचार्य के रूप में मान्यता प्रदान की गयी होगी। प्रधानाचार्य वह होगा जिसको शिक्षा विभाग मान्यता दे रहा होगा। वह प्रधानाचार्य कौन है? उसको स्कूल में काम करवाने में शासन को क्या कठिनाई हो रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जब कोई सूची में वरिष्ठ होता है तो उसी प्वाइंट आफ व्यू से एप्वाइंट किया जाता है। लेकिन प्रबंधक ने इस सूची को एक तरफ रखकर कनिष्ठ जो थे श्री सूर्य नारायण लाल श्रीवास्तव उनको कार्यवाहक प्रिंसिपल बनाया। नियंत्रक ने उनको हटाकर ज्येष्ठता सूची के अनुसार श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह को प्रधानाचार्य के पद का कार्यभार ग्रहण करवाया। इसी का झगड़ा है। जो हमारा विभाग है उसने श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह के नाम को माना है।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, यह प्रश्न भ्रष्टाचार से संबंधित है। क्या मा0 मंत्री जी देश की प्रधान मंत्री ने जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध शासन की ओर से तथाकथित अभियान चलाया है, उसको ध्यान में रखते हुए. . . .

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रियासत हुसैन–

मैं उन पर कोई आक्षेपात्मक बात नहीं करने जा रहा हूं उन्होंने जो एक अभियान चलाया है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या आप इस समय वहां पर जो मैनेजर है, उसका नाम और उसके द्वारा प्रिंसिपल व अन्य लोगों के द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उन सब के नाम सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, उस प्रबंधक के खिलाफ हम कार्यवाही पहले ही निलम्बन की कर चुके है, परन्तु जो न्यायालय का स्थगन आदेश है, उसका पालन तो हमें करना ही है और जो माननीय प्रधान मंत्री के आदेशों के तहत कार्यवाही करने की बात है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसका अनुकरण करने में मान्यवर, हम सबसे आगे है।

[दिनांक 7 फरवरी, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद हरदोई के बेसिक विद्यालय में अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति में अनियमितताये

*1–श्री राम आसरे पासवान (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरदोई के बेसिक विद्यालय में सन् 1981 में बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापिकाओं/अध्यापकों से नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र मांगे गये थे? क्या यह सही है कि उक्त आवेदकों से 1972-73 में ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों की न नियुक्ति कर उसके बाद वालों को नियुक्त किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी इसकी जांच कर अनियमित नियुक्तियां निरस्त कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। जांच में इस प्रकार की अनियमितताये सामने आयी है। जांच आख्या के आधार पर अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किये जाने तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जा रहे है।

ग्रामीण आबादी क्षेत्र में खड़ंजा कार्य हेतु दिये गये निर्देश

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पंचायतीराज मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी0 एल0 डिस्ट्रिक्ट गांव फण्ड के संदर्भ में खड़ंजा कार्य हेतु इस वर्ष शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि 25 प्रतिशत जमा करने पर 75 प्रतिशत शासन का योगदान दिया जायगा? यदि हां, तो 25 प्रतिशत जमा कराये जाने का औचित्य क्या है?

पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

शासनादेश संख्या 7020/38-7-82, दिनांक 12 जनवरी, 1983 के द्वारा जारी पुनरीक्षित स्वीकृति के अनुसार ग्रामीण आबादी क्षेत्र में खड़ंजा लगवाने के लिए गांव सभाओं द्वारा अंशदान नहीं लगाया जाना है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हमारा जो प्रश्न था, वह ग्राम्य विकास की मुख्य कड़ी के रूप में था। पहले ग्राम्य के विकास को ध्यान में रखते हुए यह प्राविधान किया गया था कि 25 प्रतिशत तो खड़ंजे आदि की व्यवस्था के लिए गांव सभाओं को अपनी ओर से इंतजाम करना पड़ता था और 75 फीसदी शासन की ओर से अंशदान किया जाता रहा है, लेकिन मा0 मंत्री जी ने जिस शासनादेश का अभी जिक्र किया है, उसके अन्तर्गत इस प्राविधान को खत्म कर दिया गया, इसलिए मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अब ग्राम्य विकास को ध्यान में रखते हुए कोई दूसरे विकल्प का प्राविधान किया गया है?

श्री बलराम सिंह यादव–

अधिकतर गांव सभाएं ऐसी हैं, जिनके पास अपने संसाधन नहीं हैं। इस ओर पहले यह होता था कि 25 प्रतिशत गांव सभाएं अपना इंतजाम करती थीं और 75 प्रतिशत शासन की ओर से, परन्तु अब यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार से जो धनराशि मिलती है उसमें से 50 प्रतिशत तथा 50 फीसदी धनराशि प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण आबादी क्षेत्र में खड़ंजा आदि लगवाने के अंशदान दिये जायेंगे जिससे गांव सभाएं सुगमता पूर्वक अपने विकास कार्य को करवा सकें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहूंगा कि जिस समय यह पहला वाला प्राविधान लागू था जिसे अब निरस्त किया गया है क्या उस समय प्रदेश के तमाम विकास खण्डों में से किन्हीं विकास खण्डों से उनके ग्रामीण आबादी क्षेत्र में खड़ंजा आदि लगवाने की बात चल रही थी और उसके प्रस्ताव भी शासन के समक्ष आये थे? यदि हां, तो उनकी स्थिति अब क्या है? जो प्रस्ताव उस समय विकास खण्डों की ओर से बन गये थे, क्या उन प्रस्तावों को यथावत् मानेंगे या नहीं?

श्री बलराम सिंह यादव–

जो प्रस्ताव भेजे गये हैं, उन प्रस्तावों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा मा0 मंत्री जी ने कहा कि प्रस्तावों पर विचार किया जायगा, तो हमारे अपने जिले में बहुत सी गांव सभायें ऐसी हैं, जहां प्रस्ताव के साथ-साथ उनके खजाने में 1/4 धनराशि भी जमा कर दी गयी है, क्या मा0 मंत्री जी, जिन गांव सभाओं ने रुपया जमा कर रखा है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर खड़ंजा लगवायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव–

आपके सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

श्री विजय सिंह राना–

उत्तर प्रदेश के अन्दर कितनी गांव सभायें ऐसी हैं, जिन्होंने 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के बाद खड़ंजा लगाने की मांग की है? हमारे जिले में आज तक यह काम नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये।

श्री बलराम सिंह यादव–

माननीय सदस्य, यह प्रश्न बहुत विस्तृत है। माननीय सदस्य इसके उत्तर के लिये अलग से प्रश्न कर लें।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जैसा कहा कि वह 25 प्रतिशत समाप्त कर दिया गया है और गांव सभाओं को अंशदान नहीं देना है, मेरी जानकारी है कि हमारे विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी प्रधानों से कह रहे थे कि आप लोग अपना अंशदान जमा कर दें तो हम रुपया देंगे। क्या आपका यह अंशदान न लेने संबंधी आदेश ब्लाकों में पहुंच गया है और क्या जो रुपया जमा कर दिया गया है, उसे वापस कर देंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

जो रुपया जमा कर दिया है, उसको वापस करने का प्रश्न नहीं है। जब ग्राम पंचायत काम करायेगी, तब यह रुपया उनको रिलीज कर दिया जायगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मेरे यहां तमाम ग्राम सभाओं ने ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिये हैं कि यदि उनके यहां खड़ंजे का कार्य किया जाय तो जो श्रम लगेगा, उसकी व्यवस्था ग्राम सभायें अपनी तरफ से करने के लिये तैयार हैं, तो क्या ऐसी ग्राम सभाओं में खड़ंजा लगाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर लेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

बरेली मंडल में कृषि संकाय में उच्च शिक्षा की सुविधा पर विचार

*3–श्री चेतराम गंगवार–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बरेली मण्डल के किसी भी डिग्री कालेज में कृषि विषय को लेकर उच्च शिक्षा प्रसार का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मन्त्री जी कृषि विज्ञान में बरेली नगर में एक डिग्री कालेज सरकारी स्तर पर चलाने हेतु आवश्यक आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

बरेली मंडल में किसी भी कालेज में कृषि संकाय में उच्च शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं है किन्तु रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आर0 एस0 एम0 कालेज, धामपुर (बिजनौर) में कृषि संकाय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बरेली में निकटवर्ती क्षेत्र पंतनगर में कृषि विश्व-विद्यालय में उक्त शिक्षा की सुविधा सुलभ है।

कृषि संकाय के साथ डिग्री कालेज खोले जाने की शासन की नीति नहीं है ।

अतएव बरेली नगर में कृषि संकाय के साथ सरकारी कालेज की स्थापना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, सवाल दीगर और जवाब दीगर। मैं यह नहीं पूछ रहा कि बिजनौर या नैनीताल में कोई डिग्री कालेज है या नहीं, वह तो है ही । मैं यह जानना चाहता हूं कि बरेली डिवीजनल हैडक्वार्टर पर क्यों नहीं है? जो यह बिजनौर का नाम ला दिया, तो वह किसी नीति के अन्तर्गत खुले हुए थे और आज यह परिवर्तन क्यों कर दिया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय गंगवार अपना प्रश्न स्पष्ट कर दें ।

श्री चेतराम गंगवार–

क्या माननीया शिक्षा मन्त्री ऐसी नीति निर्धारित करेंगी जिससे बरेली मण्डल में कृषि की शिक्षा जारी की जा सके ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

माननीय मैंने तो माननीय विधायक महोदय के प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया कि वहां पर बरेली में कृषि महाविद्यालय या कृषि संकाय को खोलने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कोई नया कृषि कालेज नहीं खोला जायेगा । तो मेरा कहना है कि रामपुर में दो पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हैं तो बजाय इसके कि नया कालेज खोला जाय, क्या मंत्री जी इन्हीं कालेजों में कृषि को एेज ए सब्जेक्ट बढ़ायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इस समय यह मामला शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री चेतराम गंगवार–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कृषि संकाय डिग्री कालेज खोले जाने के बारे में जो उन्होंने बताया कि नीति नहीं है तो जिन दिनों में बिजनौर या दूसरे डिवीजनों में यह कालेज खोले गये थे और बाद में जो और कालेजों के न खोलने के बारे में निर्णय लिया गया तो उसका शासनादेश क्या है और उसकी संख्या क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इसमें ऐसा हुआ कि पहले महाविद्यालयों में कृषि को मान्यता दी जाती थी । जिसके अन्तर्गत आज हमारे 23 डिग्री कालेज हैं, जिनमें कृषि की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अतिरिक्त आज हमारे उत्तर प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एग्रीकल्चर या कृषि की ही ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कानपुर, फैजाबाद तथा पन्तनगर, यह यूनिवर्सिटीज केवल कृषि के ही लिये हैं । कुछ अरसा हुआ श्री डी0 पी0 सिंह, वाइस चान्सलर जो पन्तनगर के थे, तो जब कमेटी एप्वाइन्ट हुई तो उसमें यह बात आयी कि किस प्रकार से कृषि में सुधार किया जाय, तो उनका यह मत था कि कृषि की ट्रेनिंग जो अलग-अलग कृषि विद्यालयों में होती है उसका समुचित रूप से लाभ प्राप्त हो सके इसलिये इन यूनिवर्सिटीज का विकास करने के लिये उपयुक्त होगा कि इन तीन विश्व-विद्यालयों के अन्तर्गत ही भविष्य में कृषि की ट्रेनिंग होनी चाहिए ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम यह बात कहते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां की अधिकांश जनता कृषि पर ही आधारित है परन्तु आम जनता को कृषि की शिक्षा कालेजों में नहीं दी जा सकती है । मैं चाहता हूं कि प्राइमरी से ही कृषि विषय की शिक्षा खोल दी जाय ताकि बच्चों को कृषि के बारे में ज्ञान हो । जिनके पास धन है या सुविधायें हैं वे तो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में भेज कर कृषि की शिक्षा दिला पायेंगे परन्तु यदि स्कूलों में भी कृषि विषय की शिक्षा दी जाने लगे तो इस विषय का ज्ञान पूरी जनता को हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये । मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं क्योंकि आपका प्रश्न बहुत व्यापक है।

श्री चेतराम गंगवार–

जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, तो इस नीति को दृष्टिगत रखते हुए कि शिक्षा सस्ती हो, क्या बरेली डिग्री कालेज में कृषि की शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जहां तक विश्वविद्यालय रूहेलखण्ड का सम्बन्ध है, उसके विषय में, चूंकि वह एक स्वायत्तशासी संस्था है आपका जो सुझाव है उसके सामने रख दिया जायेगा । आगे जैसा विश्वविद्यालय की आज्ञा होगी ।

शिशु मन्दिर जूनियर हाई स्कूल गोसाईगंज, जिला लखनऊ के अध्यापकों की समाप्त सेवाएं

*4–श्री सन्त बक्स रावत–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थायी मान्यता प्राप्त शिशु मन्दिर जूनियर हाई स्कूल गोसाईगंज, जिला लखनऊ में कार्यरत अनेक स्थायी कर्मचारियों की सेवाएं दिनांक 20-5-81/25-5-81 को समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कार्यवाही शासनादेश संख्या 8314/15(6)–9(7)–73, दिनांक 1 अगस्त, 1977 के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अध्यापकों की पूर्ववत् नियुक्ति के आदेश जारी करने तथा विद्यालय के प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत विद्यालय के तीन अध्यापकों की सेवायें प्रबन्धक द्वारा 20-5-81 को समाप्त की गई थीं । इन अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा आदि आरोप थे ।

संदर्भगत राजाज्ञा केवल प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों पर लागू होती है । इस राजाज्ञा का जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अत: उपर्युक्त राजाज्ञा के अन्तर्गत सम्बन्धित अध्यापकों के बारे में विद्यालयों के प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सन्त बक्स रावत–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि सन्दर्भित अध्यापकों के विरुद्ध क्या कर्तव्यहीनता या कर्त्तव्य के प्रति उपेक्षा के आरोप थे, इसको बताने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

उनके विरुद्ध प्रबन्धक ने अनुशासन के आरोप लगाये थे, लेकिन मान्यवर, उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी की बिना आज्ञा के उनको निलम्बित कर दिया । सन् 1978 की राजाज्ञा है कि जो जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निलम्बन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उसके अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी की बिना आज्ञा के प्रबन्धक अपने अध्यापकों को निलम्बित नहीं कर सकता है और उसके सम्बन्ध में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उन्होंने उनको नोटिस दिया था कि यह जो आपने कार्य किया है यह अवैधानिक है और तुरन्त उन अध्यापकों को आप वापस ले लीजिए ।

(प्रश्न संख्या-5 पुकारे जाने पर)

श्री सन्त बक्स रावत–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कम से कम एक प्रश्न तो और कर लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं। अगला प्रश्न मैंने पुकार लिया है।

प्रदेश में गेहूं बीज की व्यवस्था तथा वितरण

*5–श्री हुकम सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल, मई, 1982 में आकस्मिक वर्षा के कारण अधिकांश गेहूं खलिहान में ही भीग गया था, जो बोने के योग्य नहीं रहा? यदि हां, तो शुद्ध बीज के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)–

जी हां।

वर्ष 1982-83 में विभिन्न बीज वितरण संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में 30,30,00 क्0 गेहूं बीज की व्यवस्था की गई।

श्री हुकम सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्या है और मा0 मंत्री जी उत्तर क्या दे रहे हैं। मान्यवर, इस बार वर्षा के कारण अधिकांश गेहूं भीग गया था खलिहान में ही और भीगने के बाद वही बीज 140 रु0 प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीद कर 4-5 रु0 प्रति किलो के हिसाब बेच दिया गया, तो यह तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। आपको व्यवस्था यह करनी थी कि गेहूं कहां से उपलब्ध करायें, कहां से मोल लें और किस भाव पर बेचें?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, खलिहान में गेहूं भीग गया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार ने क्या व्यवस्था की इसका उत्तर मैंने दिया कि गेहूं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से खरीदा गया। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य क्या उत्तर चाहते थे, इसको माननीय सदस्य ने जाहिर नहीं किया। तो मान्यवर, यह विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया गया इसके अतिरिक्त हम कर ही क्या सकते थे? अगर कोई सुझाव माननीय सदस्य देंगे तो उस पर विचार किया जा सकता है। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि टी0 डी0 सी0 के माध्यम से 15 हजार कि0, कृषि विभाग के माध्यम से 52 हजार कि0, 230 रुपये प्रति कि0 की दर से, राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से 15 हजार 375 रु0 प्रति कि0 की दर से, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम 208 हजार 230 रु0 प्रति कि0 की दर से, प्रगतिशील किसानों से 230 रु0 प्रति कि0 की दर से खरीदा गया।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि गेहूं भीग गया था और उसको प्रोसेस करके आपने विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा बड़ी-बड़ी कीमतों पर किसानों को दिया। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिन कृषकों को आपके विभाग द्वारा वह बीज दिया गया उसके जर्मिनेशन और फील्ड की क्या पोजीशन है? क्या आप इससे सन्तुष्ट हैं कि जिन खेतों में वह बीज बोया है उसका जर्मिनेशन का परसेन्टेज क्या है? क्या आप इसकी जांच करायेंगे?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, न तो इस प्रकार की कोई शिकायत आयी और न इसकी कोई जांच कराई गई। मैं सम्मानित सदन को यह बतलाना चाहूंगा कि इस बार रबी की फसल जितनी अच्छी है ऐसी इससे पूर्व के सालों में नहीं देखी गई।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मैं सूक्ष्म में दूसरा सवाल कर रहा

हूं। एफ 0 सी0 आई0 ने जो गेहूं क्रय किया वह 140 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से किया और आपने बताया कि उसी गेहूं को उसी एफ0 सी0 आई0 ने 230 रुपये क्विंटल के रेट से किसानों को दिया। इसका क्या औचित्य था?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य भी एक किसान हैं 140 रुपये क्विंटल अगर सम्मानित सदस्य के यहां कृषि मंत्री खरीदने के लिये जाते तो वह न मालूम क्या भाव देते ? यह तो एफ0 सी0 आई0 ने 140 रुपये क्विंटल लेकर अपना खर्चा-वर्चा लगाकर भाव तय किया, उसके आधार पर हमने कृषकों को सप्लाई किया। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

लालबाग एजूकेशनल सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय तथा शिक्षकों का निर्धारित वेतनमान

*6–श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री प्रदीप कुमार यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि लालबाग एजूकेशनल सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे प्रथम चार विद्यालयों को शासन द्वारा कब और किन शर्तों पर मान्यता दी गयी है? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि इन विद्यालयों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षकों को स्वीकृत वेतनमान व अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं? यदि हां, तो प्रबन्धक तन्त्र के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अब उपलब्ध सूचना के अनुसार लालबाग एजूकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित तीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गयी है:–

(i) लालबाग गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ
(ii) लालबाग सिटी नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, लालबाग, लखनऊ
(iii) लालबाग प्राइमरी स्कूल (अब मिस डेविड प्राइमरी स्कूल, लालबाग)

ऊपर क्रमांक 3 पर उल्लिखित विद्यालयों को वर्ष 1953 में स्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी। इसकी मान्यता की स्वीकृति के पत्र में किसी पूर्ति का उल्लेख नहीं है। परन्तु इस हेतु शासन द्वारा निर्धारित शर्तें इस विद्यालय पर लागू होती है।

अन्य दो विद्यालयों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रबन्धाधिकरण द्वारा लालबाग प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान/महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इस अनियमितता को समाप्त न करने पर विद्यालय को मान्यता वापस लेने की कार्यवाही करने के निर्देश शिक्षा निदेशक को दे दिये गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीया मंत्री जी यह बतायेंगी कि लालबाग प्राइमरी स्कूल को मान्यता कब दी गयी और क्या यह उनकी जानकारी में है कि मिस डेविड नाम से जो स्कूल चल रहा है इस नाम से कब मान्यता दी गयी और उस नाम को बदलने की सूचना कब दी गयी? रजिस्ट्रार आफिस में बताया गया या नहीं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राइमरी सेक्शन लालबाग गर्ल्स स्कूल नाम से मान्यता 19-1-53 में दी गयी है जिसकी शब्दावली इस प्रकार है:–

विथ रिफरेन्स टू लेटर डेटेड 27-12-54 फारवर्डिंग देयरविथ दि रिकग-नाइजेशन अप्लीकेशन आफ दि एबव स्कूल आई हैव दि आनर टू एकार्ड दि परमानेन्ट रिकनाइजेशन टू दि एबव स्कूल विथ दि इफेक्ट फ्राम जुलाई, 1953।

श्री अध्यक्ष–

इसका हिन्दी अनुवाद कर दीजिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

लालबाग गर्ल्स स्कूल, लखनऊ के मान्यता के संबंध में जो प्रार्थना-पत्र है उसके संदर्भ में जुलाई, 1953 से स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

मै0 रैलीज इंडिया को दिया गया उर्वरक मिश्रण बनाने का लाइसेन्स

*7–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मै0 रैलीज इंडिया को गत वर्ष बिना नोटीफिकेशन के 12: 32: 0 उर्वरक मिश्रण बनाने का लाइसेन्स दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

क्योंकि उक्त निबंधन प्रमाण-पत्र संख्या 74/94 दिनांक 16-7-81 में ही यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया था कि फर्म उक्त मिश्रण का विक्रय गजट नोटीफिकेशन के उपरान्त ही करेगी।

कृषि निदेशालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चयन हेतु साक्षात्कार

*8–श्री राम लाल वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या कृषि बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-9-91 को कृषि निदेशालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चयन हेतु कोई साक्षात्कार हुआ था? क्या यह सत्य है कि वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी? यदि हां, तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न नियुक्त किये जाने के क्या कारण थे?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

अन्य अभ्यर्थियों के साथ उन सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिन्होंने नियमित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से 18 की नियुक्ति की जा चुकी है।

बाबा राघव दास स्नातकोत्तर कालेज, देवरिया के प्राचार्य व प्राध्यापकों व लिपिकों का निलम्बन

*श्री हरिवंश सहाय–

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघव दास स्नातकोत्तर कालेज, देवरिया के प्राचार्य व दो प्राध्यापकों एवं दो लिपिकों को सितम्बर, 1982 के प्रथम सप्ताह में गबन के आरोप में प्रबन्ध समिति ने निलम्बित कर दिया है? यदि हां, तो आरोप क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

जालसाजी, दूर्विनियोजन तथा एन0सी0सी0 का सामान न वापस करने संबंधी आरोप हैं।

श्री हरिवंश सहाय–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जाल साजी और धन के दुरुपयोग की बात कही यह कितना धन है और किस-किस मद में है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इसमें विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गयी हैं। कुछ एन0सी0सी0 का सामान था वह वापस नहीं किया गया और भी कितने आइटम हैं जिनमें आडिट ने आपत्तियां की हैं उस आडिट रिपोर्ट के अधीन इनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी। कुछ वाउचर्स थे जिनमें से एक में 40 बढ़ा कर 4010 रु0 कर दिया गया, दूसरे में 4282 का गबन है। तीसरे में 4779·80 का गोलमाल है और चौथे में 2080 रु0 का गोलमाल है। इसी तरह से परीक्षा शुल्क में भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। इसी आधार पर मैनेजमेन्ट कमेटी ने 6-9-82 को सस्पेंड कर दिया लेकिन सस्पेंशन आर्डर जब वी0 सी0 के पास गये उनके अनुमोदनार्थ, तो उन्होंने इस निलम्बन को 20-10-82 को इस वजह से निरस्त कर दिया कि प्रिंसिपल, मैनेजिंग कमेटी ने उनको अपनी बात कहने-सुनने का अवसर नहीं प्रदान किया था।

श्री हरिवंश सहाय–

जो रुपया गबन हुआ है, उसकी वसूली के लिए सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वाइस चांसलर ने मैनेजिंग कमेटी को यह आदेश दिया है कि वह तुरन्त ही एक इंक्वायरी कमेटी बिठाकर इसकी जांच करे एवं इसकी रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

*10–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या-17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर एवं देवरिया जनपद में बीज उत्पादन का कार्यक्रम

*11–डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के कार्यक्षेत्र में गोरखपुर एवं देवरिया जनपद हैं? यदि नहीं, तो क्या इन जनपदों में बीज उत्पादन का कार्यक्रम बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

जी नहीं।

इन जनपदों में निगम द्वारा बीज उत्पादन का कार्यक्रम इस कारण बन्द करना पड़ा क्योंकि वहां के कृषकों को निगम के क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद (अयोध्या) में स्थापित बीज संसाधन संयंत्र तक उत्पादित बीज का परिवहन अधिक व्यय असाध्य पड़ता है जिसके फल स्वरूप बीज उत्पादन कार्यक्रम कृषकों के लिये लाभदायक नहीं रह जाता है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि देवरिया व गोरखपुर जनपद के सिसवा क्षेत्र और पडरौना क्षेत्र में उन्नतिशील कृषक निवास करते हैं, तो क्या उनके लिए ऐसी व्यवस्था है कि बीज एवं तराई विकास निगम वहां पर अपनी परियोजना स्थापित करे ?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, संभवतः माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि फैजाबाद में हमारा यह प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है, उसका एरिया सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से एप्रूव्ड होता है। देवरिया और गोरखपुर का वह क्षेत्र उसके एरिया से बाहर है। इसलिए वहां के कृषकों को फैजाबाद से वही सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लेकिन वहां पर हमारा जो सीड प्रोसेसिंग का प्रबन्ध है, उसमें यदि वहां के सीड ग्रोवर्स दिलचस्पी लें और अपने सीड को प्रोसेस्ड कराना चाहें तो वह सुविधापूर्वक करा सकते हैं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि फैजाबाद में पहले बीज एवं तराई विकास निगम सिर्फ फैजाबाद परिक्षेत्र के लिए ही था, लेकिन बाद को उससे बस्ती, गोण्डा व सुल्तानपुर को भी जोड़ा गया, तो क्या इसी आधार पर वह पडरौना में बीज विकास निगम स्थापित करने का कष्ट करेंगे?

श्री यशपाल सिंह–

यह तो संसाधनों पर निर्भर करेगा, यदि सरकार के पास इस प्रकार के संसाधन हो जायेंगे तो हम तो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जहां भी आवश्यकता हो, इस तरह के संयंत्र लगाए जायं।

जनपद फैजाबाद के महिला बी0 एस0 ए0 तथा महिला एस0 डी0 आई0 रखे जाने का औचित्य

*12–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक, अध्यापिकाओं को एक में सम्मिलित करके पढ़ाई की जा रही है? यदि हां, तो अलग से महिला बी0 एस0 ए0 तथा महिला एस0 डी0 आई0 रखे जाने का क्या औचित्य है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

उपर्युक्त व्यवस्था केवल प्राइमरी पाठशालाओं में है। कन्या जूनियर हाई स्कूलों एवं उच्चतर कक्षाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अतएव इन विद्यालयों के प्रभावी निरीक्षण हेतु महिला बी0 एस0 ए0 तथा महिला एस0 डी0 आई0 अलग से रखे जाने का औचित्य है।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राइमरी पाठशालाओं में सहशिक्षा चलाये जाने का

कारण क्या है और जूनियर माध्यमिक और ऊपर के विद्यालयों में न चलाए जाने का कारण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, सहशिक्षा में आपको क्या एतराज है, अगर दोनों विद्यालयों के छात्राओं को छात्र के साथ कर दिया जाय, तो यह तो आपको अप्रिशियेट करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ, अब अल्प सूचित तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षा संघ द्वारा क्रमिक अनशन एवं मांगें

*13–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षा संघ द्वारा विधान भवन के सामने 25-8-82 से 29-8-82 तक क्रमिक अनशन आयोजित किया गया था? यदि हां, तो अनशनकारी शिक्षकों की प्रमुख मांगें क्या थीं? तथा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। शिक्षकों की मांगें और उन पर कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 202–203 पर)

स्कूलों को अनुदान देने का आधार

*14–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में स्कूलों को अनुदान के लिए विकास खण्डों में स्थित विद्यालयों पर औसत जनसंख्या आधार माना गया है? यदि हां, तो इसे समाप्त करके पुरानी प्रक्रिया को लागू करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के विकास खण्ड चौमुहा में मतों की गणना में विलम्ब

*15–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी को जानकारी है कि मथुरा जनपद के विकास खण्ड चौमुहा में पंचायत चुनावों के मत पत्रों की गिनती निर्धारित तिथि 5-6-82 को न कराकर 6-6-82 को विलम्ब से शुरू कराई गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

विकास खण्ड चौमुहा के पंचायत निर्वाचन से सम्बन्धित मतों की गणना हेतु दिनांक 5-6-82 तथा 6-6-82 निर्धारित थी। दिनांक 5-6-82 को मतगणना शुरू होने के समय बहुत भीड़ हो जाने के कारण शान्ति व्यवस्था भंग होने का भय उत्पन्न हो गया था। फिर भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रयास किया गया परन्तु बिगड़ती शान्ति व्यवस्था को देखते हुये पी0 ए0 सी0 ने बिना किसी मजिस्ट्रेट के उपस्थिति हुये सील्ड कमरा खोल देने से इन्कार कर दिया। जिला मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को भेजा गया। अधिक देर होने तथा उपस्थित जन समूह को देखते हुए शांति व्यवस्था के हित में देर से मतगणना प्रारम्भ कराना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं समझा गया।

राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश गढ़वाल, कुमाऊं के मांग पत्र पर दिया गया आश्वासन

*16–श्री कुंवर सिंह नेगी–

विधान सभा में दिये गये आश्वासन संख्या 112 दिनांक 14 सितम्बर, 1977 के अन्तर्गत क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊं के मांग पत्र को जिन मांगों को शीघ्र पूरा करने की उक्त आश्वासन में घोषणा की गयी थी उसमें से कितनी स्वीकृत मांगों के शासनादेश निर्गत हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो इस अनावश्यक विलम्ब का क्या कारण है ? शासनादेश कब तक निर्गत होने की संभावना है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत आश्वासन को समिति ने पूर्ण मान लिया है। अतः विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

सरस्वती पाठशाला इण्डस्ट्रियल इण्टर कालेज, झांसी में अध्यापकों की संख्या हेतु निर्धारित मानक

*17–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरस्वती पाठशाला इण्डस्ट्रियल इण्टर कालेज, झांसी में सत्र 1981-82 में हाई स्कूल की कक्षाओं के 29 सेक्शन चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 22 सेक्शनों को मानक मानकर अध्यापकों की संख्या रखी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत विद्यालय के शैक्षिक सत्र 80-81 में हाई स्कूल की कक्षाओं में छात्र संख्या का ह्रास हो जाने के कारण शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 29 अनुभागों के स्थान पर 22 अनुभाग ही मान्य माने गये थे।

जी हां। उपर्युक्त के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 22 अनुभाग मानकर ही अध्यापकों की संख्या का मानक निर्धारित किया गया।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत उतरौला विधान सभा क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा

*18–श्री मसरूर जाफरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत उतरौला विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्डों में प्रौढ़ शिक्षा के अध्यापकों का चयन किसने किया है और उसका आधार क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत उतरौला विधान सभा क्षेत्र के किसी भी विकास खण्ड में राजकीय एजेन्सी द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। अतः अध्यापकों के चयन का प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाई स्कूल जोगिया, बस्ती को चालू रखने का औचित्य

*19–श्रीमती कमला साहनी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जूनियर हाई स्कूल जोगिया बस्ती में छात्रों की संख्या नगण्य है ? यदि हां, तो विद्यालय चालू रखने का तथा अध्यापकों को वेतन देने का क्या औचित्य है ? क्या उक्त विद्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय बीज भण्डार जोगिया, जनपद बस्ती को बाढ़ से शासकीय क्षति तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*20–श्री श्याम नरायण तिवारी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि बीज भण्डार जोगिया, जनपद बस्ती पर दिनांक 11/12-9-81 को आई बाढ़ से कितने रुपए की शासकीय क्षति हुई है ? क्या यह भी सत्य है कि बाढ़ से सम्बन्धित मूल पत्रावली किसी कर्मचारी के द्वारा गायब कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन जांच कराकर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह–

दिनांक 11-9-81 से 19-9-81 तक राजकीय बीज भण्डार जोगिया जनपद बस्ती बाढ़ से प्रभावित रहा जिसमें अंकन स0 47250·26 पै0 की शासकीय क्षति हुई।

जी हां,

मामले की जांच की जा रही है। जांचोपरान्त दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

न्याय पंचायतों के गठन पर विचार

**1–श्री हरिवंश सहाय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्याय पंचायतों का गठन कब तक कराने का विचार शासन का है? विलम्ब का कारण क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव–

न्याय पंचायतों के गठन के लिये 25 मार्च 1983 से 10 जून 1983 तक कार्यक्रम प्रस्तावित है।

न्याय पंचायतों के गठन में विलम्ब का कारण यह था कि गांव पंचायतों के सामान्य निर्वाचन में कुछ गांव पंचायतों को दो-दो बार अवसर दिये जाने पर भी निर्धारित

संख्या में सदस्यों का चुनाव नहीं हो सका था तथा कुछ गांव पंचायतों में प्रधानों के पद भी रिक्त रह गये थे ।

निर्वाचन निदेशक ने अपने परिपत्र दिनांक 12-17-82 को जिलाधिकारियों को सदस्यों एवं प्रधानों के रिक्त पदों पर पूर्ति नाम निर्देशन करने के निर्देश दिये और तदनुसार नाम निर्देशन कराकर उन पंचायतों का गठन पूरा कराया गया।

न्याय पंचायतों के गठन के पूर्व उप प्रधान का चुनाव कराना भी नियमानुसार आवश्यक था। उप प्रधानों का चुनाव 27-1-83 से 28 फरवरी, 1983 तक पूर्ण हो जायेंगे।

श्री हरिवंश सहाय–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उप प्रधानों का चुनाव 27-1-83 से 28 फरवरी, 1983 के बीच पूरे हो जायेंगे? क्या इसकी प्रक्रिया चालू हो गयी है और कब तक पूर्ण हो जायगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, उप प्रधानों के चुनाव 27-1-83 से शुरू हो गये हैं और 28 फरवरी, 1983 तक पूर्ण कर दिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय गंत्री अपने उत्तर के संदर्भ में यह भी बतायेंगे कि सीतापुर जिले के अन्दर अभी बहुत से ऐसे प्रधान हैं, जिनको अभी शपथ नहीं दिलाई गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उप प्रधानों को शपथ दिलवाने के संबंध में माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, शपथ की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अगर कहीं पर पूर्ण नहीं हुई है और हमको ऐसी सूचना मिलती है, तो उसे तुरन्त पूर्ण करा दी जायगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कुछ ग्राम पंचायतों के प्रधान मर गये हैं, क्या इसकी जांच करा कर, क्या इसी व्यवस्था के बीच, जो आपने अपना समय दिया है कि निश्चित समय के बीच में निर्वाचन करा देंगे, तो क्या उनके स्थानों पर भी निश्चित समय के भीतर निर्वाचन करा देंगे? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने प्रधान हैं, जो मर चुके हैं?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, इस पर भी विचार कर लिया जायगा। प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर शासन अवश्य विचार करेगा।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, अभी बहुत सी जगहों पर, बहुत से प्रधानों को चार्ज नहीं मिले हैं, उनको बस्ता आदि नहीं मिले हैं, क्या उनको माननीय मंत्री जी चार्ज दिला देंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, शासन से उनको चार्ज दिलाने के आदेश जा चुके हैं और माननीय सदस्य ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में लाते हैं, तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मान्यवर, हमारे जनपद बाराबंकी में तहसील राम सनेही घाट में जितनी गांव सभायें हैं, और उनमें जितने ग्राम प्रधान हैं, उनको अभी तक चार्ज नहीं दिलाया गया है। क्या माननीय मंत्री जी उनको तुरन्त चार्ज दिलवा देंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

जिलाधिकारी को आज ही लिख दिया जायेगा कि जहां भी चार्ज नहीं मिले हैं उनको तुरन्त चार्ज दिलाया जाय।

श्री बदन सिंह–

न्याय पंचायतों में अदालत पंचों के चुनाव किस विधि से कराये जायेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, उसके लिये जो नियम हैं उसके अनुसार ही होंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं जानना चाहता हूं कि नियमों में कौन सा प्राविधान है यह बता दें? पहले तो जिलाधिकारी नामिनेट कर देता था, फिर यह हुआ कि सभी सदस्य मिल कर चुनाव कर लेते थे, अब क्या प्रक्रिया है नियमों में?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि उसके नियम बने हुये हैं और उसी के अनुसार चुनाव होगा। यदि न्याय पंचायत के सदस्यों का नामिनेशन जिलाधिकारी करते हैं तो उन्हीं में से पंच और सरपंचों का चुनाव हो जायेगा।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, प्रधानों का चुनाव हुये लगभग 8-9 माह हो गये हैं, पर क्षेत्र समितियों का गठन न होने के कारण क्षेत्र निधि के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अगर उनका गठन न हो सके तो ऐसी व्यवस्था तब तक माननीय मंत्री जी कोई कर दें जिससे उनकी मीटिंग होती रहे और उस पैसे का दुरुपयोग न हो सके।

श्री बलराम सिंह यादव–

माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह परिकल्पना के आधार पर कही है। अगर कहीं का कोई स्पेसिफिक उदाहरण वे देंगे जहां पर धन का दुरुपयोग हुआ है तो उसकी हम जांच करवा लेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह–

8–9 माह हो गये पर अभी तक बी0 डी0 सी0 का गठन नहीं हुआ है, तो इस देरी का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न अलग है, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

अभी जिस वक्त एक महिला का चुनाव कराया गया महिला प्रतिनिधित्व के लिये। क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र समितियों में भी महिला प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करायेंगे।

श्री बलराम सिंह यादव–

क्षेत्र समितियों में भी महिला प्रतिनिधित्व का प्राविधान है।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मैं केवल एक प्रश्न कर रहा हूं कि रघुनन्दन पाण्डेय को चार्ज नहीं दिया गया क्योंकि बी0 डी0 ओ0 से उसकी रंजिश है। क्या माननीय मंत्री जी चार्ज दिलाकर उस बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

माननीय सदस्य को कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि प्रश्न क्या किया गया है और प्रश्न से हटकर वह प्रश्न पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह अधिकार आपको कहने का नहीं है।

श्री बलराम सिंह यादव–

प्रश्न से हटकर प्रश्न पूछा जा रहा है। अलग से प्रश्न कर लेंगे तो उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री धनी राम वर्मा–

ब्लाक समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ जिसके सदस्य ग्राम प्रधान होते हैं। ब्लाक में विकास का कार्य प्रधानों की राय लेकर किया जाता रहा है और आवश्यक भी है राय लेना। अभी बी0 डी0 ओ0 मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी अतिशीघ्र ब्लाक समितियों का गठन करेंगे, जिससे कि ग्रामप्रधान की राय लेकर क्षेत्र का विकास कार्य किया जाय?

श्री बलराम सिंह यादव–

माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है . . .

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप बैठें मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है।

(पुनः आज्ञा देने पर)

श्री बलराम सिंह यादव–

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है बहुत अच्छा है । चुनाव ब्लाकों का शीघ्र कराने जा रही है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

माननीय मंत्री जी जिस हिसाब से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उससे प्रश्न मेरा साफ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि एक प्रधान को चार्ज नहीं दिया। क्या माननीय मंत्री जी उस मामले की छानबीन करायेंगे और चार्ज दिलाकर उस बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

इसका उत्तर हम दे चुके हैं लेकिन फिर भी माननीय सदस्य लिखकर दे दें मैं जांच करा लूंगा।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मैं हाउस में कह रहा हूं।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि इस को लिख कर दिया जाये, तो हमारा इस सदन में बैठना बेइमानी हो जाता है। मैं इसे सदन में कह रहा हूं . . . .

श्री अध्यक्ष–

मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। कृपया आप बैठें।

प्रदेश में भयंकर शीत लहर से रबी की फसल को क्षति

**2–श्री सरदार सिंह तथा श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में आयी भयंकर शीत लहर से रबी की फसल को भारी क्षति हुई है? यदि हां, तो उत्पादकता वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में क्या कदम सरकार उठाने जा रही है?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां, दलहनी एवं तिलहनी फसलों को थोड़ी क्षति हुई है।

शीत लहर से फसलों को बचाने के लिए उपलब्ध सिंचाई साधनों से फसलों की सिंचाई करने तथा खेत में खड़ी फसल के चारों ओर उपलब्ध घासफूंस को जला कर धुवां करने का प्रचार/प्रसार आकाशवाणी तथा कभी-कभी दूरदर्शन से कराया गया। फिर भी जहां फसल सूख गई है और सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, सूरजमुखी, मक्का या चैना (सावां) की फसल बोने हेतु संस्तुति की गई है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह गुमराह करने वाला है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जहां फसलों को बहुत नुकसान हुआ है तो क्या उन किसानों को मुआवजा देने की कृपा करेंगे?

श्री यशपाल सिंह–

जहां-जहां से इस प्रकार की सूचनाएं आयेंगी उन को जरूर मदद पहुंचायी जायेगी ।

श्रीमती गौरी देवी–

जिन किसानों की फसल नष्ट हो गयी है उन्हें कोई आर्थिक सहायता भी दी गई अथवा देने की कोई योजना है? यदि है, तो उसका विवरण क्या है?

श्री यशपाल सिंह–

इस प्रकार की न तो कोई सूचना आयी है और न ही सहायता दी गई है। जब कोई सूचना आयेगी तो दी जायेगी।

श्री ऊदल–

क्या सरकार इस बात की जानकारी करायेगी कि भीषण शीत लहर प्रदेश में आयी थी इससे अरहर की फसल, मटर और कुछ जिलों में आलू, तिलहन, सरसों,

इन सब को बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्या सरकार स्वयं इसका सर्वेक्षण करायेगी कि कहां-कहां किन-किन जिलों में अरहर, आलू, तिलहन की क्षति हुई है और उस हिसाब से जो किसानों को राहत दी जाती है, छूट दी जाती है, सरकार देने पर विचार करेगी?

श्री यशपाल सिंह–

इसकी जानकारी विभाग द्वारा अवश्य करायी जायेगी और जहां-जहां पर इस प्रकार सहायता की आवश्यकता होगी, जरूर दी जायेगी।

श्री हुकम सिंह–

तमाम जनपदों में लम्बी-चौड़ी फौज अधिकारियों की जिलाधिकारी, बी0 डी0 ओज0 के माध्यम से सरकार के पास है, तो मान्यवर, कितना समय ये और लेंगे जानकारी प्राप्त करने के लिए कब तक जानकारी पूर्ण हो जायेगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर देने दीजिए।

श्री यशपाल सिंह–

सम्मानित सदस्य, इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं और अगर प्रश्न का उत्तर पढ़ लेते तो सम्भवत: प्रश्न न करते। जो भी सूचनायें हैं वही हमारे पास हैं। इस समय जो प्रश्न हम से किया गया है वह पार्टीकुलर, स्पेसिफिक है। सम्मानित सदस्य ऊदल जी ने प्रश्न किया कि क्या विभाग द्वारा इस प्रकार की जांच करायी जायेगी, कोई प्रक्रिया चल रही है? तो इसका उत्तर दिया गया कि जरूर करायी जायेगी और जहां पर क्षति हुई होगी नियमानुसार जो भी सुविधा हो सकेगी, दी जायेगी।

श्री सत्यपाल सिंह–

शीत लहरी सारे प्रदेश में इस समय आयी और शासन की तरफ से बहुत ही कम इमदाद मिल पायी। बहुत से जानवर मर गये, बहुत से व्यक्ति मरे, फसलों का नुकसान हुआ। इसके बावजूद भी मान्यवर, यह सरकार ऐसी है कि आबपासी, राजस्व और बैंकों का ऋण कृषि कार्यों के लिये जो लिया गया उसकी वसूलयाबी में उत्पीड़न का इस्तेमाल कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में जब इतनी क्षति हो चुकी है ? तो क्या उत्पीड़न के तरीके बन्द करायेंगे और रबी की फसल में वसूल कर लेंगे।

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, मा0 सदस्य स्वयं जानते हैं इस बात को कि जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होती है वहां पर जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, वह दी जाती हैं । जो सुविधायें हैं, जिनकी ओर इशारा किया वह ऐसी नहीं हैं । दलहन, तिलहन की फसलों में, मटर में, फूलों में ज्यादातर शीत लहरी से नुकसान हुआ है। 50 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ हो, ऐसा कहीं हमारी रिपोर्ट में नहीं है।

नोट:–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

प्रधानाचार्य, महन्थ लाल दास इण्टर कालेज देवगांव, फैजाबाद द्वारा छात्रों से लिये गये शिक्षण शुल्क को जमा न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

1—श्री सुग्रीव सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानाचार्य, महन्थ लाल दास इण्टर कालेज, देवगांव फैजाबाद द्वारा माह जनवरी एवं फरवरी, 1979 के कक्षा 12 के समस्त छात्रों का शिक्षण-शुल्क छात्रों से यथा समय वसूल करके निजी कार्यों में प्रयोग कर लिया गया है तथा उक्त धनराशि को अभी तक सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया है? अब तक उक्त धनराशि सरकारी कोष में जमा न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 के समस्त छात्रों से माह जनवरी एवं फरवरी, 1979 का शिक्षण शुल्क वसूल नहीं किया गया। शुल्क वसूल न किये जाने के कारण यह धनराशि सरकारी कोष में जमा नहीं की गई। प्रधानाचार्य की इस चूक के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंधाधिकरण को दिया जा चुका है।

बांदा जनपद की बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) स्व0 श्रीमती लज्जारानी निगम के अवशेष वेतन, सेवा निवृत्ति लाभ, पेंशन आदि का भुगतान

2—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद की बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) स्व0 श्रीमती लज्जारानी निगम के अवशेष वेतन, सेवा निवृत्ति लाभ, पेंशन आदि का भुगतान 15 दिसम्बर, 81 तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

स्व0 श्रीमती निगम 3-1-78 से लगातार अर्जित/चिकित्सीय अवकाश पर रही और उसी क्रम में दिनांक 10-12-1978 को उनका निधन हो गया। दिनांक 3-1-1978 से 15-8-78 तक उनको कुल देय अर्जित/चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है पर उक्त अवधि के बाद का उनका अवकाश प्रार्थना पत्र अनिश्चित काल के लिए था और मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र भी उन्होंने नहीं भेजा था। अतः यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है कि उन्हें 16-8-78 से उनके निधन की तिथि तक किस प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जाय। यह अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही उनकी सेवा पंजी पूर्ण कर पेंशन पत्रजात तैयार करना सम्भव हो सकेगा।

श्री ओ0 एन0 सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

3—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री ओ0 एन0 सक्सेना शिक्षा

अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में दिनांक 18-11-81 को एक शिकायती पत्र दिया गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

माध्यमिक विद्यालयों के स्टाफ को अनिवार्य जमा किस्त का वितरण

4–श्री धर्मवीर सिंह त्यागी–

क्या शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि आयुक्त कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किस्त वापस लेकर 31-12-81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है? सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आर0 आई0 जी0 एस0, मेरठ द्वारा की गई नियुक्तियां

5–श्री छत्तर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 आई0 जी0 एस0 मेरठ ने बी0 टी0 सी0 ग्रेड पर बिना रिक्तियों का विज्ञापन तथा बिना चुनाव प्रक्रिया अपनाये सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 1981 में कुल कितनी नियुक्तियां की थी? इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

तत्कालीन आर0 आई0 जी0 एस0 मेरठ द्वारा वर्ष 1981 में माह सितम्बर में दो, अक्तूबर में चार, तथा नवम्बर में एक, कुल मिलाकर सात नियुक्तियां की गयीं । यह नियुक्तियां काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में जनहित में की गयी थी और अब नियमित चयन किया जा रहा है। नियमित चयन में जो चयनित नहीं हो पायेगा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी।

विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर कार्यवाही

6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन (भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट) (1975-76) (सिविल) पर आधारित सिफारिश संख्या 7, 24 पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

(क)–1 जहां तक सिफारिश संख्या 7 का सम्बन्ध है, लोक लेखा समिति ने 6 प्रस्तरों में अपनी संस्तुतियां की हैं ? इनमें से प्रस्तर 1 से 3 के सम्बन्ध में समिति के आदेशानुसार शासन द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति दिनांक 9-11-1982 को गठित कर दी गई है। समिति से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट शासन को 6 महीने के अन्दर प्रस्तुत करें।

2–सिफारिश के पैरा 4 में उल्लिखित 40 लाख रुपये मूल्य की पुस्तकों के स्टाक में से संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार रुपये 10.08 लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें निस्तारित हो चुकी हैं और 29.82 लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें अब भी स्टाक में है जिनके निस्तारण की कार्यवाही हिन्दी संस्थान द्वारा की जा रही है ।

3–संस्तुति संख्या 5 बिक्री की गई पुस्तकों के बकाये की वसूली के बारे में है कुल बकाया रुपये 2.45 लाख में से 1.21 लाख की वसूली की जा चुकी हैं। शेष धनराशि की वसूली के बारे में संस्थान द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

4–संस्तुतियों का पैरा 6 उन अनियमितताओं के बारे में है जिनके समाधान के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा साक्ष्य के समय कुछ सुझाव दिये गये थे इन पर कार्यवाही की स्थिति निम्न प्रकार हैं :–

(क) 80,000 रुपये के असमायोजित अग्रिमों के समाधान के सम्बन्ध में सचिव सहायता एवं पुर्नवास विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे श्री आदित्य प्रकाश चतुर्वेदी, तत्कालीन लेखाकार, हिन्दी ग्रन्थ एकेडमी को यह निर्देश दें कि वे एक महीने के लिये रोजाना अपराह्न में 2 घंटे के लिए हिन्दी संस्थान में जाकर असमायोजित धनराशि के समाधान में सहायता करें। श्री चतुर्वेदी की सेवायें संस्थान को अभी उपलब्ध नहीं हो सकी हैं । श्री चतुर्वेदी इस समय सहायता एवं पुनर्वास विभाग में लेखाकार के पद पर तैनात हैं ।

(ख) मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ते के मद में अधिक भुगतान के बारे में 6 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी थी, जिसमें से 3 मामलों में कोई वसूली नहीं की जानी है, क्योंकि आचार्य द्विवेदी का स्वर्गवास हो चुका है। दो अन्य अधिकारियों ने यह सूचना दी है कि वे नियमानुसार अनुमन्य भत्ता ले रहे थे। उनके नियमन की कार्यवाही हो रही है। एक मामले में वसूली की जा चुकी है। 2 मामलों में वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(ग) 27 अप्रकाशित पाण्डुलिपियों में से परीक्षण के तौर पर एक पाण्डुलिपि के अनुवाद हेतु भुगतान का मामला 14-12-1982 को न्याय विभाग की मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया है। जो निर्णय होगा उसी के अनुसार शेष मामलों में कार्यवाही की जायगी।

(घ) 92 पुस्तकों के मामले में, जिनमें फरवरी 71 और मई 73 के बीच स्वीकृत दरों से ऊंची दरों पर अधिक भुगतान किया गया था, संस्थान की कार्यकारिणी का अनुमोदन प्राप्त करके मामले को नियमित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

(ङ) संस्तुति संख्या 24 की अपेक्षा के अनुसार सचिव गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया गया है कि वे विभूति नारायण राजकीय इण्टर कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी) के गबन के प्रकरण में पुलिस की जांच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे 6 वर्षों से लम्बित इस प्रकरण का अब निस्तारण हो सके। गृह सचिव से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार के सामान्य आदेश विभागाध्यक्ष को जारी करवा दें कि पुलिस विभाग को सौंपे गये किसी भी मामले में जांच रिपोर्ट अधिकतम एक वर्ष की अवधि में सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करा दिया करें। किसी मामले में यदि उक्त अवधि में वृद्धि की अपेक्षा हो तो पहले विभागाध्यक्ष शासन का अनुमोदन प्राप्त कर लें।

श्री रमा शंकर उपाध्याय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को वेतन भुगतान किये जाने हेतु निर्देश

7–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमा शंकर उपाध्याय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो 1948 में जिला बोर्ड, आजमगढ़ में कताई शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और जिनका वेतन बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिसम्बर, 1975 तक मिलता रहा, का वेतन जनवरी, 1976 से अकारण रोक दिया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या सरकार इनके वेतन का शीघ्र भुगतान कराने के लिये कार्यवाही करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

श्री रमा शंकर उपाध्याय की नियुक्ति 11-9-1948 को तत्कालीन अध्यक्ष जिला बोर्ड आजमगढ़ द्वारा चलायी गयी एक शिक्षा विभागेत्तर योजना में कताई शिक्षक के पद पर की गई थी। वर्ष 1955 में कताई शिक्षण की यह योजना समाप्त हो गई। तत्पश्चात् अध्यक्ष जिला परिषद्, आजमगढ़ द्वारा बिना लिपिकीय पद सृजित कराये ही श्री उपाध्याय की नियुक्ति उप विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय में लिपिक के पद पर कर दी गई। अतः लिपिक का पद न होने के कारण श्री उपाध्याय के वेतन का भुगतान रोक दिया गया। अब श्री उपाध्याय को अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक (प्राइमरी) के पद पर किसी विद्यालय में लगाकर वेतन भुगतान किये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्देश दे दिये गये है ।

श्री जागेश्वर प्रसाद, सहायक शिक्षक प्राइमरी पाठशाला के अवशेष वेतन का भुगतान

8–श्री गया सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वर प्रसाद, सहायक शिक्षक प्राइमरी पाठशाला, माहो, विकास क्षेत्र खीरों जनपद रायबरेली का 15 माह का वेतन (माह सितम्बर, 1978 से नवम्बर, सन् 1979 तक) नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

वर्ष 1978 में जनपद रायबरेली में कतिपय अवैध नियुक्तियों की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में जांच की जा रही है । जांच में श्री जागेश्वर प्रसाद की नियुक्ति नियमित पायी गई। अतः इनके अवशेष वेतन का भुगतान बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली के चैक संख्या 34/948 दिनांक 1-2-1983 द्वारा अब कर दिया गया है।

श्री पंचम लाल, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

9–श्री पंचानन राय–

विधान सभा द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम लाल तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें किन-किन व्यक्तियों से प्राप्त हुई थीं तथा उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी ? क्या

जांच के समय शिकायतकर्त्ताओं को साक्ष्य का अवसर उपलब्ध कराया गया ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

10–श्री छत्तर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 आई0 जी0 एस0 मेरठ ने तथा बी0 एस0 ए0 महिला बुलन्दशहर ने तथा प्रधानाचार्य रा0 उ0 मा0, पहासू ने कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां सत्र 1979-80 एवं 1980-81 और वर्तमान सत्र 1981-82 में अब तक बिना रिक्तियों का विज्ञापन किए बिना रोजगार कार्यालय से नाम मांगे बिना आरक्षण का ध्यान रखे बिना उचित चुनाव प्रक्रिया अपनाये अयोग्य, अधिक आयु, अशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियां कर दी हैं ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती शारदा अरोरा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, आगरा व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध गबन के आरोपों की जांच

11–श्री शंकर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती शारदा अरोड़ा, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, अष्टम, मण्डल, लखनऊ जो वर्ष 75 से 78 तक मण्डलीय निरीक्षिका के पद पर रही थी और उस अवधि में वर्ष 1976-77 में हरचरन दास गर्ल्स इण्टर कालेज, हाथरस में इनके द्वारा किसी आर्थिक गम्भीर अनियमितता के कारण इनके तथा इनके कार्यालय के लिपिक श्री मुरारी लाल शर्मा के विरुद्ध वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया था? यदि हां, तो इनका प्रकरण क्या समाप्त हो चुका है? यदि नहीं, तो ऐसे अधिकारी को पुनः उसी समकक्ष पद पर बनाए रखने का क्या औचित्य है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। श्रीमती शारदा अरोरा, दिनांक 18-2-1975 से 9-8-77 तक मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, आगरा के पद पर कार्यरत थी। इस अवधि में सेठ हर चरन दास गर्ल्स इण्टर कालेज, हाथरस के लेखों के गबन के संबंध में अ0 सं0 578/77 अन्तर्गत धारा 409/467/465/478ए/120बी0 आई0 पी0 सी0 थाना हाथरस श्रीमती शारदा अरोरा व अन्य 9 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय को भेजे। मामला मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, हाथरस के न्यायालय में लंबित बताया गया है । न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में ही इस बारे में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद आजमगढ़ के बेसिक शिक्षकों को लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भुगतान

12–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बेसिक शिक्षकों को 1980 के लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भुगतान आज तक नहीं

किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच

13–श्री हुकम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का 20-5-82 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

आरोपों की जांच सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल द्वारा कराई गई।

जांच आख्या शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के विचाराधीन है।

श्री राधेश्याम राय, कला अध्यापक, विभूति नारायण उ0 मा0 विद्यालय, सूरजपुर, आजमगढ़ के अवशेष वेतन का भुगतान

14–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम राय, कला अध्यापक, विभूति नारायण उ0 मा0 विद्यालय, सूरजपुर, आजमगढ़ के जनवरी, 1975 से फरवरी, 1979 तक के अवशेष वेतन लगभग 24 हजार रुपए का भुगतान नहीं हुआ है ? क्या यह भी सही है कि इस भुगतान के लिए अनुदान प्राप्त किए जाने से सम्बन्धित पत्राजात जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा 23-9-81 को शिक्षा निदेशालय में भेजे गये जो वहां 17-10-81 को प्राप्त हो गये? यदि हां, तो भुगतान न किए जाने के क्या प्रमुख कारण हैं? और यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अवशेष भुगतान की स्वीकृति दिनांक 8-10-82 को दी जा चुकी है ।

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भेजे गये पत्रादि अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण निदेशालय द्वारा उन्हें मूलरूप में निरीक्षक, आजमगढ़ को दिनांक 9-11-81 को लौटा दिया गया था। श्री राय के अवशेष का देयक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा न तो संस्तुत था और न ही लेखाधिकारी द्वारा सत्यापित था। अवशेष के कारणों से सम्बन्धित पत्रादि भी नहीं भेजे गये थे इसलिए निदेशालय द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी। बाद में पूर्ण पत्रादि प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा दिनांक 8-10-82 को अभीष्ट धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक को आवंटित कर दी गई है।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल को वापस किया गया परीक्षा शुल्क

15–कु0 उर्मिला अग्निहोत्री तथा श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल, शिक्षक संघ के शाखा फैजाबाद ने दिनांक 19-5-81 को राजाज्ञा संख्या 1986/15-6-3(6) 80, दिनांक 2-4-81 के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल द्वारा जो परीक्षा शुल्क लिया गया था, को फैजाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा न वापस किये जाने की कोई नोटिस दी गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। 194 विद्यालयों को शुल्क वापस किया जाना था जिनमें से 193 विद्यालयों को शुल्क वापस किया जा चुका है । केवल जूनियर हाई स्कूल दर्शन नगर को शुल्क वापस नहीं किया जा सका । विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उक्त शुल्क प्राप्त करने हेतु लिखा गया था किन्तु उन्होंने उक्त शुल्क अभी तक प्राप्त नहीं किया है।

एस0 के0 पी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़ में कतिपय शिक्षकों के अनियमित भुगतान की शिकायत की जांच

16–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच के उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में 5-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दिनांक 5-11-81 तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

कृषक इण्टरमीडिएट कालेज, मल्लूडीह, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक के विरुद्ध लिपिक की नियुक्ति में अनियमितताओं की शिकायत

17–श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि लिपिक की नियुक्ति हेतु कृषक इण्टरमीडिएट कालेज, मल्लूडीह, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा किये गये अनियमितताओं की शिकायत विधायक (श्री कुबेर भण्डारी) द्वारा दिनांक 4-11-81 को शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो संलग्न सहित प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही से मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां । शिकायती पत्र के संलग्नक को दिनांक 3-2-82 को मूलरूप में जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु शिक्षा निदेशक को भेज दिया गया ।

भदुसुआ ईसापुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के श्री जटा शंकर त्रिपाठी की पेंशन व अवशेष वेतन का भुगतान

18–श्री जगदीश सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में भदुसुआ ईसापुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 19-10-68 को श्री जटा शंकर त्रिपाठी, 60 वर्ष

की आयु पूरी कर सेवा निवृत्त किये गयें और उनकी अभी तक न पेन्शन दी गयी और न उनका अवशेष वेतन सेवा काल का दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जटा शंकर त्रिपाठी को जन्म तिथि के आधार पर 5-7-1967 (पूर्वान्ह) को 60 वर्ष आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत किया गया।उन्हें 29-8-81 को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। दिनांक 1-1-65 से 4-7-67 तक अवशेष वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय विद्यालय वेतन वितरण अधिनियम में नहीं था। प्रबन्ध समिति को उक्त अवशेष का भुगतान अपने आय से करना है जिसके लिये उन्हें निर्देशित करने हेतु शिक्षा निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं ।

ग्राम रामपुर खरहटा, जिला गोण्डा में चलाये जा रहे जूनियर हाई स्कूल का दूसरे गांव को स्थानान्तरण

19–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रामपुर खरहटा, विकास क्षेत्र वजीरगंज, जिला गोण्डा में एक जूनियर हाई स्कूल, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा 1978 में चलाया जा रहा था और अब उसे स्थानान्तरित कर दूसरें गांव में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों एवं किसके आदेश से किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र नवम्बर, 1991 में शासन को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

शिविर लिपिक बी0 एस0 ए0 देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

20–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा 8-4-82 का पत्र, जो शिविर लिपिक बी0 एस0 ए0, देवरिया के विरुद्ध है, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

8-4-82 के पत्र की प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो सकी।किन्तु इसी विषय पर प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-5-82 प्राप्त हुआ।मामले में जांच कराकर आख्या शासन को भेजने के आदेश शिक्षा निदेशक को दे दिए गए हैं।

फुटकर विक्रेताओं को स्टाक आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था

21–श्री विजय सिंह राना–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1982 से सरकार द्वारा विदेशी मदिरा का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के निर्णय के बाद क्या शासन द्वारा फुटकर प्रमुख विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं की जमा माल की आपूर्ति कब से की गयी है और इसमें विलम्ब किये जाने का कारण क्या है ?

आबकारी मंत्री (श्री विद्या भूषण)–

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश सं0 1542/दस-97 बी, दिनांक 12 मई, 1982 के अन्तर्गत बचे हुए स्टाक की आपूर्ति फुटकर विक्रेताओं को किये जाने की व्यवस्था की गई।

बचे हुए स्टाक के लिये पूरे प्रदेश में समान नीति निर्धारित किये जाने और मानवीय उपभोग के लिये उसकी उपलब्धता जांचे जाने के कारण विलम्ब हुआ।

उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, बिलसी, जनपद बदायूं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सी0 डी0 एफ0 का भुगतान

22–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय बिलसी, जनपद बदायूं के अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों के जुलाई, 1974 से मई, 1977 तक सी0 डी0 एफ0 का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में विद्यालय के अध्यापिकाओं द्वारा वित्त मन्त्री व शिक्षा निदेशक व प्रावीडेन्ट कमिश्नर, मण्डलीय विद्यालय निरीक्षक, बदायूं, जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं को 31-7-81 को कोई शिकायती पत्र दिया गया? यदि हां, तो अध्यापिकाओं, कर्मचारियों का बकाया सी0 डी0 एफ0 का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया तथा कब तक भुगतान करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

फण्ड कमिश्नर, कानपुर से पूर्ण धनराशि प्राप्त न होने के कारण अवशेष भुगतान नहीं हो पाया।

फण्ड कमिश्नर, कानपुर से धनराशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायगा।

23–श्री छत्तर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को जूनियर हाई स्कूल की मान्यता

24–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को कक्षा 1 से 5 जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल की कक्षाओं तक शिक्षण प्रदान करने की मान्यता किस-किस वर्ष और किसके आदेश से दी गई और सम्बन्धित आदेशों के पूर्ण विवरण क्या हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत विद्यालय को कक्षा 1 से 5 की मान्यता प्राप्त नहीं है। जूनियर हाई स्कूल की स्थाई मान्यता उप शिक्षा निदेशक, षष्ठ मंडल, लखनऊ के आदेशानुसार सन् 1975 में प्रदान की गई थी। शेष सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका द्वारा दिया गया चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा अवशेष वेतन का भुगतान

25–श्री सन्त बक्स रावत–

क्या प्रथम सत्र 1982 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 140 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा विभाग या शासन ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि चिकित्सा अवकाश के बाद कार्य पर उपस्थित होने पर वेतन तब तक न दिया जाय जब तक चिकित्सा अवकाश स्वीकृत न हो जाय? क्या यह सही है कि जो चिकित्सा प्रमाण पत्र सहा0 अध्यापिका द्वारा 10/80 को भेजा गया था उसकी जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा करायी गयी? यदि हां, तो क्या प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया? नहीं, तो दूसरा प्रमाण पत्र मांगे जाने का क्या औचित्य है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

सामान्य नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा अवकाश स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही वेतन आहरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

जी नहीं ।

मूल प्रमाण-पत्र के जांचोपरान्त संदिग्ध पाये जाने के कारण सम्बन्धित अध्यापिका को उसके शुद्धिकरण तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर उसे प्रस्तुत करने हेतु वापस लौटाया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी से अध्यापिका का स्थानान्तरण

26–श्री सन्त बक्स रावत–

क्या प्रथम सत्र 1982 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 141 के क्रम में शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अध्यापिका का स्थानान्तरण किया गया है वह जू0 बे0 वि0 सफेदाबाद में कितने वर्षों से तैनात थी? स्थानान्तरण आदेश किस दिनांक को कार्यालय द्वारा जारी किया गया एवं स्थानान्तरण किस विद्यालय को किया गया? इसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा प्रशासनिक कारण था जो कि उस अध्यापिका को मध्य सत्र में स्थानान्तरित किया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दो वर्षों से।

दिनांक 25-11-1980 को जू0 बे0 विद्यालय, मेंढ़िया के लिये।

विद्यालय के स्टाफ में तालमेल न होने व आपस में तनाव होने के कारण तथा पठन पाठन कार्य एवं अनुशासन पर कुप्रभाव को दूर करने के लिये जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त अध्यापिका का स्थानान्तरण मध्य सत्र में किया गया।

श्री विश्वनाथ प्रसाद रस्तोगी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, को कार्यभार ग्रहण कराने के आदेश तथा अवशेष वेतन का भुगतान

27–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री विश्वनाथ प्रसाद रस्तोगी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, श्री गांधी उ0 मा0 विद्यालय कछवा, मिर्जापुर जिनकी सेवा जुलाई, 58 में समाप्त कर दी गई थी के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने 18-11-77 को अपना निर्णय दे दिया है? क्या यह सही है कि इसके बाद भी न तो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जा रहा है और न उनके 91,915·50 रुपये का अवशेष का भुगतान ही किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं और वह भुगतान कब तक करा दिया जायेगा और कब तक इन्हें कार्यभार ग्रहण करा दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी के आदेशानुसार शिक्षक को दिनांक 25-5-82 को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है। रु0 91,956·50 के भुगतान का मामला माननीय सिविल जज, मिर्जापुर के यहां विचाराधीन है। निर्णय के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री चन्द्रशेखर दत्त पाण्डेय, चित्रकूट इन्टर कालेज, कर्वी, जनपद बांदा का संशोधित वर से वेतन निर्धारण के संबंध में कार्यवाही

28–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री चन्द्रशेखर दत्त पाण्डेय, चित्रकूट इन्टर कालेज, कर्वी, जनपद बांदा का वेतन निर्धारण संशोधित करने का प्रकरण जून, 79 में शिक्षा निदेशक को भेजा गया था? यदि हां, तो इस पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या प्रमुख कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम नाथ इण्टर कालेज, रुझेई, उन्नाव में व्यापक अनियमितताओं की जांच

29–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नाथ इन्टर कालेज, रुझेई, उन्नाव में व्यापक अनियमितताओं आदि के विरुद्ध शिकायतें मार्च, 81 से दिसम्बर, 81 के बीच उन्हें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं, उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है तथा जांच के क्या परिणाम निकले हैं और क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

प्रमुख शिकायतें विद्यालय के प्राभूत में कमी, भवन में कमी, अनियमित पदोन्नति तथा प्रबंधक द्वारा जबरदस्ती आदि के विषय में है।

शिकायतों की जांच सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव द्वारा करायी गयी। शिकायतों में कोई बल नहीं पाया गया अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

गांधी स्मारक उच्च माध्यमिक विद्यालय, नन्दगंज, गाजीपुर के प्रबन्धाधिकरण द्वारा संस्था की भूमि को अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

30–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पांचवे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्था की भूमि को अवैध तरीके से रजिस्ट्री किये जाने के कारण प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रबंधाधिकरण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुये अनुमति की मांग विभाग से भूमि के निबंधन के बाद की थी । धनराशि विद्यालय के खाते में जमा कर दी गयी और बाद में प्रबन्धक ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया । इसी कारण अब तक प्रबंधाधिकरण के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।

मोहम्मद युनूस, सहायक अध्यापक, गांधी स्मारक इन्टर कालेज मारुफपुर, आजमगढ़ की पदोन्नति का आदेश

31–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुन्सिफ (द्वितीय) मोहम्मदाबाद गोहना आजमगढ़ के न्यायालय से मुकदमा नं0 208/78 मु0 युनूस बनाम उ0 प्र0 सरकार में 22-2-80 को आदेश हुआ है कि मोहम्मद युनूस, सहायक अध्यापक गांधी स्मारक इन्टर कालेज मारुफपुर, आजमगढ़ की पदोन्नति का आदेश दो माह में निर्गत कर दिया जाय और उनके अवशेष का भुगतान कर दिया जाय? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में 30-4-82 तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है? यदि हां, तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने के क्या कारण हैं, तथा कब तक इसका अनुपालन हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

कार्यवाही की गई। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मारुफपुर मर्यादपुर, आजमगढ़ की संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा गबन की शिकायत की जांच

32–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है और यह कब तक पूरी हो जायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

33–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बेव दरबार आश्रम इन्टर कालेज, संडीला, जिला हरदोई के आडिट में अनियमितताओं की जांच तथा कार्यवाही

34–श्री हरीशंकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 3रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 97 के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या 16 घ के अन्तर्गत नोटिस की तामील हो गयी है? और प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबन्धक द्वारा नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया जा चुका है जिसका क्षेत्रीय अधिकारियों (जिला विद्यालय निरीक्षक तथा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक) द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

श्री जफर हुसैन आदि के अंक पत्र भेजने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

35–श्री हरी शंकर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जफर हुसैन आदि के अंक पत्र भेजने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता का रजिस्टर्ड पत्र अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् (व्यक्तिगत) को दिनांक 13–3–82 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां, प्राप्त पत्र पर संबंधित परीक्षार्थियों के कताई बुनाई विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराई गयी और उनका परीक्षाफल घोषित किया गया ।

गढ़वाल मंडल के राजकीय हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों के अध्यापकों का अनुमोदन और स्थायीकरण

36–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल के राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में कितने अध्यापकों को विभिन्न संवर्गों से अनुमोदन और स्थायीकरण के अभाव में अग्रेतर अराजपत्रित तथा राजपत्रित पदों में पदोन्नति से वंचित वर्ष 1981 में किया गया है और इन अध्यापकों को कब तक स्थायी किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

स्नातक वेतनक्रम से प्रवक्ता वेतनक्रम में पदोन्नति हेतु 10 अध्यापक तथा स्नातक वेतनक्रम से अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनक्रम में पदोन्नति हेतु 3 अध्यापक ।

उक्त 13 अध्यापकों में से 12 अध्यापकों का स्थायीकरण किया जा चुका है । केवल एक अध्यापक का स्थायीकरण शेष है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज के विरुद्ध दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

37–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज को पत्र लिखने

के उपरान्त भी प्रबन्धक से कोई सूचना प्राप्त न होने की दिशा में सरकार ने उक्त स्कूल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट, 1921 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट, 1921 के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक अध्यापक, विद्या मंदिर हायर सेकेण्डरी स्कूल, रामपुर के अवशेष वेतन का भुगतान

38–श्री चेतराम गंगवार–

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उन्हें 24 जनवरी, 1982 तथा 3 मार्च, 1982 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिये गये श्री राजेन्द्र प्रसाद स0 अ0विद्या मंदिर हा0 से0 स्कूल, रामपुर का प्रार्थना पत्र 16–11–76 से 2–10–81 तक का अवशेष वेतन भुगतान तथा 3–10–81 से वर्तमान समय तक की वेतन भुगतान न करने के सम्बन्ध में मिले है? यदि हां, तो शासन नें इस संबंध में क्या कार्यवाही की तथा उक्त अध्यापक को अब तक वेतन न दिए जाने का कारण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हनुमंत इण्टर कालेज, धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर में आर्थिक अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

39–श्री मुईद अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हनुमंत इण्टर कालेज, धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर के अध्यापकगण, विद्यालय की आर्थिक अनियमितताओं एवं प्रबन्ध तन्त्र व प्राचार्य के भ्रष्टाचार जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्वयं अपने निरीक्षण में पाया था, को लेकर क्रमिक धरना पर जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर के कार्यालय पर दिनांक 2–3–82 से बैठे रहे ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मांगों को सत्य पाते हुए और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पकड़े गये गबन के आधार पर विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को भंग करके प्रबन्धक एवं प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की जांच के उपरान्त जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा जांच की जा रही है । उनकी जांच आख्या तथा संस्तुति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यता प्राप्त प्राइमरी कृष्णा पाठशाला, बुलन्दशहर का अनुरक्षित भवन, छात्रों की संख्या, सरकारी सहायता एवं माननीय विधायक की संस्तुति पर कृत कार्यवाही

40–श्री छत्तर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुलन्दशहर नगर के मोहल्ला देवीपुरा स्थित सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइमरी कृष्णा पाठशाला के भवन के असुरक्षित एवं वहां पढ़ रहे

125-150 छात्रों की सुरक्षा से संबंधित मा0 विधायकों श्री छत्तर सिंह आदि से 26-12-81 तथा उसके बाद उन्हें मुख्य मंत्री जी जिलाधीश बुलन्दशहर एवं शिक्षा अधिकारी बुलन्दशहर को प्रेषित लिखित शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नकर्त्ता के द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच करायी गयी । जांच से प्रश्नगत भवन को असुरक्षित नहीं पाया गया ।

41–श्री छत्तर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रश्नगत पाठशाला में कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं तथा क्या प्रयुक्त स्थान पर शिक्षा पा रहे छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था के मापदण्डों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो इस बारे में जिम्मेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत विद्यालय में कुल 116 छात्र हैं । छात्रों के लिए स्थान पर्याप्त है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

42–श्री छत्तर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रश्नगत पाठशाला को कब से एवं कितनी सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है तथा क्या यह पाठशाला मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए समुचित सुरक्षित स्थान लेखाजोखा के निरीक्षण कराने, प्रबन्ध समिति एवं स्कूल से विधान सम्बन्धी निर्धारित मापदण्ड पूरे करता है ? यदि नहीं, तो क्या मान्यता एवं सहायता निरस्त करने संबंधी एवं अन्य क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत विद्यालय को सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

43–श्री छत्तर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रश्नगत पाठशाला के भवन के सुरक्षित होने संबंधी क्या जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा तुरन्त प्रभावी रूप में मा0 विधायक की संस्तुति के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच किये जाने के फलस्वरूप भवन असुरक्षित नहीं पाया गया । विद्यालय भवन के संबंध में एक वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

नरेन्द्र देव इण्टर कालेज, जलालपुर, जिला फैजाबाद के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से काटी गई तथा जमा की गई धनराशि

44–श्री पंचानन राय तथा श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर, जिला फैजाबाद स्थित नरेन्द्र देव इण्टर कालेज में वर्ष 1976-77 से अद्यतन शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों

के वेतन से प्रतिमाह काटे जाने वाली सी0टी0डी0, पी0एफ0, जी0पी0एफ0 तथा बीमा की धनराशि वेतन से कब -कब और कितनी-कितनी काटी गयी तथा इन मदों से संबंधित खाते में कब-कब व कितनी-कितनी धनराशि जमा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन लोग दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च 76 से प्राप्त जुलाई 81 तक का सी0टी0डी0, पी0एफ0, जी0पी0एफ0 तथा बीमा की काटी गई तथा जमा की गई धनराशि संबंधी विवरण तालिका †संलग्न है।

विद्यालय के प्रबंध तंत्र ने वेतन वितरण अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद योजित कर रखा है तथा प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्ति प्रधानाचार्य और प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा नियुक्त प्रधानाचार्य दोनों ने विद्यालय के कार्यालय में ताला लगा रखा है जिससें अभिलेख उपलब्ध नहीं है । न्यायालयीय वाद के निस्तारण एवं अभिलेख उपलब्ध होने पर ही वांछित अवशेष कार्यवाही संपादित की जा सकेगी ।

न्यायालीय वाद के पश्चात् ही छानबीन कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकेगा। इस समय किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद जनपद के सहायता प्राप्त गैर सरकारी उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन से अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का भुगतान

45–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद के कितने सहायता प्राप्त गैर सरकारी उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 1-5-82 तक अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया है? भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

कुमाऊं मंडल के मण्डलीय स्तर पर अनिस्तीर्ण मामले

46–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मंडल के मण्डलीय स्तर पर कितने दक्षतारोक, अवकाश, टी0 ए0 बिल, पद सृजन, प्रोन्नति के मामले सन् 1978 से 1981 तक अनिस्तीर्ण पड़े हैं ? क्या सरकार अविलम्ब इनके निस्तारण के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

---

†(छापी नहीं गयी ।)

कुमाऊं मंडल में हाई स्कूल तथा इण्टर के अध्यापकों का स्थानान्तरण

47–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 और 1981 में कुमाऊं मंडल में हाई स्कूल तथा इन्टर के कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण हुआ है? उस पर कितना यात्रा भत्ता दिया गया है? क्या यह सत्य है कि कुछ अध्यापकों व प्रधानाचार्यों का एक साल में दो या तीन बार स्थानान्तरण किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

शराब की नीलामी करने का आधार

48–श्री सिकन्दर अली खां नवाब–

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शराब की नीलामी करने का आधार क्या है? पूरे प्रदेश में 1981-82 में शराब के ठेके कितने ठेकेदारों को दिये गये? क्या यह ठेकेदार स्वयं अपने ठेकों को चला रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण–

जी हां, शराब की नीलामी का आधार उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 30 के उपबन्ध तथा धारा 41 के खंड (सी) की व्यवस्था हैं और नीलामी सबसे ऊंची बोली देने वाले के पक्ष में तय की जाती है।

प्रश्नगत अवधि में कुल 1665 ठेकेदार थे। यह सभी अपने-अपने ठेकों को स्वयं, अपने साझीदारों व विक्रेताओं की सहायता से चला रहे थे।

स्वामी परमानन्द विद्यालय ताजपुर, जिला फर्रुखाबाद की स्थाई मान्यता तथा शर्तें

49–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वामी परमानन्द विद्यालय ताजपुर, जिला फर्रुखाबाद को हाल ही में ही उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद द्वारा जूनियर हाई-स्कूल की स्थाई मान्यता दी गई है? यदि हां, तो मान्यता के लिए वांछित शर्तें क्या हैं तथा क्या संदर्भित विद्यालय इन सभी शर्तों को पूरा करता है? यदि नहीं, तो शर्तें पूरा न करने के बाद भी मान्यता देने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

स्थाई मान्यता के लिये वांछित शर्तें संक्षेप में संलग्नक में दृष्टव्य है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 204-205 पर।)

सहायक अध्यापक श्री राजा राम वर्मा को अवशेष वेतन का भुगतान

50–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्य नारायण तिवारी विद्या मंदिर इण्टर कालेज, निगोहां जिला लखनऊ में सहायक अध्यापक श्री राजाराम वर्मा को अगस्त 76 से नवम्बर 76 (4 माह) तथा 7 जनवरी, 77 का वेतन नहीं दिया गया, जिसके बारे में वह अनेक बार जि0 वि0 निरीक्षक, लखनऊ से भी शिकायत कर चुके हैं जबकि नियमानुसार वेतन मिलना चाहिए था? यदि हां, तो वेतन कब तक दिला दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जिला विद्यालय निरीक्षक ने सूचित किया है कि श्री राजाराम वर्मा को उक्त अवधि का किसी प्रकार का अवशेष देय नहीं है। अतः भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय शिक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

51–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा राजकीय शिक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र माननीय मुख्य मंत्री को 14 सितम्बर, 81 को अथवा उसके आस पास मिला? यदि हां, तो उसमें मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

मुख्य शिकायतों की सूची संलग्न है। शिक्षा निदेशक को मामले में जांच करवाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 206 पर।)

डी0 एस0 एम0 कालेज (इन्टर एवं डिग्री) कांठ (मुरादाबाद) की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही

52–श्री रामकृष्ण माहेश्वरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 11-7-81 द्वारा उनसे डी0 एस0 एम0 कालेज (इन्टर एवं डिग्री) कांठ (मुरादाबाद) की प्रबन्ध समिति द्वारा बरती गयी बहुत सी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की थी? यदि हां, तो प्रबन्धक समिति के विरुद्ध क्या अब तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों की जांच

53–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बेसिक शिक्षा परिषद् में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों की जांच शासन ने वर्ष 1981-82 में

कराई थी? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करने जा रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जांच के पश्चात् अनियमित रूप से नियुक्त जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्र के 24 तथा नगर क्षेत्र के 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां निरस्त करके उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री चुन्नीलाल वर्मा, भू0 पू0 सहायक अध्यापक, आदर्श इण्टरमीडिएट कालेज, परसौना, जिला गोरखपुर के बकाये पैसे का भुगतान

54–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुन्नीलाल वर्मा, भू0पू0 सहायक अध्यापक आदर्श इण्टरमीडिएट कालेज, परसौना, जिला गोरखपुर का म्यूचुअल स्थानान्तरण श्री जगत नारायन ब्रह्मदेव तिवारी इन्टर कालेज, पकड़ी वीरभद्र, देवरिया में सितम्बर, 1976 में हुआ है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रबन्धक इन्टरमीडिएट कालेज, परसौना, गोरखपुर द्वारा विभिन्न महंगाई भत्तों के एरियर सी0 डी0 एस0 की धनराशि आहरित करने के बाद भी उन्हें नहीं भेजी गयी है? साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका भी प्रबन्धक द्वारा वर्तमान संस्था को नहीं भेजी गयी है? यदि हां, तो उक्त अध्यापक के बकाए पैसे एवं सेवा पुस्तिका कब तक जगत नारायन ब्रह्मदेव तिवारी, इण्टर कालेज, पकड़ी वीरभद्र देवरिया को दे दी जायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

"लालबाग प्राइमरी स्कूल" को शासन द्वारा मान्यता तथा छात्रों से ली गयी फीस की दर

55–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लालबाग क्रिश्चियन एजूकेशनल सोसायटी, लखनऊ द्वारा संचालित "लालबाग प्राइमरी स्कूल" को शासन द्वारा कब और किन प्रतिबन्धों के साथ मान्यता प्रदान की गयी है? क्या उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा शासन की शर्तों की अवहेलना कर अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वीकृत वेतन एवं भत्ते इत्यादि नहीं दिये जा रहे हैं तथा मनमाने दर पर छात्रों से फीस ली जा रही है? यदि हां, तो शासन द्वारा प्रबन्ध समिति एवं प्रधानाचार्या के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 1953 में। मान्यता की स्वीकृति के पत्र में किसी प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है परन्तु शिक्षा संहिता तथा समय-समय पर शिक्षा विभाग/शासन द्वारा इस हेतु निर्धारित शर्तें उक्त विद्यालय पर भी लागू होती हैं । प्रबन्ध समिति द्वारा अध्यापिकाओं को निर्धारित वेतनमान एवं भत्ते नहीं दिये जा रहे हैं। कर्मचारियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

निर्धारित दर से अधिक फीस भी ली जा रही है।

अनियमितताएं समाप्त न करने पर नियमानुसार विद्यालय की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही करने के निर्देश शिक्षा निदेशक को भेज दिए गए हैं।

56–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 30-8-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 114 द्वारा उत्तरित]

सरैया डिस्टिलरी सरदार नगर, गोरखपुर के आबकारी निरीक्षक का गबन के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

57–श्रीमती गौरी देवी–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरैया डिस्टिलरी सरदार नगर, गोरखपुर के एक आबकारी निरीक्षक ने 19 अप्रैल, 1982 को आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद को एक पत्र द्वारा सरैया डिस्टिलरी के अभिलेख लाकबुक, पी0 डी0 9 शिफ्ट केमिस्ट लाक बुक को अपने कब्जे में लेने और जांच के बाद एक करोड़ 75 लाख रुपये राजस्व घोटाले की सूचना दिया तथा यह भी सूचित किया कि इस घोटाले में दो विभागीय अधिकारी लिप्त हैं? क्या यह भी सत्य है कि दिसम्बर, 81 के पहले के सरैया डिस्टिलरी के सभी अभिलेख अभी अप्राप्य हैं? यदि हां, तो इस सम्पूर्ण मामले में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री विद्या भूषण–

जी हां, किन्तु सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक का पत्र सं0 19 दिनांक 10 अप्रैल, 1982 है जिसमें सूचित की गयी धनराशि रुपये 1,57,74,212 है। रिपोर्ट के अनुसार 12 दिसम्बर, 1981 से 13 फरवरी, 1982 तक के अभिलेख सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक के पास हैं। इस सम्पूर्ण मामले की जांच के आदेश कर दिये गये हैं और सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन, गोरखपुर की अंतरिम जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। संदर्भित रिपोर्ट के आधार पर दोनों विभागीय अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र 170–डुमरियागंज, जनपद बस्ती में निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, बस्ती को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

58–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र 170–डुमरियागंज, जनपद बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए दिनांक 4-6-81 को जिला विकास अधिकारी, बस्ती तथा सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रथम बस्ती से कोई पत्र कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिला अधिकारी, बस्ती को अपने सम्मिलित हस्ताक्षर से भेजा था? यदि हां, तो वह कार्य क्या-क्या हैं? क्या यह सत्य है कि दिनांक 5-6-81 को उसी पत्र पर जिलाधिकारी, बस्ती ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी? यदि हां, तो उन कार्यों को अब तक शुरू न कराये जाने के क्या कारण हैं?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां। कार्यों की सूची संलग्न है। दिनांक 5 जून, 1981 को उसी पत्र पर जिलाधिकारी, बस्ती ने स्वीकृति प्रदान की थी। संलग्न सूची के अनुसार योजनायें स्वीकृत

हुई जिसमें योजना नम्बर 1, 2 विकास खण्ड डुमरियागंज तथा योजना नम्बर 2 विकास खण्ड भनवापुर पर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष योजनाओं पर कार्य कराने हेतु धन उपलब्ध नहीं था। बस्ती जनपद के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कार्य कराने के लिए औसत 1.5 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी जबकि डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र में 6.06 की योजनायें स्वीकृत हुई थी जिसके विरुद्ध 1.80 लाख खर्च किया गया।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 207–208 पर।)

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के अन्तर्गत शिक्षकों के भविष्य निधि एवं जीवन बीमा की पास बुकें

59–श्री राज कुमार राय–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के भविष्य निधि एवं जीवन बीमा की पास बुकें निदेशालय द्वारा वर्ष 1977 में उपरोक्त शिक्षा परिषद् को भेज दी गयी थीं? यदि हां तो उक्त पास बुकें संबंधित शिक्षकों को अब तक क्यों नहीं वितरित की गईं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। पास बुकें बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ को प्राप्त हो गयी हैं। जनपद आजमगढ़ के नगर क्षेत्र के परिषदीय अध्यापकों को वर्ष 1972 के पूर्व की भविष्य निधि की धनराशि के पूर्ण लेखे एवं धनराशि के प्राप्त न होने के कारण पास बुकें अद्यावधिक न होने के कारण अध्यापकों में वितरित नहीं की जा सकी है। ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों के लेखे भी अपूर्ण हैं। अतः उन्हें भी पास बुकें वितरित नहीं हो सकी हैं।

जीवन बीमा की कोई पास बुकें नहीं होती है। अतः, उनके वितरण का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में कमला देवी जू0 हाई स्कूल की स्थिति तथा स्थाई/अस्थाई मान्यता

60–श्री रियासत हुसैन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कमला देवी जू0 हाई स्कूल कहां स्थित है और कब से चल रहा है? क्या विद्यालय स्थाई/अस्थाई मान्यता प्राप्त है? यदि नहीं, तो फिर 1977 से निरन्तर ही सरकारी अनुदान किस आधार पर दिया जा रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक अध्यापक को अवशेष वेतन का भुगतान

61–श्री चेतराम गंगवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय न्यायालय रामपुर के निर्णय एवं आदेशानुसार 3-10-81 से पुनः अपने पद पर कार्यरत अध्यापक श्री राजेन्द्र प्रसाद, विद्या मंदिर हा0 से0 स्कूल रामपुर को 16-11-76 से 2-10-81 तक का अवशेष वेतन तथा 3-10-81 से वर्तमान समय तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अविलम्ब वेतन भुगतान कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नवनिर्मित जूनियर बेसिक पाठशाला जंतुको डीहर में संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध शिकायती पत्र

62–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 22-1-81 को ग्राम तुर्का डीह विकास खण्ड वामन जोत, जनपद गोण्डा के निवासी सर्वश्री जंग बहादुर सिंह व जय वरण सिंह आदि द्वारा एक रजिस्ट्रीशुदा प्रार्थनापत्र जिला अधिकारी, गोण्डा, प्रशासक, जिला परिषद् गोण्डा को हो रहे नवनिर्मित जूनियर बेसिक पाठशाला जंतुको डीहर में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जाने वाली घपलेबाजी के विषय में दिया गया था ? यदि हां, तो उस प्रार्थनापत्र में अंकित शिकायतें क्या थीं और उन शिकायतों को दूर करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं। जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला परिषद्, गोंडा को कथित शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, आगरा के विषय में शिकायती-पत्र

63–श्री बदन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 81 से मई, 82 तक आगरा शहर के कुछ संभ्रान्त नागरिकों के शिकायती-पत्र राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय आगरा के विषय में उन्हें प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री यशपाल सिंह, विधायक, बुलन्दशहर द्वारा दिए गये पत्र पर कृत कार्यवाही

64–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती शकुन्तला भूषण सहायक विकास अधिकारी (महिला) ब्लाक सालारपुर, जनपद बदायूं को स्थायी किये जाने तथा उनके वेतन के भुगतान के संबंध में उसके पुत्र श्री श्याम कुमार शर्मा, 65, कायस्थ बाड़ा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर द्वारा फरवरी, 1982 में एक प्रार्थना पत्र श्री यशपाल सिंह, विधायक, बुलन्दशहर के माध्यम से ग्राम्य विकास मंत्री एवं आयुक्त बरेली मण्डल को दिया गया? यदि हां, तो कार्यवाही क्या की गई?

श्री बलराम सिंह यादव–

प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

मनोरमा कन्या जूनियर हाई स्कूल, मुरादाबाद की अध्यापिकाओं को वेतन दिए जाने का आधार

65–श्री रियासत हुसैन–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि 13 अगस्त, 1980 को मनोरमा कन्या जूनियर हाई स्कूल मुरादाबाद समाप्त हो गया है? यदि हां, तो उस स्कूल की अध्यापिकाओं को सरकार की ओर से वेतन किस आधार पर दिया जा रहा है जबकि यह स्कूल प्राइवेट मैनेजमेंट का था?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गबन की जांच

66–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 फरवरी, 1982 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा कोई पत्र श्री नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गबन के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पूर्ण मामले की जांच करायी गयी? जांच के दौरान कितने आरोप सत्य पाये गये? और उसका क्या परिणाम निकला?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। जांच कराई गयी। जांच के दौरान निम्नलिखित आरोप सत्य पाये गये:–

(1) कनिष्ठ अध्यापक से कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य लिया जाना।

(2) पी0एफ0, जी0पी0एफ0, सी0टी0डी0 एवं एल0आई0सी0 का लेखा-जोखा शिक्षकों को न दिखाया जाना व अभिलेख के रख-रखाव में अव्यवस्था।

(3)छात्रों की छात्रवृत्तियों की धनराशि का हेर-फेर।

उक्त अनियमितताओं के आधार पर वेतन अधिनियम, 1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रबन्ध तंत्र का अतिक्रमण करते हुए विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई।

67–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सेवा निवृत्त डा0 राम लखन पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के अवशेष वेतन का भुगतान

68–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 रामलखन पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया, जनपद बलिया को 21-3-81 को सेवा से निवृत्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्या सेवा से निवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक की आन्तरिक पेंशन तथा नकदीकरण की धनराशि 11,484 रु0 (ग्यारह हजार चार सौ चौरासी रुपया) अवशेष है? यदि हां, तो उक्त अवशेष धनराशि का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? अब तक अवशेष धनराशि का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं। डा0 राम लखन पाण्डेय अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जनवरी, 1981 की अपरान्ह से सेवा निवृत्त हुये थे

जी नहीं।

डा0 राम लखन पाण्डेय सेवा निवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा पेंशन स्वीकृत हो चुकी है। उन्हें अभी अवकाश नकदीकरण का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध शासकीय धन के क्षति की वसूली का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शिव सहाय सिंह, प्रधानाध्यापक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर कृत कार्यवाही

69–श्री थम्मन सिंह गहलौत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव सहाय सिंह प्रधानाचार्य चौधरी बल्देव सिंह हा0 से0 स्कूल बमनौली जिला बिजनौर का आवेदन-पत्र दिनांक 10-11-81 को शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

श्री शिव सहाय सिंह प्रधानाध्यापक ने 10-6-1977 को अपने पद से प्रबन्ध तंत्र को त्याग पत्र दिया। श्री सिंह का कथन है कि यह त्याग पत्र बलपूर्वक बन्दूक की नोक पर लिखवाया गया, जिसको लेकर श्री सिंह ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराया और स्थानीय न्यायालय में फौजदारी (क्रिमनल) केस दायर किया। न्यायालय ने उनके केस को रद्द कर दिया । यह निर्णय 14-6-1982 को दिया गया । निदेशालय द्वारा श्री सिंह के आवेदन पत्र पर जिला विद्यालय निरीक्षक से आख्या की मांग दिनांक 17-8-82 को की गयी । जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख दिनांक 7-9-1982 को प्राप्त हुए जिसके देखने के बाद मामले को मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक मुरादाबाद को अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश 31-1-1983 को दिये जा चुके हैं। मामला अर्द्ध न्यायिक है।

परगनाधिकारी, अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित की गई रिपोर्ट

70–श्री शेरबहादुर सिंह, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री दूधनाथ राजभर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी अकबरपुर, जिला फैजाबाद ने जिलाधीश, फैजाबाद एवं अधीक्षण अभियन्ता, शारदा सहायक, फैजाबाद को ग्राम कोडरा, तहसील अकबरपुर में चक रोड की भूमि पर अनधिकृत रूप से विभाग द्वारा कुलाबा बनाने तथा उक्त गांव के किसानों की भूमि बगैर नोटिस व मुआवजा के लेने की कोई रिपोर्ट माह फरवरी, 1982 में भेजी गयी है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट क्या है? विभाग ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, परगनाधिकारी, अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा जिलाधिकारी को दिनांक 7-2-1982 को एक टिप्पणी प्रेषित की गयी थी जो नीचे उद्धरित है :--

''आज दिनांक 7-2-1982 को मैंने मोहनपुर कोड़रा के बीच के चकरोड का आकस्मिक निरीक्षण किया तो पाया कि इस चकरोड को नहर विभाग की एक चौड़ी नाली द्वारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जिससे वाहनों का आना जाना असंभव हो गया तथा चक मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है । गांव वालों ने मुझे यह भी बताया कि नाली का कुछ हिस्सा उनके खेतों से गया है किन्तु इसके लिए न तो उन्हें कोई नोटिस दी गई और न ही कोई मुआवजा दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया नहर विभाग से संबंधित अधिकारियों को निदेश देने की कृपा करें कि वे इस नाली को चकरोड से हटाकर निजी खेतों में से नियमानुसार संबंधित काश्तकारों को

नोटिस या मुआवजा देकर ही निकालें ताकि चकमार्ग आवागमन या यातायात के लिए पूर्णतः अनवरुद्ध बना रहे।''

कच्ची नाली चकमार्ग के किनारे काश्तकारों के खेतों में उनकी सहमति से भूमि संरक्षण अधिनियम, 1963 के अधीन निर्मित कराई गई जिसमें लाभार्थी कृषकों को मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है। चकमार्ग नीचा होने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। कोड़रा माइनर के कुलाबा नं0 26 पर चकरोड निर्माण कार्य का 3/4 भाग पूर्ण हो गया है तथा शेष 1/4 भाग कार्य अविलम्ब पूर्ण हो जायेगा।

श्री जवाहर लाल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उमानगर, जनपद फैजाबाद के प्रबंधाधिकरण के विरुद्ध ज्ञापन

71–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उमानगर, आदमपुर, जनपद फैजाबाद के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का ज्ञापन दिनांक 3-3-1982 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या आरोप लगाये गये हैं तथा सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नकर्ता का दिनांक 3-3-1982 का कोई ज्ञापन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषदों में पेंशन नियम लागू होने से पूर्व कर्मचारियों को पेंशन सुविधा दिये जाने हेतु कार्यवाही

72–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासकीय आदेश संख्या 514 (2) क/33-1-16/78, दिनांक 10-4-1979 के अन्तर्गत जिला परिषदों में ऐसे कर्मचारियों जो पेन्शन नियम लागू होने के पूर्व सेवा निवृत्त हुये हैं, को पेंशन की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में जिला परिषद्रों से सूचनायें मांगी गयी थीं? यदि हां, तो शासकीय स्तर पर इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा इस विषय में कब तक अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

शासन द्वारा विचार करने के उपरान्त अंतिम निर्णय लिया जा चुका है कि व्यवहारिक एवं विधिक कठिनाइयों के कारण 1-1-71 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन लाभ दिया जाना संभव नहीं है । इस निर्णय से समस्त जिला परिषदों को शासनादेश संख्या 598 (विम) क/33–1–16/78 ए0 क्यू0 दिनांक 22 नवम्बर, 1982 द्वारा सूचित कर दिया गया है।

ग्राम प्रधान व पंचायत के चुनाव में अनियमितताएं

73–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 10-4-82 को हुए ग्राम प्रधान व पंचायत के अन्य सदस्यों के चुनाव में हुई अनियमितताओं के बारे में श्री छेदन ग्राम परसिया, तह0 तरबगंज, ब्लाक वजीरगंज, गोण्डा का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 24-8-82 प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतों का ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां। शिकायतों का ब्योरा संलग्न है।

शिकायत कर्ता के द्वारा परगनाधिकारी तरबगंज के न्यायालय में इस चुनाव के विरुद्ध एक चुनाव याचिका दायर की गई है। जो न्यायालय के विचाराधीन है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 209 पर।)

74–श्री राम आसरे वर्मा–

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

स्व0 श्री नृपति राम सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला सिघवन, जिला जौनपुर के पुत्र की नियुक्ति के विषय पर आवश्यक कार्यवाही

75–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि स्व0 श्री नृपति राम सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला सिघवन, पोस्ट पचवल रामपुर, जिला जौनपुर की मृत्यु 1978 में सेवाकाल में ही हो गयी थी, यदि हां, तो इनके पुत्र श्री राम सजीवन की नियुक्ति हेतु सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने अपने आदेश संख्या 48043-44/पांच–18(1)/80-81 दिनांक 11-1-81 को इस आशय के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर को भेजा कि कार्यालय के पत्रांक बे0शि0प0/10972-11266/एक–2/80-81 दिनांक 26-6-1980 में दिए गए निर्देशानुसार नियुक्ति के विषय पर आवश्यक कार्यवाही करें? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

पद रिक्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी। प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध तथा शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

76–श्री सन्त बक्स रावत–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो आन्दोलन की संघर्ष समिति के संयोजक एवं भू0 पू0 एम0 एल0 ए0 श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी ने दिनांक 28-7-81 तथा 1-8-81 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को पत्र लिख-कर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध तथा शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें की हैं? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

मुख्य शिकायतों की सूची संलग्न है।

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक फैजाबाद द्वारा दिनांक 17-8-81 तथा 24-8-81 को जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद को जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 210 पर।)

श्री विभूति राय, बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध जांच

77–श्री गोपीनाथ वर्मा–

प्रथम सत्र 1982 के तीसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विभूति राय बी0 डी0 ओ0 को किस दिनांक से निलम्बित किया गया तथा उनके विरुद्ध जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद बस्ती में पुष्टाहार योजनान्तर्गत कथित चावल विक्रय के पुलिस द्वारा पकड़ने की समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत की तत्कालीन जिला विकास अधिकारी द्वारा की गयी प्रारम्भिक जांच के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी श्री विभूति राय को वैभागिक आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 1981 द्वारा निलम्बित किया गया तथा उप विकास आयुक्त, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी। जांच में श्री राय को अभिलेखों का रख-रखाव भली भांति न करने एवं अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करने का दोषी पाया गया तथा उनकी चरित्र-पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करते हुए उनको दिनांक 22 मार्च, 1982 को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर बहाल कर दिया गया है।

प्राइमरी पाठशाला लक्ष्मनपुर एनेका ब्लाक टांडा, फैजाबाद का भवन निर्माण

78–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पा0 लक्ष्मनपुर एनेका ब्लाक टांडा, फैजाबाद का भवन निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 4-9-81 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रा0 पा0 का भवन निर्माण कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

वर्ष 1981-82 में भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु जनपद फैजाबाद को प्राप्त अनुदान से प्रश्नगत विद्यालय का भवन निर्माण हेतु जिला बेसिक शिक्षा समिति ने चयन कर लिया है। भवन निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि दिनांक 26 मार्च, 1982 को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फैजाबाद को उपलब्ध करा दी गयी थी तथा भू-स्थल का नजरी-नक्शा एवं अन्य कागजात भी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फैजाबाद को 29 जनवरी, 1983, को दे दिये गये हैं। भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा प्रारम्भ किया जाना है।

मण्डी समिति में सचिव के पद पर नियुक्ति तथा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार

79—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कृषि मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंडी समितियों में सचिव पद पर नियुक्ति हेतु कृषि विभाग से अप्रशिक्षित अधिकारियों को भेजा गया? यदि हां, तो विभाग के प्रशिक्षित अधिकारियों को क्यों नहीं भेजा जा रहा है?

श्री यशपाल सिंह—

कृषि विभाग से उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 के 16 अधिकारियों को मंडी परिषद् के अधीन प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया। इनमें से 5 अधिकारी मंडी सचिव का प्रशिक्षण प्राप्त थे तथा 11 अधिकारी अप्रशिक्षित थे। 5 प्रशिक्षित अधिकारियों को मंडी निदेशक द्वारा मंडी सचिव के पद पर तैनात किया गया। अप्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती मंडी सचिव के पद पर नहीं की गई।

80—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी नियमावली, 1965 के नियम 59 में संशोधन किया जा रहा है? यदि हां, तो संशोधन का प्रारूप क्या है?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां। उक्त संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है किन्तु संशोधन का प्रारूप अभी निश्चित नहीं हुआ है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ में कार्यरत शिक्षकों के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

81—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को अगस्त, 72 के पूर्व के 25948 रुपए के बकाये के भुगतान के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

एग्रो को भेजा गया बैंक स्टेटमेन्ट तथा डेबिट नोट प्राप्त होने की तिथि

82—श्री रामलाल वर्मा—

विधान सभा द्वितीय सत्र 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि फरवरी, 78 का बैंक स्टेटमेन्ट एग्रो को कब भेजा गया तथा डेबिट नोट कब मिला और फरवरी, 78 का रिकन्सीलेशन (बैंक रिकन्सीलेशन) कब तैयार किया गया तथा एग्रो ने क्या कार्यवाही की?

श्री यशपाल सिंह–

फरवरी, 1978 का बैंक स्टेटमेंट अप्रैल, 1978 में बैंक द्वारा एग्रो को भेजा गया था। डेविट नोट जिन तिथियों में मिला उसका विवरण संलग्नक में अंकित है। फरवरी, 1978 का बैंक रिकन्सीलेशन दिनांक 10 मई, 1978 को तैयार किया गया। बैंकों से प्राप्त डेविट नोट तथा उसके साथ क्रय बिलों का विवरण एग्रो द्वारा संबंधित शाखाओं को भेजा गया। शाखा स्तर पर बिक्री केन्द्रों से प्राप्त माल का विवरण प्राप्त किया गया जिसका मिलान बैंकों द्वारा प्रेषित बिलों एवं मुख्यालय खाते का रिकन्सीलेशन पूर्ण किया गया। शाखा कार्यालयों के लेखा तथा मुख्यालय के लेखा पुस्तकों के मिलान के समय अधिक भुगतान/दोहरा भुगतान की धनराशि प्रकाश में आयी जो कि भारतीय खाद्य निगम ने बैंकों के माध्यम से एग्रो से प्राप्त कर ली थी। तत्पश्चात् एग्रो द्वारा भारतीय खाद्य निगम की लेखा पुस्तकों से रिकन्सीलेशन किया गया एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिक प्राप्त की गयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही की गई तथा पूर्ण धनराशि एग्रो द्वारा वसूल की जा चुकी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 211 पर।)

मैसर्स रैलिस इन्डिया के रोगोर के नमूनों की रिपोर्ट

83–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मै0 रैलीज इंडिया के रोगोर के कितने नमूने गत वर्ष निम्नस्तर के पाए गये और कृषि विभाग ने फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

गत वर्ष 1981-82 में मैसर्स रैलीज इन्डिया के रोगोर के 104 नमूने विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं को भेजे गये जिसमें 48 नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो मानक स्तर के हैं। शेष 56 नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। यदि विश्लेषण रिपोर्ट निम्न स्तर की हुई तो फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

शिक्षा विभाग तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक में लिये गये निर्णय

84–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट, 1921 एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त ऐसे स्कूलों के प्रबन्ध के विषय में जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत शत प्रतिशत अनुदान से संचालित होते हैं, दिनांक 17 मई, 1982 को सचिव, शिक्षा विभाग के कक्ष में शिक्षा विभाग तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी? यदि हां, तो उक्त बैठक में उक्त विषय पर लिए गये निर्णय पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ मूक बधिर विद्यालय एशबाग, लखनऊ एवं हरिजन प्राइमरी पाठशाला बड़ी लाल कुर्ती कैन्ट रोड, लखनऊ के संबंध में विचार विमर्श हेतु प्रश्नगत बैठक दिनांक 17-5-82 को हुई थी। हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के परिपालन में कुछ कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं जिन पर सम्प्रति विचार किया जा रहा है।

राजकीय आंग्ल भाषा शैक्षिक संस्था, इलाहाबाद में कार्यरत लाइब्रेरियन श्रीमती उमा मिश्रा के अवशेष वेतन वृद्धि का भुगतान तथा नये वेतनमान के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण

85–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय आंग्ल भाषा शैक्षिक संस्था, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद में कार्यरत लाईब्रेरियन (श्रीमती उमा मिश्रा) के अवशेष वेतनवृद्धि आदि का लगभग 2,000 रु0 का भुगतान उन्हें वर्ष 1975 से अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? उसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है? सरकार कब तक उनके अवशेष देय का भुगतान कर देगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

86–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि उक्त लाईब्रेरियन को अब तक स्थायी न किये जाने का क्या कारण है और क्या उनका वेतन नए वेतनमानों के अन्तर्गत कब तक निर्धारित कर दिया जायगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ मण्डल में हुए स्वीकृत प्राइमरी तथा जूनियर स्कूल तथा उनके भवनों का निर्माण

87–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 में कितने प्राइमरी तथा जूनियर स्कूल स्वीकृत हुए? जितने प्राइमरी स्कूल 31-7-82 तक स्वीकृत हुए हैं, सब चालू हो गये हैं? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है? उक्त विद्यालयों में से कितनों के भवन पूर्ण रूप से बन चुके हैं, कितने निर्माणाधीन हैं और कितनों का बनना ही नहीं शुरू हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

135 प्राइमरी तथा 73 जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत हुये।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान स्थिति संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 212–213 पर।)

भूमि संरक्षण विभाग पडरौना को धन का आवंटन तथा पडरौना व विशुनपुरा विकास खण्डों में चकरोड एवं साइफन का निर्माण

88–डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक नहर समादेश, गोरखपुर के अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग पडरौना, देवरिया में वर्ष 1981-82 में कितना धन आवंटित किया गया? इसी के साथ-साथ मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गूल बनाने में 1981-82 में कितनी ईंटों का उपयोग किया गया?

श्री बलराम सिंह यादव–

गण्डक नहर समादेश गोरखपुर के अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग पडरौना, देवरिया वर्ष 1981-82 में कुल 52,60,954 रुपया आवंटित किया गया तथा गूल बनाने में पडरौना मण्डल में कुल 49,32,617 ईंटों का प्रयोग किया गया।

89–डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1981-82 में कितने गूल, चकरोड एवं साइफन का निर्माण पडरौना एवं विशुनपुरा विकास खण्ड, देवरिया में हुआ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

वर्ष 1981-82 में देवरिया जनपद के पडरौना विकास खण्ड में 341.389 कि0 मी0 कच्ची गूल, 30.276 कि0 मी0 पक्की नाली, 128.596 कि0 मी0 चकरोड तथा 130 साइफन एवं विशुनपुरा विकास खण्ड में 176.411 कि0 मी0 कच्ची गूल, 12.794 कि0 मी0 पक्की गूल, 95.367 कि0 मी0 चकरोड तथा 23 साइफन का निर्माण हुआ। जिन नहरों पर यह कार्य हुआ उनका विवरण संलग्नक में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 214 पर।)

जनपद आजमगढ़ के गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, मारुफपुर मर्यादपुर के प्रबन्ध समिति के सदस्य एवं पदाधिकारियों के नाम

90–श्री हरिवंश सहाय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, मारुफपुर मर्यादपुर में मान्यता प्राप्त प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम क्या हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उप कृषि निदेशक (कृषि) मण्डल, फैजाबाद का स्थानान्तरण

91–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक (कृषि) मण्डल, फैजाबाद का स्थानान्तरण वर्ष 1982-83 में शासन द्वारा किया गया? क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो स्थानान्तरण आदेश निरस्त किए जाने का क्या कारण रहा?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

तदोपरान्त जनहित में स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया गया।

92–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या कृषि मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक (कृषि) मण्डल, फैजाबाद क्लास–1 के अधिकारी हैं तथा अपने ही गृह जनपद में करीब 4 वर्षों से कार्यरत हैं तथा राजनैतिक दबाव के कारण शासनादेश के विरुद्ध सेवारत हैं? यदि हां, तो क्या उक्त उप निदेशक का स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां, सम्बन्धित अधिकारी कृषि सेवा श्रेणी–1 के अधिकारी हैं तथा उनका गृह जनपद फैजाबाद है और वे लगभग 4 वर्ष से फैजाबाद में कार्यरत हैं। उप कृषि निदेशक फैजाबाद के स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

गिरजा लघु माध्यमिक विद्यालय टांडा, जनपद फैजाबाद को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी आवेदन-पत्र

93–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गिरजा लघु माध्यमिक विद्यालय टांडा, जनपद फैजाबाद को स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ उक्त विद्यालय के प्रबन्धक का आवेदन-पत्र एवं विद्यालय से सम्बन्धित कागजात दिनांक 27-8-82 का उन्हें प्राप्त हो चुका है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

जी नहीं।

विद्यालय के शासन द्वारा निधारित माप के शिक्षण कक्ष और विद्यालय का निजी भवन न होने के कारण स्थायी मान्यता प्रदान नहीं की गयी।

भरत कुन्ड (फैजाबाद) के विकास हेतु योजना पर विचार

94–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भरत कुन्ड (फैजाबाद) के विकास हेतु 1982-83 में कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)–

भरत कुन्ड की पर्यटन विकास की योजना वर्ष 1981-82 में ही स्वीकृत की जा चुकी है। उक्त योजना के अन्तर्गत कुन्ड के चारों ओर पक्के घाटों और सड़कों का निर्माण उनके समीप दुकानें व मिल्क बार का निर्माण तथा भरत मन्दिर का सुधार प्रस्तावित है।

अयोध्या (फैजाबाद) में पर्यटक आवास गृह का निर्माण

95–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या पर्यटन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या (फैजाबाद) में 100 शैय्या वाले पर्यटक आवास गृह का निर्माण 1981-82 से शासन के विचाराधीन है? इसमें किन लोगों की कितनी-कितनी भूमि अर्जित की गयी है? अर्जित भूमि का प्रतिकर सम्बन्धित व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

अयोध्या (फैजाबाद) में 100 शैय्या वाले पर्यटक आवास गृह के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके लिए केवल नजूल भूमि ही अर्जित की गई है, अतः किसी व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पूर्ण मासी, सहायक अध्यापक, कुतुबपुर, जनपद फैजाबाद के बकाया वेतन का भुगतान

96–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री पूर्ण मासी, सहायक अध्यापक, कुतुबपुर, शिक्षा क्षेत्र पूरा बाजार, जनपद फैजाबाद का 21-7-81 से अब तक का बकाया वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 22-7-82 को शिक्षा मन्त्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सम्बन्धित अध्यापक का बकाया वेतन भुगतान करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 राम लखन पाण्डे, सेवा निवृत जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को अवशेष धनराशि का भुगतान

97–श्री गोपीनाथ वर्मा–

द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–176 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न से सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद बलिया को अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

डा0 राम लखन पाण्डे, सेवा निवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा पेंशन स्वीकृत हो चुकी है। उन्हें अभी अवकाश नगदीकरण का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध शासकीय धन के क्षति की वसूली का प्रश्न विचाराधीन है।

98–श्री राम आसरे वर्मा–

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जगन्नाथ प्रसाद साहू इण्टर कालेज मेंहदीगंज, लखनऊ में अनुसूचित जाति व जन जाति के कार्यरत अध्यापक

99–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जगन्नाथ प्रसाद साहू इण्टर कालेज मेंहदीगंज, लखनऊ में सी0 टी0, एल0 टी0 व प्रवक्ता के वेतनक्रम में कितने अनुसूचित जाति व जन जाति के अध्यापक कार्यरत हैं? क्या आरक्षण का कोटा पूरा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कोटा कब तक पूरा हो जायगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

शून्य।

नहीं।

अब जब भी नये पद सृजित हो कर नियुक्तियां होंगी अथवा कोई रिक्ति होगी तो उन पर अनुसूचित जाति व जन जाति की ही नियुक्तियां कराई जायेंगी।

राजकीय इण्टर कालेज, बाड़ेछीना (अल्मोड़ा) के प्रभारी प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

100–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, बाड़ेछीना (अल्मोड़ा) के प्रभारी प्रधानाचार्य (श्री डूंगर सिंह नेगी) के विरुद्ध जनवरी/फरवरी, 1982 में कालेज के छात्रों तथा उनके अभिभावकों की ओर से शिक्षा निदेशक तथा अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) से शिकायत की गयी है कि श्री नेगी ने जब से कालेज के प्रधानाचार्य का पद संभाला है तब से कालेज में न तो नियमित ढंग से पढ़ाई हो रही है और न अनुशासन ही रह गया है ? इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य ने विद्यालय की चल व अचल सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है जिससे बचने के लिए स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम से भू0 पू0 प्रधानाचार्य को दोषी ठहराने के लिए फर्जी तार व शिकायतें विभागीय अधिकारियों को भेजते रहते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

101–श्री गोपीनाथ वर्मा–

यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी या सी0 आई0 डी0 से कराकर उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करेगी ? जिससे छात्रों/अभिभावकों के रोष का निराकरण हो और विद्यालय की छवि धूमिल न होने पाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

शिक्षा निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं कि वे इस मामले में किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायें ।

उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय फैजाबाद में आरक्षित वर्ग की रिक्ति को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से भरने की शिकायत

102–श्री गोपीनाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–40 के उत्तर एवं शासनादेश संख्या 3186/15 (5)/81–

101 (31)/81 दिनांक 7-8-81 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री राम खेलावन, अध्यापक को अब सेवायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षित वर्ग की रिक्ति को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से भरने हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के लिए बैंक मैनेजर द्वारा रिश्वत मांगे जाने के कथित आरोप की जांच

103–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि श्री विश्वनाथ प्रसाद, मोहल्ला कश्मिरिया टांडा, फैजाबाद आदि को बैंक द्वारा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात् बैंक मैनेजर द्वारा ऋण दिये जाने हेतु 300 रुपये रिश्वत मांगे जाने के सम्बन्ध में प्रश्न-कर्त्ता का शिकायती पत्र हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में प्राप्त हुआ है, जिसे उस विभाग ने अपने अ0 शा0 प0 सं0 8590, दिनांक 26-3-82 को उक्त सम्बन्ध में जांच कराकर कार्यवाही किये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग को भेजा था? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में जांच का सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गई ।

श्रीमती गोदावरी देवी सहायक अध्यापिका, फैजाबाद के अवशेष वेतन का भुगतान

104–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती गोदावरी देवी सहायक अध्यापिका, फैजाबाद के अवशेष वेतन तथा एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 16-2-82 को कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त अध्यापिका की सम्पूर्ण बकाया धनराशि भुगतान कर दी गयी ? यदि नहीं, तो कब तक बकाया धनराशि का भुगतान करा दिया जाएगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जी नहीं ।

बकाया धनराशि का भुगतान यथासम्भव शीघ्र करा दिया जायेगा।

105–श्री गोपीनाथ वर्मा–

(दिनांक 30-8-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या–71 द्वारा उत्तरित)

जनपद बांदा में राहत कार्य में हुये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच

106–प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 व 1979-80 में जनपद बांदा में राहत कार्य में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच शासन की ओर से कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा दिनांक 30 जुलाई, 1982 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

इस सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही जांच अभी पूर्ण नहीं बतायी गई है । जांच पूर्ण होने के पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

107–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला विकास अधिकारी, गाजीपुर द्वारा जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों का निरसन

108–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 420/2–स्था0–217/6 (ग्रामसेवक) 82/1, दिनांक अगस्त 5, 1982 के अनुपालन में जिला विकास अधिकारी, गाजीपुर द्वारा 21-6-82 से 19-7-82 तक की अवधि में जारी किये गये लगभग 104 स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

56 ग्राम्य विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये। 32 ग्राम्य विकास अधिकारियों ने प्रसंगगत आदेश दिनांक 5 अगस्त, 1982 को प्राप्त होने के पूर्व अपने स्थानान्तरित विकास खण्ड में योगदान कर लिया था। शेष 16 ग्राम्य विकास अधिकारियों को उनकी सुविधानुसार उनके अनुरोध पर समायोजित कर दिया गया है ।

डिग्री कालेज, गाजीपुर में अनियमितताओं, प्रशासनिक दुर्व्यवस्था की जांच

109–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डिग्री कालेज, गाजीपुर के अनियमितताओं, प्रशासनिक दुर्व्यवस्था तथा प्रबन्धकीय विवाद के सम्बन्ध में जून, 80 से जुलाई, 82 के बीच प्राप्त शिकायतों पर जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और जांच के क्या परिणाम निकले तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अनियमितताओं तथा प्रशासनिक दुर्व्यवस्था की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0 प्र0 द्वारा कराई गई थी।

जांच के फलस्वरूप कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गई । प्रबन्धकीय विवाद के सम्बन्ध में गोरखपुर विश्वविद्यालय ने किसी जांच की आवश्यकता नहीं समझी ।

उक्त अधिनियम की धारा 57-58 के अन्तर्गत पर्याप्त आधार न होने के कारण कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

श्री किसान इण्टर कालेज, घिरामयी, एटा में व्याप्त आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायतें

110–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किसान इण्टर कालेज, घिरामयी, एटा में व्याप्त आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायतें 1 अप्रैल, 1982 से 31 अगस्त, 1982 के बीच शासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा इनके सम्बन्ध में उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां, प्रबन्धकीय विवाद, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग से प्राप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि के घोटाले, कृषि फार्म से होने वाले आय के घोटाले, विभागीय आदेशों की अवहेलना आदि की प्रमुख शिकायतें हैं।

विद्यालय के प्रबन्धतंत्र को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ की उपधारा 9 के अन्तर्गत निलम्बित किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

111–श्री राम लाल वर्मा–

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

112–श्री राम लाल वर्मा–

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

एग्रो द्वारा गेहूं खरीद योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये टेन्डर

113–श्री राम लाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में एग्रो द्वारा गेहूं खरीद योजना के अन्तर्गत शाखा प्रबन्धक, बरेली द्वारा पल्लेदारी के टेन्डरदाताओं में से न्यूनतम 50 पैसे के स्थान पर अधिकतम दर 83 पैसे प्रति बोरी के टेन्डरदाताओं में सुरेन्द्र कुमार का टेंडर स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो 50 पैसे के स्थान पर 83 पैसे के टेंडर को स्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

50 पैसे के स्थान पर 83 पैसे की दर से पल्लेदारी के फलस्वरूप निगम पर अतिरिक्त व्यय भार कितना पड़ा और इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं अतिरिक्त व्यय भार के फलस्वरूप हुई हानि की प्रतिपूर्ति कैसे की गयी ?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

सुरेन्द्र कुमार नाम से बरेली मण्डल के किसी भी केन्द्र हेतु कोई भी पल्लेदारी का टेन्डर स्वीकृत नहीं किया गया। शाखा प्रबन्धक, बरेली द्वारा 50 पैसे प्रति बोरी से कम के टेंडर न स्वीकृत करने का निर्णय शासन के निर्देशों एवं आयुक्त, बरेली मण्डल के आदेश के अन्तर्गत लिया गया।

एग्रो के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

114–श्री राम लाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एग्रो द्वारा कर्मचारियों की कोई सेवा नियमावली तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो सेवा सम्बन्धी मामलों का निस्तारण कैसे व किस आधार पर किया जाता है ?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से प्राप्त माडल सर्विस रूल्स के आधार पर एग्रो के कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार कर ली गई है जिसे अन्तिम रूप देने की कार्यवाही

की जा रही है। निगम के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों एवं प्रचलित शासनादेशों के आधार पर किया जाता है।

हार्टिको में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

115–श्री राम लाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि एग्रो की सह कम्पनी हार्टिको में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि हां, तो कितने कर्मियों को नियमित किया गया तथा उनकी निगम में कितने वर्षों की सेवाएं थीं ?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

117 वेतन भोगी कर्मचारियों को, जिन्होंने 1-8-1978 को 240 दिन की सेवायें पूर्ण कर ली, नियमित किया गया। उनकी निगम में एक से आठ वर्षों की सेवायें थी।

एफ0 सी0 आई0 द्वारा बैंकों के माध्यम से प्राप्त किये डुप्लीकेट बिल तथा वसूली के निर्देश

116–श्री राम लाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या-12 के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि एग्रो से 25-26 लाख का दोहरा भुगतान एफ0 सी0 आई0 द्वारा एक बार में एक बिल बनाकर बैंक से लिया गया या अनेक बार में ? यदि एक बार में डुप्लीकेट बिल बनाकर भुगतान लिया गया तो उसका बिल नम्बर तथा किस बैंक से कब भुगतान लिया और यदि अनेक बार में तो कब-कब कितनी-कितनी धनराशि किन-किन डुप्लीकेट बिलों द्वारा किस-किस बैंक से वसूल की गयी और इसकी सूचना एग्रो को कब मिली तथा एग्रो द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह–

25-26 लाख का दोहरा भुगतान एफ0 सी0 आई0 द्वारा 19 बिल बनाकर अनेक बार में बैंक से लिया गया जिसका विवरण संलग्न है। इसकी सूचना एग्रो को जनवरी, 1979 में मिली। एग्रो द्वारा धन की वसूली की कार्यवाही की गई और एग्रो ने समस्त धनराशि एफ0 सी0 आई0 से वसूल कर ली है। इस त्रुटि को भविष्य में रोकने के लिये एग्रो द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 215 पर।)

एग्रो के सचिव श्री के0 एन0 पाठक की नियुक्ति की शर्तें

117–श्री राम लाल वर्मा–

प्रथम सत्र 1981 के पहले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-80 के क्रम में क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि एग्रो के सचिव, (श्री के0एन0 पाठक) की नियुक्ति किन शर्तों

के अधीन की गयी और उनके द्वारा अनुबन्ध पत्र किस दिनांक को निष्पादित किया गया ? कृपया यह भी बतलायेंगे कि जब माननीय सदन में 28-5-79 को श्री पाठक के विरुद्ध राजनैतिक प्रभाव के प्रयोग का मामला सिद्ध पाया गया तो उन्हें 11-6-80 को परिवीक्षा काल समाप्ति के आदेश क्यों पारित किए इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या शासन सम्पूर्ण मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह–

एग्रो के सचिव (श्री के0एन0पाठक) की नियुक्ति संलग्न शर्तों के अधीन की गयी थी और उनके (श्री पाठक) द्वारा दिनांक 1-7-1978 को अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया गया। श्री पाठक द्वारा राजनैतिक प्रभाव का प्रयोग करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक से जानकारी प्राप्त की गई। उनके विरुद्ध लगाया गया उक्त आरोप निराधार पाया गया। अत: श्री पाठक के कार्य एवं आचरण की समीक्षा के उपरान्त दिनांक 11-6-80 को परिवीक्षा काल समाप्त किये जाने के आदेश पारित हुये चूंकि इस मामले में कोई अनियमितता नहीं इसलिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। ऐसी परिस्थिति में सी0 आई0 डी0 की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 216 पर।)

एग्रो के कर्मचारियों की भविष्य निधि खाता तथा बैलेंन्सशीट

118–श्री राम लाल वर्मा–

प्रथम सत्र 1981 के प्रथम सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–18 तथा द्वितीय सत्र के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि एग्रो में कर्मचारी भविष्य निधि खाते के वार्षिक लेखे (बैलेन्सशीट आदि) किस वर्ष तक के बन गए हैं और कितने वर्षों के लेखे बनाने शेष रह गये हैं तथा कितने समय में पूर्ण कर रेगुलर हिसाब किताब हो जायगा ? इस समय कितने कर्मचारियों को किस वर्ष तक की वार्षिक स्लिपें दी जा चुकी हैं ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह–

एग्रो में कर्मचारी भविष्य निधि खाते के वार्षिक लेखे (बैलेन्सशीट आदि) वर्ष 1972-73 के तैयार किये जा चुके हैं और वर्ष 1973-74 से वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे तैयार किये जाने शेष हैं। वर्ष 1973-74 के वार्षिक खाते मार्च, 1983 तक पूर्ण कर लिये जाने की आशा है। शेष वर्षों के वार्षिक खाते पूरा करने का कार्य तत्परता से चल रहा है। वर्ष 1974-75 तक लगभग 950 सदस्यों को उनकी लेखा स्लिप उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्यालय से सम्बन्धित कर्मचारियों की लेखा स्लिपें वर्ष 1977-78 तक जारी की जा चुकी है। वर्कशाप के 608 सदस्यों की लेखा स्लिपें भी वर्ष 1978-79 तक जारी करते हुये उनके खातों की धनराशि माह दिसम्बर, 1978 में रीजनल प्रावीडेन्ट फंड कमिश्नर को हस्तान्तरित की जा चुकी है। शेष वर्षों की पोस्टिंग का कार्य तत्परता से जारी है। मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य मण्डलों की वर्ष 1977-78 तक की लेखा स्लिपें मार्च, 1983 तक जारी किये जाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश की प्राइमरी पाठशालाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के अध्यापक व अध्यापिकाएं

119–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में 31 मार्च, 82 को कुल कितने अध्यापक तथा अध्यापिकायें अलग-अलग थीं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के कितने जन जाति के कितने पिछड़े वर्ग के तथा कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र तथा अध्यापक

120–श्री रामस्वरूप वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में कुल कितने छात्र तथा अध्यापक 31 मार्च, 82 को थे तथा उनमें कितने अनुसूचित जाति के, कितने जन जाति के, कितने पिछड़े वर्ग के तथा कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

31मार्च, 1982 को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में कुल 1257 छात्र तथा 90 अध्यापक थे जिनमें से 34 छात्र अनुसूचित जाति के, 72 पिछड़े वर्ग के, 40 अल्पसंख्यक वर्ग के तथा अनुसूचित जनजाति का कोई छात्र नहीं थी। अध्यापकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग का कोई अध्यापक नहीं था।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाएं तथा महाविद्यालय तथा अनुदान सूची

121–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने संस्कृत पाठशालाएं तथा महाविद्यालय हैं उनमें कितने सरकारी अनुदान प्राप्त हैं? और उन्हें वर्ष 1981-82 में कुल कितना अनुदान दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रदेश में कुल 1428 मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालायें है । इनमें वर्ष 1981-82 तक 1068 पाठशालायें सरकार द्वारा अनुदान सूची पर हैं।उन्हें वर्ष 1981-82 में कुल 2,83,58,759 रु0 अनुदान के रूप में दिया गया।

नगरपालिका फर्रुखाबाद के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला नाला शिम्तशुमाल के भवन का निर्माण

122–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका फर्रुखाबाद के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला नाला शिम्तशुमाल के भवन निर्माण के लिये वर्ष 1981-82 में 90,000 रुपया स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब तक पूर्ण होने की आशा है ? यदि नहीं, तो कार्य न प्रारम्भ किए जाने के लिए कौन दोषी है ? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

नगरपालिका, फर्रुखाबाद के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला नाला शिम्तशुमाल के भवन के निर्माण के लिये वर्ष 1981-82 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कन्या उ0 मा0 विद्यालय, सीतापुर में विज्ञान की अध्यापिकाएं

123–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र क्रम सं0 2688/82, दिनांक 24-8-82, जिसमें राजकीय कन्या उ0 मा0 विद्यालय, सीतापुर में विज्ञान की अध्यापिकाएं न होने के बारे में लिखा गया है, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

विज्ञान के विषयों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध शिक्षा निदेशक द्वारा कर दिया गया है।

श्रीमती गिरिजा देवी अवस्थी, सीतापुर द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

124–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30-8-82 के आस-पास किसी दिन प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्रीमती गिरिजा देवी अवस्थी, सीतापुर का कोई पत्र उनके पति श्री विष्णु शंकर अवस्थी दफ्तरी राजकीय कन्या उ0 मा0 विद्यालय, सीतापुर को लिपिक पद पर प्रोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए शिक्षा निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री रामदास अग्निहोत्री, सहायक अध्यापक, जू0 हा0 स्कूल, कायमगंज का बकाया वेतन भुगतान

125–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी मिली है कि फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां रामदास अग्निहोत्री सहायक अध्यापक, जू0हा0 स्कूल, कायमगंज को दो वर्षों से वेतन न मिलने की शिकायत विचाराधीन है? यदि हां, तो अभी तक वेतन भुगतान न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन विकास खण्डों को स्वीकृत धनराशि

126–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन विकास खण्डों को जन प्रतिनिधियों के सुझाव पर विकास कार्य करने हेतु वर्ष 1982-83 के लिये धनराशि सीतापुर जिले में किस तिथि को पहुंची तथा प्रति ब्लाक कितना रुपया स्वीकृत हुआ ?

बलराम सिंह यादव–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन विकास खण्डों को जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर कार्य कराने हेतु वर्ष 1982-83 में गत वर्ष की भांति पृथक से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

सिंचाई विभाग के सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को वर्ग 3 के पदों पर नियुक्त किये जाने के आदेश

127–श्री रघुबीर सिंह यादव तथा श्री बंशीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की पोस्टिंग मार्च, 1973 में नलकूप विभाग में हुई थी, उनको 1975 में आपात काल के समय नलकूप चालक के पद पर रिवर्ट कर दिया गया था और जो रिवर्ट किए गये थे उनमें से अभी हाल में ही दो सौ व्यक्तियों को सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के पद पर कृषि विभाग में लिया गया है यदि हां, तो क्या कृषि मंत्री जी शेष कर्मचारियों को भी कृषि विभाग में ले लिए जाने हेतु आदेश देंगे?

श्री यशपाल सिंह–

सिंचाई विभाग के सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों में से दो सौ व्यक्तियों को कृषि विभाग में वर्ग-3 के पदों पर ले लिया गया है। शेष कर्मचारी जो एम0 एस-सी0 (कृषि)/बी0एस-सी0 (कृषि) हैं, की नियुक्ति के लिये आवश्यक निर्देश कृषि निदेशक को दे दिये गये हैं।

देवरिया जिले के बी0 जी0 आई0 का स्थानान्तरण

128–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में कितने ऐसे बी0 जी0 आई0 हैं जिनका कार्यकाल 5 साल से ऊपर हो गया है ? क्या सरकार उन्हें स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

कोई नहीं।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

129–श्री नन्द किशोर सिंह–

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री मंगला प्रसाद पाण्डेय, सहायक अध्यापक, राजकीय प्रेम चन्द्र ट्रेनिंग कालेज के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

130–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मंगला प्रसाद पाण्डेय, सहायक अध्यापक, राजकीय प्रेमचन्द्र ट्रेनिंग कालेज, गोरखपुर के भ्रष्टाचार के संबंध में श्री सुदामा ने जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 82 को तथा प्रश्नकर्ता ने दिनांक 9 जुलाई, 1982 को प्रार्थना पत्र शिक्षा सचिव तथा शिक्षा अधिकारियों को दिया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1982 के शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं लेकिन प्रश्नकर्ता का जुलाई, 1982 का शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

जनपद देवरिया में कृषि रक्षा अधिकारी का रिक्त पद

131–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला में कृषि रक्षा अधिकारी का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब तक वहां पर अधिकारी भेजा जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां। वर्ष 1983 में वार्षिक स्थानान्तरण के समय देवरिया जनपद में कृषि रक्षा अधिकारी तैनात किया जायेगा।

श्री रहमत अली, प्रधान अध्यापक, जूनियर बेसिक विद्यालय, चिनहट, लखनऊ का स्थानान्तरण

132–श्री जगदीश सिंह तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सरकार को जानकारी है कि रहमत अली प्रधानाध्यापक, जूनियर बेसिक विद्यालय, चिनहट, लखनऊ विगत 20 वर्षों से उसी स्कूल में कार्यरत हैं, अब तक उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण तुरन्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

श्री रहमत अली, प्रधान अध्यापक, जूनियर बेसिक विद्यालय, चिनहट जनपद, लखनऊ का कार्य एवं आचरण अच्छा है। इसलिये स्थानान्तरण किया जाना जनहित में उचित नहीं है।

प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, हलियापुर, सुल्तानपुर के विरुद्ध फर्जी टी0सी0 बनाये जाने की शिकायत

133–श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सरकार बतायेगी कि प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, हलियापुर, सुल्तानपुर (श्री समर बहादुर सिंह) के विरुद्ध फर्जी टी0 सी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह, विधायक का कोई शिकायती पत्र माह अगस्त, 1982 में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर शिकायतवार क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सुकदेव किसान विद्या मंदिर भुवांपुर, फैजाबाद को अस्थायी मान्यता एवं अध्यापक व उनकी अर्हतायें

134–श्री बलबीर सिंह–

क्या सरकार बतायेगी कि सुकदेव किसान विद्या मंदिर भुवांपुर (रानीपुर) फैजाबाद को कक्षा 8 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विद्यालय के पास कितने पक्के कमरे, कितनी जमीन तथा अन्य कितनी सम्पत्ति है तथा मान्यता प्रदान किये जाने का क्या आधार है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल की अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

135–श्री बलवीर सिंह–

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विद्यालय में कितने प्रशिक्षित अध्यापक हैं और उनको क्या-क्या अर्हतायें हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मौजा मेवापुर मुताल्के देवगांव, जिला फैजाबाद में प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार

136–श्री बलबीर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि मौजा मेवापुर मुताल्के देवगांव तहसील वीकापुर, जिला फैजाबाद में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है तथा उक्त मौजा के लगभग 100 प्राइमरी स्तर के बच्चे अन्य दूर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते हैं? क्या सरकार उक्त मौजा में एक प्राइमरी स्कूल चालू सत्र में ही खोलेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सुकदेव किसान विद्या मंदिर भुआंपुर, जिला फैजाबाद के प्रबन्धक द्वारा गलत शपथ-पत्र देकर मान्यता लिये जाने के सम्बन्ध में जांच

137–श्री दलगंजन सिंह–

क्या सरकार बतायेगी कि सुकदेव किसान विद्या मंदिर भुंआपुर (रानीपुर) जिला फैजाबाद के प्रबंधक द्वारा कक्षा आठ तक की मान्यता गलत प्राप्त शपथ पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त करने की शर्तें पूरी किये बगैर ही प्राप्त करने के संबंध में श्री दूधनाथ राजभर विधायक का कोई शिकायती पत्र माह अगस्त, 1982 में जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र के तथ्य क्या-क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नेहरू इण्टर कालेज, रोही, वाराणसी में परीक्षा केन्द्र का निर्धारण

138–श्री बनवारी राम–

क्या यह सत्य है कि परिषदीय परीक्षा 1981 में नेहरू इण्टर कालेज, रोही, जिला वाराणसी केन्द्र के लगभग 200 परीक्षार्थी नकल में दंडित हुए और लगभग 20 अध्यापक निष्कासित किये गये? यदि हां, तो इसके बावजूद भी नेहरू इण्टर कालेज, रोही को सन् 1982 में परीक्षा केन्द्र निर्धारण का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

नेहरू इण्टर कालेज रोही, वाराणसी केन्द्र पर परिषद् की 1981 की हाईस्कूल परीक्षा में केवल 31 परीक्षार्थी ही अनुचित साधन प्रयोग में दंडित हुए। यह सही नहीं है कि 20 अध्यापक निष्कासित किये गये। 1982 की परीक्षा हेतु बी0 एन0 राजकीय इण्टर कालेज, ज्ञानपुर एवं परीक्षा केन्द्र शिव बूत लाल इण्टर कालेज, राधा स्वामी धाम में आपसी तनाव के कारण अव्यवस्था की आशंका से जनहित में परीक्षा केन्द्र परिवर्तित कर नेहरू इण्टर कालेज, रोही, वाराणसी को नवीन परीक्षा केन्द्र बनाना पड़ा। इसे परीक्षा केन्द्र बनाने से परिषद् ने वंचित नहीं किया था।

राजकीय आदर्श विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां

139–श्री बनवारी राम–

क्या वाराणसी मंडल के राजकीय आदर्श विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 1979 माह दिसम्बर में विज्ञापन निकाला गया था? यदि हां, तो क्या रिक्त पदों में अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दिसम्बर, 1979 में नहीं बल्कि जनवरी, 1979 में विज्ञापन निकाला गया था। प्रश्नगत रिक्त पदों में अध्यापकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

श्रीमती प्रभा द्विववेदी, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फतेहगढ़ का स्थानान्तरण

140–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रभा द्विवेदी प्रधानाचार्या राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फतेहगढ़ का स्थानान्तरण मई/जून, 1982 में महोबा जनपद हमीरपुर हो गया था? यदि हां, तो इस आदेश के अब तक क्रियान्वित न होने का क्या कारण है तथा आदेश पालन न करने के आरोप में प्रधानाचार्या के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

श्रीमती प्रभा द्विववेदी का स्थानान्तरण संशोधित कर उन्हें अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) उन्नाव के पद पर स्थानान्तरित किया गया है। दिनांक 16 दिसम्बर, 1982 को राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फतेहगढ़ से कार्यमुक्त हो चुकी हैं तथा दिनांक 23-12-82 को पूर्वाह्न में अपने नवीन पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर चुकी हैं। प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जारी किये गये भविष्य निर्वाह निधि के आदेशों का अनुपालन

141—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्त विभाग के शासनादेश-2450/10-503-77, दिनांक 12-12-1977 के साथ पठित सामान्य 4-1077/10-503/77, दिनांक 8 मई, 1977 को जारी किए गये भविष्य निर्वाह निधि के रख-रखाव के संबंध में आदेशों का अनुपालन लखनऊ नगर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद मंडल के जिला परिषदीय डाक बंगलों में निवास कर रहे अधिकारी तथा उनके द्वारा विद्युत व्यय का भुगतान

142—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद मंडल के कुछ जिला परिषदीय डाक बंगलों में कुछ बड़े अधिकारी शासनादेशों के विरुद्ध अनियमित रूप से फरवरी, 1982 से रह रहे हैं? यदि हां, तो उन्हें अब तक डाक बंगले से क्यों नहीं निकाला गया? क्या शासनादेशों के तहत उनसे भवन का बाजार दर पर किराया लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

143—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इस मंडल के किसी जिला परिषदीय डाक बंगले का विद्युत् कनेक्शन भूतपूर्व अध्यक्ष जिला परिषद् के नाम वर्षों से चल रहा है? तथा परिषद् भंग होने के बावजूद उसमें रह रहे अधिकारी के जिम्मे विद्युत् का कितना व्यय शेष है और उसे कब तक जमा किया जायगा? इस लापरवाही के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है और उन्हें क्या दण्ड दिया जा रहा है?

श्री बलराम सिंह यादव—

मंडल के किसी भी जिला परिषदीय डाक बंगले का विद्युत कनेक्शन भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद् के नाम बरसों से नहीं है।

मंडल के जिला परिषदीय डाक बंगले नियमानुसार किरायेदार के रूप में जिन अधिकारियों को आवंटित किये जाते हैं और उनके द्वारा किये गये विद्युत् व्यय का भुगतान समय पर सीधे विद्युत परिषद् को किया जाता है। जिला परिषद् से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के विरुद्ध आरोपों की जांच

144–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक खण्ड–2, सुल्तानपुर के निलम्बन आदेश दिनांक 15-12-1978 में किन आरोपों में किया गया था? क्या उन आरोपों की जांच की गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव–

श्री भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक को फर्जी चिट्ठा प्रस्तुत करने के आरोप में निलंबित किया गया था। जांच रिपोर्ट में यह तथ्य पाये गये कि श्री वर्मा ने श्रमिकों की फर्जी उपस्थिति अंकित कर श्रमिक चिट्ठा तैयार किया और इस प्रकार सरकारी धन के अपहरण का प्रयास किया गया। फिर भी जांच अधिकारी की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए श्री वर्मा को कतिपय दण्डों सहित दिनांक 9-11-82 को निलम्बन से बहाल कर दिया गया है।

फैजाबाद मण्डल के जिला विकास कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक का निलम्बन

145–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मंडल के जिला विकास कार्यालय के कुछ लिपिक जून, 1981 में निलंबित किये गये हैं? यदि हां, तो निलंबित लिपिकों के नाम क्या हैं तथा क्या उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

फैजाबाद मण्डल के जिला विकास कार्यालय, फैजाबाद में जून, 1981 में एक कनिष्ठ लिपिक निलम्बित किया गया था, जिसका नाम श्री राम शंकर वर्मा है। आरोप पत्र दिया जा चुका है। श्री वर्मा द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अभिलेखों को देखने की मांग की गई, जिसके लिए उन्हें अवसर दिया गया है। श्री वर्मा का स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण विभागीय कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है।

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग, उत्तर प्रदेश को मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बांटने पर विचार

146–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं फल उपयोग विभाग, उत्तर प्रदेश को मैदानी क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र में बांट दिया गया है और दोनों के निदेशक अलग-अलग कर दिए गए हैं? यदि हां, तो जो कर्मचारी मैदानी क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको जीवन भर वहीं रहना पड़ेगा या उन कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छा से मैदानी या पर्वतीय क्षेत्र चुनने का मौका दिया जायगा?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

मामला विचाराधीन है।

147–श्री राम नारायण सिंह–

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री हरिकेश राय के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट

148—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—214 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिकेश राय के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट क्या है तथा उन्हें अब तक प्रतिमाह कितना वेतन दिया जा रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुर, गोरखपुर में अनुचरों के पद पर नियुक्ति संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

149—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुर में माह जनवरी, 1982 में अनुचरों के पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 2-7-82 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

दिनांक 3-8-82 को जांच की गई।

स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुर में अनुचरों की नियुक्ति के विरुद्ध शिकायती पत्र

150—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुर में जनवरी, 82 में दो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चौकीदार व चपरासी नियुक्त किए गये थे? क्या इस सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र माह मई, 82 में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। जनवरी, 82 में दो अनुचरों की नियुक्ति हुई थी।

मई 82 में प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ। जिस पर जांच की गयी तथा जांच के परिणाम से शिकायतकर्ता को भी अवगत करा दिया गया ।

जनपद गोरखपुर में गण्डक समादेश क्षेत्र अन्तर्गत पक्की नालियों व पुलियों के निर्माण में शिकायत की जांच

151—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में गण्डक समादेश क्षेत्र अन्तर्गत बन रही पक्की नालियों व पुलियों के निर्माण में निम्न स्तर की ईंट व सीमेन्ट बालू की घटिया मात्रा से निर्माण होने सम्बन्धी शिकायतों पर अतिरिक्त कृषि निदेशक, गण्डक समादेश गोरखपुर ने अपने अ0 शा0 पत्रांक 1272/82-83 दिनांक जून 4, 1982 एवं अ0 शा0 पत्रांक क्षे0 दिनांक नो0 1820/गंडक मूजप्र/82-83 दिनांक जून 26,

1982 द्वारा उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण गोरखपुर से जांच रिपोर्ट मांगी है? यदि हां, तो अब तक जांच आख्या व कार्यवाही न होने का क्या कारण है?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, उप निदेशक भूमि संरक्षण गोरखपुर से प्रश्न में उल्लिखित जांच आख्या प्राप्त हो गयी हैं, और जांच आख्या के आधार पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

152–श्री विद्यासागर नौटियाल तथा श्री गोपीनाथ वर्मा–

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान

153–श्री विद्यासागर नौटियाल तथा श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित 1978-79 की लगभग 4000 रु0 जो डाकखाने में जमा था उसे श्री सिंह राय भाले सुल्तानपुर इण्टर कालेज, हलियापुर, जनपद सुल्तानपुर के प्रिंसिपल ने गबन कर लिया है? यदि हां, तो जांच करके संबंधित प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं। प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। वर्ष 1978-79 में विभिन्न कक्षाओं के 68 हरिजन छात्रों को रु0 3,810/- मात्र का भुगतान विद्यालय के सेविंग खाते से निकाल कर किया गया था।

154–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

155–159–श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

भूमि संरक्षण अधिकारी मथुरा श्री आत्माराम के विरुद्ध आरोपों की संयुक्त निदेशक (पशुधन) रामगंगा कमाण्ड द्वारा जांच

160–श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, मथुरा (श्री आत्माराम) के विरुद्ध मथुरा जनपद के विधायक (श्री चन्दन सिंह) द्वारा 9 सूत्रीय शिकायत आयुक्त और परियोजना प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड, आजाद नगर कानपुर एवं उप निदेशक भूमि संरक्षण आगरा को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो आरोपों की जांच पूर्ण करा ली गई? क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, जांच कराई जा रही है जो अभी पूरी नहीं हो सकी है।

161–श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष भ्रष्टाचार निरोधक समिति गंजडुडवारा जिला एटा का पत्र दिनांक 28-7-82 आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक रामगंगा कमांण्ड परियोजना कानपुर एवं पृष्ठांकित पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो वांछित मांगों के अनुसार निष्पक्ष कार्यवाही एवं जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो बहुचर्चित इस अधिकारी को अन्य सिद्ध आरोपों के अन्तर्गत निलम्बित करके निष्पक्ष एवं न्याय सहित जांच क्या मंत्री जी करावेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच संयुक्त निदेशक (पशुधन) रामगंगा कमाण्ड से कराई जा रही है। जांच पूर्ण होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

162–श्री कुबेर भण्डारी श्री श्याम नरायन तिवारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

163–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में भवनविहीन सीनियर व जूनियर बेसिक विद्यालय

164–श्री चेतराम गंगवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में कुल कितने सीनियर व जूनियर बेसिक विद्यालय कार्यरत हैं तथा कितने विद्यालयों के अपने भवन नहीं हैं ? इनके भवन निर्माण हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी ? उनके भवन कब तक निर्मित करा दिये जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में कुल 26 सीनियर व 160 जूनियर बेसिक विद्यालय हैं। 8 सीनियर व 35 जूनियर बेसिक विद्यालयों के अपने भवन नहीं हैं। वर्तमान निर्माण लागत के अनुसार इनके भवनों के निर्माण हेतु रु0 33,37,300 की आवश्यकता होगी।

इन विद्यालय भवनों का निर्माण कब तक हो सकेगा, यह बताना सम्भव नहीं है।

श्री के0 डी0 गिरि, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतों पर कृत कार्यवाही

165–श्री राज कुमार राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि उन्हें श्री सत्यनारायण सिंह सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 को जो ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता द्वारा टूल एण्ड प्लान्ट्स के खरीद में किये गये घोटालों के बारे में था मिला? यदि हां, तो उसमें प्रमुख शिकायतें क्या थीं? शासन उसमें क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं।

परन्तु श्री के0डी0 गिरि, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आजमगढ़ के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित

श्री सत्य नारायण सिंह, विधायक का एक अन्य शिकायती पत्र दिनांक 20-11-81 को प्राप्त हुआ था।

शिकायती पत्र में मुख्यतः प्राइवेट कार संख्या यू0आर0आई0-191 के अनावश्यक रूप से किराये पर अधिग्रहण करने, एन0आर0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत लाखों रुपयों की टी0एण्ड पी0 क्रय करके शासकीय धन का दुरुपयोग करने, अधिक धनराशि वाले निर्माण कार्यों को अधिक पैसा लेकर अवैध ढंग से सेलेक्शन बाण्ड/वर्क आर्डर द्वारा कराये जाने, गांव पटाई कार्य में कम लागत का कार्य कराकर अधिक भुगतान करने तथा वैधानिक कार्यवाही किये बिना कार्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति करने से सम्बन्धित आरोप लगाये गये थे।

मुख्यालय पर स्थापित टेक्निकल आडिट सेल एवं डिजाइन प्रखण्ड, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ द्वारा शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों/शिकायतों की जांच की गई। प्रकोष्ठ की जांच आख्या के फलस्वरूप दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति में है।

श्री मुन्नी लाल, परिचारक को वेतन का भुगतान

166–श्री राजकुमार राय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभूति नारायन इण्टर कालेज सूरजपुर, आजमगढ़ में परिचारक के सृजित पद पर 10-2-1982 को मुन्नी लाल की नियुक्ति की गई और वह विद्यालय में कार्यरत भी है ? यदि हां, तो अब तक उसे वेतन न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बजकर 20 मिनट)

*श्री रियासत हुसैन–

प्रश्न के बारे में एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के बारे में व्यवस्था तो हो चुकी है।

श्री रियासत हुसैन–

उसी सम्बन्ध में। अभी आपने, जब ग्राम्य विकास मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, विद्यासागर नौटियाल जी के प्रश्न पर, तो उन्होंने कहा कि आप लिखकर दे दें। मान्यवर, जब खेर साहब अध्यक्ष थे तो उन्होंने व्यवस्था दी थी कि जो विषय सदन के अन्दर आ जाये, उस विषय की स्वयं ही सदन की प्रोसीडिंग के अनुसार जांच पड़ताल हो जायेगी। इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य को लिखकर देने की आवश्यकता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपा कर बैठ जाइये। मा0 मंत्री जी यह भी कह सकते हैं कि मा0 सदस्य कृपया लिखकर दे दें। इसके साथ-साथ जो प्रोसीडिंग होती है वह भी छपकर आ जाती है। उसके बाद शासन नोटिस लेता है और उसके आधार पर जांच करता है।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

कृपा कर श्री राम आसरे जी, आप बैठिए। मैंने दूसरा आइटम ले लिया है।

जिला बरेली, तहसील फरीदपुर क्षेत्र के गन्ना किसानों का गन्ना न क्रय किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 7-2-83 को नियम 301 के अन्तर्गत केवल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसमें से मैंने केवल 5 सूचनायें स्वीकृत की हैं। स्वीकृत सूचनायें निम्न-लिखित माननीय सदस्यों की हैं :—

1–श्री नन्दराम,
2–श्री हुकम सिंह,
3–श्री सरदार सिंह,
4–श्री जमुना प्रसाद,
5–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद।

शेष जो रह गयी हैं, वह सभी अस्वीकृत की गयीं।

*श्री नन्द राम–

महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिला बरेली के रसूला डढ़िया तहसील फरीदपुर के गन्ना सेन्टर में किसानों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है। बीसलपुर शुगर मिल के अधिकारियों द्वारा यह कहा गया है कि इस सेन्टर का कांटा खराब है इस कारण किसानों का गन्ना नहीं खरीदा जायेगा और न ही उसकी पर्ची दी जा रही है।

सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि चीनी मिल को चालू हुये तीन माह हो गया है (नवम्बर 82 से प्रारम्भ है) लेकिन अभी तक उस सेन्टर का कांटा ठीक नहीं हो सका है। किसान परेशान है सेन्टर पर गन्नों की गाड़ी लिए खड़े रहते हैं। इस परिस्थिति में उन्हें वहां के स्थानीय प्राइवेट क्रेशरों को अपना गन्ना माटी के मोल 6-7 रुपया कुन्टल के दर से बेचना पड़ रहा है। इससे यह साबित होता है कि पडोली, मुत्तपुर सेन्टर के क्रेशर तथा चीनी मिल वालों की आपसी सांठ-गांठ है। इनसे भी अनेक छोटे-छोटे लोग भी किसानों का गन्ना कम रेट पर खरीदते हैं।

अतएव, हमारी मांग है कि तत्काल उक्त सेन्टर में गन्ना खरीद की व्यवस्था कराई जाये तथा इसके जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। जिससे क्षेत्रीय जनता में व्याप्त घोर असन्तोष समाप्त हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ने की ढुलाई की दर में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हुकम सिंह–

महोदय, मिल मालिकों एवं सरकारी समझौते के अनुसार दो वर्ष पूर्व गन्ना क्रय केन्द्रो से मिल गेट तक गन्ना की ढुलाई की दर 32 पैसे प्रति कुन्तल वसूल किया जा रहा था परन्तु गत वर्ष मिल मालिकों ने एक पक्षीय निर्णय लेकर ढुलाई की दर 32 पैसे बढ़ाकर एक रुपया प्रति कुन्तल कर दिया जिसका कोई औचित्य किसी प्रकार नहीं था। इस वर्ष जहां एक ओर गन्ना उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के बावजूद भी गन्ने की कीमत पिछले वर्ष के बराबर ही तय की गई है, मिल मालिकों ने ढुलाई की दरों में अनियमित अनधिकृत वृद्धि करके रु0 1.50 प्रति कुन्तल कर दी और कृषकों से इसी दर के अनुसार ढुलाई मूल्य वसूल किया जा रहा है। यद्यपि यह सर्वविदित है कि 2 वर्षों में न तो किसी प्रकार डीजल के दामों में वृद्धि हुई है और न ही यातायात की दरों में कोई वृद्धि किसी प्रकार हुई है परन्तु गन्ना कृषकों की विवशता एवं प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता और असफलता का नाजायज फायदा उठाकर मिल मालिक गन्ना कृषकों का शोषण कर रहे हैं। ढुलाई की दरों में एक पक्षीय वृद्धि करने का कोई औचित्य किसी प्रकार नहीं है। मिल मालिकों के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों गन्ना कृषक प्रभावित हुए हैं।

माननीय सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को लाते हुए मेरा आग्रह है कि शासन मिल मालिकों के इस अनुचित निर्णय को निष्प्रभावी करने हेतु तुरन्त आवश्यक कदम उठाये और गन्ना कृषकों के इस अवांछनीय शोषण को रोका जाये।

मथुरा जनपद के ईंट भट्ठा मालिकों के शोषण के खिलाफ मजदूरों के चल रहे अनशन व हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह–

महोदय, मैं आपके माध्यम से मथुरा जिले के ईंट भट्ठों पर काम करने वाले गरीब मजदूर समस्त ईंट पथेरे जिनमें महिलायें व बच्चे भी सम्मिलित हैं, ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा हो रहे शोषण के खिलाफ चल रहे अनशन व हड़ताल के संबंध में सम्मानित सदन व शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि सदैव से शोषित पीड़ित एवं इन लाचार लोगों को भट्ठा मालिकों के शोषण से मुक्ति दिलायें।

मथुरा जनपद के समस्त भट्ठा मजदूर अपने बाल-बच्चों को लेकर हजारों की संख्या में 2 फरवरी, 83 से जिला मुख्यालय मथुरा में हड़ताल कर रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक जिला प्रशासन ने इन शोषित लोगों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। भट्ठा मालिकान पुलिस एवं शहर के असामाजिक तत्वों की मदद से इन गरीब लोगों को नाना प्रकार से डरा धमका कर कलक्ट्रेट कचहरी से भागने के लिये दबाव दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यह बहादुर महिलायें, बच्चे व पुरुष सभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शोषण के खिलाफ अपनी उचित मांगों को लेकर प्रशासन भट्ठा मालिक एवं असामाजिक तत्वों से लोहा लेते हुए जूझ रहे हैं।

आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि इन गरीब लोगों की उचित मांगें मनवाने के लिये भट्ठा मालिकों पर दबाव डालें और उनको उनकी मेहनत का उचित दाम दिलवायें। शासन की शिथिलता एवं शोषितों की ओर बेरुखी का रवैया अपनाने के कारण यह लड़ाई प्रदेश भर में फैल सकती है।

गत शीत लहर से हुई जन-धन की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अभी हाल में बीती शीत लहर जो 27 दिसम्बर, 1982 से जनवरी, 1983 तक प्रदेश को तबाह किया एवं जन-धन की काफी हानि पहुंचाई है। प्रदेश में कई हजार नर नारी, बच्चे, पशु मृत्यु के कराल गाल में चले गए हैं।

मटर, चना आदि दलहन फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

शासन स्तर से इस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जबकि बहुत से गरीब लोगों की इसी बीच भूख से भी मृत्यु हुई है। प्रदेश में लगभग 5 हजार व्यक्ति व 25 हजार जानवर मर चुके हैं।

अतः शासन से मांग है कि इस दिशा में हुई मृत्यु व अन्य प्रकार की क्षति की जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाय।

सरकार के परस्पर विरोधी वक्तव्यों से उत्पन्न सदन के कार्यक्रम में अनिश्चितता के संबंध में औचित्य का प्रश्न

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है और वह प्रश्न यह है कि सरकार के परस्पर विरोधी वक्तव्यों और बयानों से इस सदन के कार्यक्रम के संबंध में, असमंजस और अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 (1) और हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–4 के अनुसार राज्यपाल सदन को आहूत करते हैं, आह्वाहन करते हैं। सचिव महोदय की ओर से एक कार्यक्रम हम सभी सदस्यों को मिला, उस कार्यक्रम में यह निश्चित घोषणा की गयी थी कि 10 फरवरी को यहां बजट पेश किया जायेगा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 207 (2) के तहत कोई भी कर आरोपण या फीस की अधियाचना का प्राविधान है, वह राज्यपाल की अनुज्ञा से ही किया जा सकता है और उसकी प्रतिस्थापना यहां पर होगी। यह सूचना भी दी गयी कि 31 मार्च के पहले-पहले बजट पास होगा। राज्यपाल जी ने इस आदरणीय सदन को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र गुप्त]

जब संबोधित किया, ऐसे समय एक नई घोषणा कर दी गयी। मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि कहीं भी किसी भी राज्यपाल ने, राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह बताते हुए कि सदन का आह्वाहन क्यों किया गया है, यह नहीं कहा कि लेखानुदान पास करना पड़ेगा। वह राज्य सरकार ने तैयार करके भेजा है। माननीय राज्यपाल ने यह कहा कि वर्तमान सत्र में आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 1983-84 का आय-व्ययक तथा वर्ष के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जायेगा।

मेरा कहना यह है कि बजट भाषण भी सरकार की ओर से तैयार किया गया। सरकार बार-बार यह घोषित करती रही कि बजट पास होगा। नेता सदन सार्वजनिक रूप से यह घोषित करते रहे कि पूरा बजट पेश किया जायेगा। लेखानुदान आने का कोई सवाल नहीं है। महामहिम राज्यपाल की घोषणा के बाद भी अभी 3 दिन पहले जो इनकी पार्टी मीटिंग हुई, उसमें भी कांग्रेस दल के सदस्यों से यह जानकारी मिली कि पार्टी मीटिंग में भी मुख्य मंत्री जी ने यह स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी तरह से लेखानुदान आने का सवाल नहीं है। मान्यवर, यह समझा जाता है कि सरकार ने राज्यपाल जी के पास लेखानुदान की तिथि मांगने के लिए कोई पत्र लिखा था, अगर गया होता, तो मुख्य मंत्री के द्वारा सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा भी हुई होती। मान्यवर, इससे अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है कि 31 मार्च को बजट पास होगा? मान्यवर, हमारे नियम 14 में स्पष्ट व्यवस्था होने के बाद भी आदरणीय सदन 90 दिन नहीं बैठा। सब अब समझ रहे हैं कि विधान सभा 10 तारीख के तत्काल बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जायेगी अथवा सत्रावसान कर दिया जायेगा। तो, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सरकार से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कराने का कष्ट करें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय राज्यपाल महोदय ने जो यहां अभिभाषण पढ़ा था, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार करवा कर दिया था। माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सदन में लेखानुदान की बात की, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने अपने दल के सदस्यों की बैठक में घोषणा की, जिसका जिक्र 3 तारीख के 'स्वतन्त्र भारत' के अखबार में छपा भी है कि लेखानुदान न लाये जाने की घोषणा की गयी। इसमें एक भ्रम पैदा हो गया है, वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का राज्यपाल पर विश्वास नहीं है अथवा माननीय राज्यपाल का इस मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं है। तो, मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी के ऊपर से राज्यपाल महोदय का विश्वास उठ गया है या राज्यपाल महोदय नाराज हों और मुख्य मंत्री को निर्देश दिया हो कि मैं आपको बरखास्त कर दूंगा इसलिये उसके डर से लेखानुदान लाया जायेगा जिसकी नोटिस हम लोगों को दी गयी है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इसका मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण करवायें और उनसे कहें कि वह त्याग-पत्र दें चूंकि राज्यपाल महोदय का उनमें विश्वास नहीं है या मुख्य मंत्री का राज्यपाल महोदय पर विश्वास नहीं है।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कुछ संवैधानिक आपत्ति उठायी। सबसे पहले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जो लेखानुदान का जिक्र किया है वह इससे पहले कभी नहीं किया गया था। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 8 मार्च 1979 को जब राज्यपाल महोदय का इस सदन में अभिभाषण हुआ उसकी तरफ, उसके पेज 12 पर लिखा है– "इस सदन के वर्तमान अधिवेशन में आपके सम्मुख वर्तमान वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक अनुदान तथा आगामी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत किया जायेगा।" यह 1979 की बात रही उसके बाद 1981।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री ने 1979 और उसके बाद का हवाला देकर राज्यपाल के सम्बोधन भाषण को पढ़ा। श्रीमन्, हमारे संविधान में या हमारा जो कन्वेंशन है इसमें जब तक कोई अतिआवश्यक जैसे चुनाव हो, आम चुनाव हो या देश के ऊपर बाहरी हमले का खतरा हो तो ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर कभी भी लेखानुदान पास करने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है बल्कि सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं आपसे और संसदीय कार्य मंत्री जी से कि 1979 के पूर्व, आप तो 1952 से मान्यवर, सदस्य हैं, कभी भी अतिआवश्यक जहां चुनाव हों या बाहरी खतरे को छोड़कर कोई उदाहरण सदन में रखें तो परिपाटी के रूप में माना जा सकता है। लेकिन 1979 से या इस साल की बात सरकार की तरफ से कहकर सदन को गुमराह किया जा रहा है और यह गलत परिपाटी सदन में आज स्थापित करने की चेष्टा सरकार की तरफ से की जा रही है। इसलिये व्यवस्था का प्रश्न है और 1979 के पूर्व की जानकारी मैं आपसे चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पहले कार्यक्रम घोषित करने के बाद यह लेखानुदान कैसे आ गया है ?

श्री अध्यक्ष–

श्री ऊदल की बात को मैंने सुना लेकिन 1979 में जो बातें हो गयी हैं तो क्या उनको दोहराया नहीं जा सकता है इसलिये मैं आपकी बात को नहीं मानता हूं।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मैं भी एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जांय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, अभी राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा था कि इसके पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है केवल 79 की मिसाल मिलती है। इसके बाद ऊदल जी ने कहा कि 79 की मिसाल काबिल कुबूल नहीं है। तो 79 में देश के ऊपर कौन सा खतरा था यह ऊदल जी बतायें। सन् 1980 में ऐसा हुआ है और बराबर ऐसे दृष्टान्त मिलेंगें।

श्री ऊदल–

सन् 80 में चुनाव थे संसदीय कार्य मंत्री भूल गये हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

तो जो कार्यक्रम हुआ, टेंटेटिव प्रोग्राम बनाया गया। कार्य मंत्रणा समिति में 10 तक का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ। मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही, पार्टी की जो बात कही तो मान्यवर, माता प्रसाद जी बहुत जागरूक हैं, पार्टी की गतिविधियों पर उनकी नजर है तो वह अन्दर आकर सारी बातों को समझ लें तब कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर किन्हीं कारणों से बजट पास नहीं हो सकता, या कोई घटना हो जाय, 31 मार्च तक बजट पास न हो सके तो उस समय सरकार का काम न रुके इसलिये लेखानुदान पास किया जाता है। यह लोग सरकार के काम को रोकना चाहते हैं कि काम न चले। (हंसी)

दूसरी बात मान्यवर, गुप्ता जी ने कही कि गवर्नर ने कारण बताये, यह कभी नहीं बताये जाते हैं। तो संविधान की धारा 176 में है, "काज आफ इट्स समन" उसमें लिखा हुआ है कि सदन क्यों आहूत किया गया है यह बताया जाता है। तो सारे इष्टांत मौजूद हैं, सब चीजें मौजूद हैं। मुख्य मंत्री जी द्वारा पार्टी में कही गयी बात का हवाला दिया गया तो उस विषय को संज्ञान में लिया ही नहीं जा सकता है। मान्यवर, इसी पीठ से जहां पर आप विराजमान हैं न मालूम कितने फैसले हो चुके हैं कि पालीटिकल पार्टी के अन्दर अगर कोई निर्णय होता है तो उसको संज्ञान में न लिया जाय। तो मान्यवर, ऐसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं तो समझ में नहीं आता। जो बात लेखानुदान की राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी है वह उचित है। इस प्रकार के इष्टान्त हैं, कहीं कोई चीज अनुचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज असमंजस की भावना माननीय सदस्यों में है कि कार्यक्रम क्या होगा। संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। 31 तारीख तक का जो कार्यक्रम है वही रहेगा या लेखानुदान लेकर स्थगित हो जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, कार्यक्रम का निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति करती है। 10 तारीख तक का कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति ने पास किया है। 8 को कार्य मंत्रणा समिति फिर मिल रही है। मान्यवर, बजट सेशन चलेगा जिस प्रकार हमेशा चलता था, चलेगा। कार्यक्रम निर्धारण की जहां तक बात है वह कार्य मंत्रणा समिति स्वयं निर्धारित करती है, हम सक्षम नहीं हैं कि बता सकें। जब वह कार्यक्रम निर्धारित करेगी, सदन प्रस्ताव पास करेगा तो आपको पता चल जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी की बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना। जहां तक लेखानुदान का संबंध है। आप कृपया संविधान का अनुच्छेद 206 देखें। उसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से यह प्रस्तुत होगा। अन्य जो बातें कहीं गयीं तो 16-7-80 को इसी सदन में इसी प्रकार से लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके सामने उस दिन की कार्यवाही पढ़ना चाहता हूं। "वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव"। मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पेश किया था। "मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग

के लिये लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं।" उस समय अध्यक्ष ने पूरे तरीके से इसको प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे दी थी। जहां तक यह बात है जिसमें कहा गया है कि हमको सूचना अभी प्राप्त हुयी है तो फिलहाल सूचना दे दी गयी और उसके आधार पर जो लेखानुदान प्रस्तुत किया जायेगा वह नियमानुसार होगा और जैसा कि मा0 पाण्डेय जी ने जिक्र किया कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने दल की बैठक में इस प्रकार की बात कही थी, तो इन बातों को उनको कहने का अधिकार है इन बातों को कहने की उन्हें कोई रुकावट नहीं है और न ही इन बातों से किसी प्रकार से सदन के नियमों का कोई उल्लंघन ही होता, इसलिए दो जो औचित्य के प्रश्न उठाये गये थे, उन्हें मैं अस्वीकार करता हूं।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1982 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उस पर कृत कार्यवाही का विवरण †

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण (पंचम संस्करण) के करण 14 (3) के अनुसार विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1982 (दिनांक 19 अगस्त, 1982 से 30 अगस्त, 1982 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम 301 की सूचनाओं के उत्तर समय से न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है इस संबंध में जो आपके द्वारा समय-समय पर करण (पंचम संस्करण) जारी हुए हैं उसके नियम 14(1) कृपा पूर्वक देखें, जिसमें यह साफ तौर पर दिया गया है कि जो 301 की सूचनाएं दी जायेंगी, उन सूचनाओं का अन्तिम उत्तर एक माह में अवश्य-अवश्य मिल जायेगा, लेकिन इस समय जो पत्र रखा गया है, उसमें सूचनाएं तो आयीं हैं। मान्यवर 47, लेकिन इसमें से केवल 14 सूचनाओं के उत्तर मिले हैं और 35 सूचनाओं के उत्तर देर से मिले और जो 14 सूचनाओं के उत्तर आए हैं वह भी मान्यवर 5 माह विलम्ब से आए हैं। इसी संबंध में पिछले सत्र में अर्थात् 24 अगस्त में आप देखें, बात उठायी थीं, इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने साफतौर पर यह व्यवस्था दी थी कि "नियम 301 की सूचनाओं के उत्तर समय से दिये जाया करें और विलम्ब की स्थिति में यह दर्शाया जाय कि कौन सी अपरिहार्य परिस्थितियां थीं जिनके कारण विलम्ब हुआ।" फिर मेरे नाम का उल्लेख किया गया। अध्यक्ष पीठ से पूर्व में दिये गये आश्वासनों का हवाला देते हुए कहा कि पहिले भी ऐसे आश्वासन दिये गये, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। अतः इसके लिए एक कमेटी बना दी जाय।

---

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मान्यवर, आप देखें इसमें स्पष्ट है कि नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से दें, दूसरी बात विलम्ब के कारण दर्शाए जाएं कि कौन सी ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति आ गयी, जिसके कारण इनके उत्तरों में विलम्ब हुआ। इन आदेशों के होते हुए भी इसमें विलम्ब के कारण नहीं दर्शाए गये। इस तरह साफतौर पर यह देखा जा रहा है कि सरकार अध्यक्ष पीठ से दिये गये आदेशों की अवहेलना कर रही है और उनका पालन नहीं कर रही है। जब कि उस समय भी यही स्थिति पैदा हुयी थी, तब सरकार ने यह आश्वासन दिये थे कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन मान्यवर, फिर यह बात दोहराई गयी है, इसलिये मेरा आरोप है कि सरकार जानबूझकर आपके आदेशों का पालन नहीं करना चाहती है, इसलिए इसे सदन के पटल पर आज रखने की आप इजाजत न दें जब तक कि जिन-जिन मामलों में विलम्ब हुआ है और कारणों को दर्शाएं और विलम्ब के कारणों को दर्शाने हेतु कड़ाई से आदेश दिये जाएं और साथ ही यह आश्वासन लिया जाए कि भविष्य में इन सूचनाओं के अंतरिम उत्तर निर्धारित समय यानी एक माह के अन्दर अवश्य भेज दिया करेंगे।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

जहां तक मा0 उपाध्यक्ष के आदेश का प्रश्न है, उसकी जो आखिरी पंक्ति पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि– "कारण लिखे जायं"। मैं आपका ध्यान, आज जो सूचनाएं सदन के पटल पर रखी गयीं है, उसके कालम–7 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि– "सूचना देर से प्राप्त हुई"।

मान्यवर, जब प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाता है, अगर किसी प्रश्न में सारी सूचना सही नहीं मिल पाती है, तो लिखा जाता है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है"। अगर सूचना के बिना उत्तर दिया जाय तो यह बात सही नहीं होगी। हर एक के नीचे लिखा गया है कि किन कारणों से विलम्ब हुआ है, हर एक के नीचे कारण दर्शाए गये है, जैसा कि उपाध्यक्ष जी ने निदेश दिया था। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र इनके उत्तर मंगवाकर सम्मानित सदस्यों को भेज दिये जायं ताकि यह कमी दूर हो सके। जहां तक मा0 उपाध्यक्ष के आदेश का प्रश्न था, शासन ने उसका अनुपालन किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जहां तक कारण बताने का प्रश्न है, यही कारण बताया गया है कि–"सूचना देर से प्राप्त हुई", यह तो कोई कारण नहीं हुआ। प्रश्न तो यह है कि सरकार समय पर सूचना क्यों नहीं एकत्रित कर पाती। हमारी व्यवस्था तो यही है कि सरकार की ओर से सूचना देर से प्राप्त क्यों हुई? और क्या आपने उस अधिकारी के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही की, जिसकी वजह से सूचना देर से प्राप्त हुई?

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनायें आती है, जैसे आज भी 15 में से 5 सूचनायें स्वीकार की गयीं और वे सदन में पढ़ी गयीं। उनके अंतरिम उत्तर आने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और आखिरी उत्तर आने की एक निश्चित अवधि निर्धारित कर दी गयी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से आश्वासन भी हो गया, लेकिन आज जो वजह लिखी गयी है, उसमें सूचना देर से प्राप्त की बात कही गयी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या विरोधी पक्ष के किसी आदमी से सूचना प्राप्त होनी थी, जो नहीं प्राप्त हुई। आपके पास टेलेक्स है, टेलीफोन है, वायरलेस है, आदमी हैं चपरासी से लेकर होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक सारी मशीनरी मौजूद है, फिर यह कारण कि सूचना देर से प्राप्त हुई, इसके जिम्मेदार तो आप हैं। इसको कुछ महसूस कीजिये और सदन को इस बात का आश्वासन दीजिये कि इस तरह के कारण नहीं दिये जायेंगे। या तो आप यह कहें कि फलां आदमी के कारण सूचना देर से प्राप्त हुई और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। नियम 301 की सूचनायें देने के लिये यही प्रभावशाली एक्शन होगा। आप निश्चित रूप से इसका प्रबन्ध कीजिये।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक 301 की सूचनाओं का संबंध है, इसमें दो राय नहीं है कि 7 दिन के अन्दर अन्तरिम उत्तर प्राप्त हो जाना चाहिये, यह शासन को पूरे तरीके से देखना चाहिये। इसके साथ ही साथ 30 दिन के अन्दर पूरे तरीके से मा0 मंत्री जी को उन मा0 सदस्यों को सूचना भेज देनी चाहिये, जिसकी प्रतिलिपि हमारे भी सेक्रेटेरियेट में प्राप्त होगी, 30 दिन के अन्दर वह प्राप्त हो जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से और शासन के लोगों से खासतौर से कहता हूं कि इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये और भविष्य में इस बात को देखा जाय कि किसी भी प्रकार से इसमें देरी न हो।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (1981-82) का दशम् प्रतिवेदन

*श्री भूप सिंह केन–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, 1982-83 के सभापति की हैसियत से ग्राम देहुली, थाना जसराना, जनपद मैनपुरी में दिनांक 18 नवम्बर, 1981 को हुई 24 हरिजनों की निर्मम हत्या की घटना से संबंधित समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

यह प्रतिवेदन वर्ष 1981 की समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था तथा उस समय विधान सभा के सत्र में न होने के कारण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण के करण संख्या 64 के अन्तर्गत तत्कालीन माननीय सभापति द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्रस्तुत किया गया था ।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री गुलाब सेहरा के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

अब मैं विशेषाधिकार के संबंध में जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको लेता हूं ।

---

†छापा नहीं गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 27 फरवरी, 1982 को माननीय राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के एक प्रश्न की सूचना दी थी । इसमें माननीय सदस्य की यह शिकायत है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पांचवें बुधवार, 7 फरवरी, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 13 का जो उत्तर माननीय मंत्री द्वारा दिया गया, वह गलत है और सदन को इस प्रकार से गुमराह किया गया ।

इस संबंध में मैंने माननीय राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी, जो दिनांक 17 सितम्बर, 1982 के पत्र द्वारा प्राप्त हो गयी है। शिकायत और प्राप्त जानकारी पर मैंने गम्भीरता से विचार किया है ।

उक्त प्रश्न और उत्तर, प्रगति आश्रम हाईस्कूल की अध्यापिका श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवाएं समाप्त किये जाने के संबंध में था । शासन द्वारा दिये गये उत्तर के एक अंश में यह सूचना दी गयी थी कि–"हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के अनुपालन में दिनांक 29 जुलाई, 1981 को श्रीमती माधुरी पाण्डेय को कार्य-भार ग्रहण कराया गया और 28 अगस्त, 1981 तक स्कूल उपस्थिति पंजिका में वे उपस्थिति अंकित करती रहीं परन्तु उसके बाद वे उपस्थित नहीं हुईं।" माननीय रामआसरे वर्मा द्वारा इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के एक पत्र का हवाला देते हुए यह कहा है कि श्रीमती पाण्डेय को प्रधानाचार्य ने दिनांक 29 अगस्त, 1981 से उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करने तथा स्कूल परिसर में आने से मना कर दिया था । इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो पत्र माननीय श्री राम आसरे वर्मा ने संलग्न किया है, उसको देखने से यह स्पष्ट है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उक्त पत्र में उक्त कथन श्रीमती माधुरी पाण्डेय के प्रार्थना पत्र में जो बात कही गयी है, उसके उल्लेख के रूप में है, न कि स्वयं बेसिक शिक्षा अधिकारी के मत के रूप में ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप निर्णय देने के पहले अगर आप मुझे सुन लें तो तथ्य साफ हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, बीच में न खड़े होइये । तथ्य मैंने सब सुन लिये हैं, आप बैठें ।

माननीय मंत्री द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण से भी यह स्पष्ट है तथा उसमें यह भी बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 30 जून, 1981 की अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप श्रीमती पाण्डेय को सेवा मुक्त कर दिया गया था और जो उत्तर सदन में दिया गया था, वह सही तथ्यों पर आधारित था ।

उक्त स्थिति में मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन विशेषाधिकार की सूचनाओं के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, कृपा करके आप बैठें ।

श्री एस0डी0 बागला, आयुक्त, इलाहाबाद मंडल के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री गोरे लाल शाक्य, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 17 अप्रैल, 1982 को श्री एस0 डी0 बागला, आयुक्त, इलाहाबाद मंडल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी । इस सूचना के माध्यम से की गयी शिकायत में माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 2 फरवरी, 1982 को इलाहाबाद मण्डल विकास समिति की बैठक जो जिला परिषद् हाल कानपुर में आयोजित थी में भाग लेने के लिए जब वे पहुंचे तो वहां उपस्थित अधिकारियों ने उनके प्रति समुचित शिष्टता नहीं बरती । मा0 सदस्य ने यह भी शिकायत की है कि जब उक्त बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के सम्बन्ध में कतिपय सुझाव दिये तो श्री बागला ने नाराज होकर कहा कि इनके भाषण और सुझावों को लिखा न जाये। माननीय सदस्य का कहना है कि वे विधायक की हैसियत से उक्त समिति में भाग लेने गये थे। अतः उनके सुझावों तथा भाषण का न लिखा जाना सदन व सदस्य का अपमान है।

मा0 श्री शाक्य की शिकायत के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसके उत्तर में मा0 मुख्य मंत्री ने अपने 2 नवम्बर, 1982 के पत्र के साथ श्री शाक्य द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में श्री बागला से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि भेजी है ।

उक्त स्पष्टीकरण में जो स्थिति बतायी गयी है, वह संक्षेप में इस प्रकार है–

1–दिनांक 2-2-1982 को जिला परिषद् हाल कानपुर में मन्डलीय कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास सलाहकार समिति की बैठक हुई थी और जहां तक श्री बागला को याद है श्री शाक्य बैठक प्रारम्भ होने के कुछ देर बाद आये थे, तब तक समिति के अन्य सभी सदस्य कुर्सियों पर बैठ चुके थे और बैठक की कार्यवाही भी आरम्भ हो चुकी थी । श्री शाक्य के आने पर एक कुर्सी दूर से उठवा कर आगे लगा दी गयी थी, जहां पर श्री शाक्य बैठे । श्री बागला ने यह भी कहा है कि जहां तक उन्हें स्मरण है उन्होंने स्वयं श्री शाक्य के आने का स्वागत किया था और कहा था कि विधायक जी के लिए कुर्सी लगाये ।

2–दूसरे आरोप के सम्बन्ध में श्री बागला ने सूचित किया है कि श्री शाक्य द्वारा दिए गये सभी सुझावों का उल्लेख बैठक की कार्यवाही में किया गया है और इसके प्रमाण स्वरूप उन्होंने उस कार्यवाही का उद्धरण संलग्न किया है । इस उद्धरण के अध्ययन से विदित होता है कि मा0 श्री शाक्य ने अपने क्षेत्र में स्कूल निर्माण हेतु आवंटित धन-राशि को मनमाने ढंग से व्यय किए जाने, जिला स्तर पर शासन के निर्देशानुसार विधायक के नेतृत्व में बनायी जाने वाली योजनाओं को ध्यान में न रखने, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में पारित सुझावों को अमल में न लाने आदि का उल्लेख किया था। श्री बागला के अनुसार उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही तैयार करा के उप विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 11-2-82 को जारी भी कर दी गयी थी और उस कार्यवाही में श्री बागला की ओर से मा0 विधायक के प्रति आभार प्रकट करने का भी उल्लेख है ।

[श्री अध्यक्ष]

मा0 सदस्य की शिकायतों और माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र के साथ प्राप्त श्री बागला के स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त मैं समझता हूं कि यह असंदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 2 फरवरी, 1982 को संदर्भित समिति की बैठक में उक्त श्री बागला ने माननीय सदस्य या इस आदरणीय सदन के अपमान करने के उद्देश्य से श्री शाक्य के प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया । इस प्रकार की समिति के सभापति को सामान्यतया यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे समिति की कार्यवाही को विनियमित करें और इस प्रश्न पर निर्णय लें कि कौन से तथ्य समिति की कार्यवाही के अंग बनाये जायें। अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के निर्णय शीघ्र दिये जाने की मांग

श्री शंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्रश्न विशेषाधिकार के हैं मैं समझता हूं सबसे पुराना मेरा है । उसके दिये हुए दो साल दो महीने हो रहे हैं । दो-दो साल तक उत्तर नहीं आयेगा तो जो हालत इनकी दक्षिण में हुई है, वही यहां पर होगी । मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न सदन के सामने आयेगा या नहीं आयेगा ?

श्री अध्यक्ष–

आपका उत्तर शासन से प्राप्त नहीं हुआ है . .

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह–

यह गंभीर मामला है, दो वर्ष हो गया है . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपा करके एक-एक सदस्य बोलें ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य से साफ जाहिर होता है कि दो वर्ष तक शासन का उत्तर नहीं आया । आप शासन के उत्तर की प्रतीक्षा न करें और इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें । मैं समझता हूं कि शासन का उत्तर प्राप्त करने के लिये एक हफ्ते का टाइम लाइन और दे दें और यदि इस एक हफ्ते के अन्दर शासन का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आप निश्चित रूप से इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें। शासन इसका उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये लोग उसमें फंसे हुये हैं और यह सदन के अवमान का प्रश्न है ।

श्री रियासत हुसैन–

यह भी सदन का अवमान है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, विशेषाधिकार के प्रश्नों के निस्तारण की प्रक्रिया नियमावली में दी हुई है। उसे कृपा करके देखने का कष्ट करें । उसमें कहीं पर यह नहीं दिया हुआ है कि आप दूसरी पार्टी को जानने के लिये बाध्य हैं । इसका निर्णय आप अपने विवेक से ले सकते हैं । यह सदन एक कोर्ट की तरह काम कर सकता है । कितने दिनों तक आप इन्तजार करेंगे । एक्स-पार्टी फैसला दिया जा सकता है । इसलिये मान्यवर, जैसा कि माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल ने कहा है मैं भी उसी बात पर बल देता हूं और स्थिति की मेरिट्स को देखते हुये आप इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्देशित कर दें । विशेषाधिकार समिति अपनी प्रक्रिया के अनुसार उनको तलब करेगी और निर्णय देगी । इसलिये दूसरे पक्ष को न सुनने की बात भी पैदा नहीं होती। यह काम विशेषाधिकार समिति का है। आप इस मामले को प्राइमा-फेसी में देखकर उसे विशेषाधिकार समिति को निर्देशित कर सकते हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय शंकर सिंह जी ने जो सूचना दी है उसके अनुसार निर्णय दें और इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें । वहां पर कार्यवाही होती रहेगी ।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि दो साल तक उत्तर न आना सदन का अपमान है और आपके आदेश का भी अपमान है। इसलिये आप इसे सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। वहां पर हर चीज का उत्तर आ जायेगा।

(श्री माता प्रसाद पांडेय के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

पांडेय जी, मैं आपका मामला दिखवा रहा हूं, मैंने आपको आश्वासन भी दिया है।

*श्री हुकम सिंह–

अध्यक्ष महोदय, दो साल पूर्व शासन को इसके बारे में लिखा गया था कि वह उत्तर दे। वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसलिये यह स्वत: ही विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है। शासन आपके निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह स्वत: ही विशेषाधिकार का प्रश्न हो जाता है। शंकर सिंह जी के प्रश्न पर शासन की बेरुखी है, इसलिये इसे आप विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें।

*श्री राम आसरे वर्मा–

श्रीमन, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले से एक परम्परा चली आ रही है कि जब कोई विशेषाधिकार की सूचना होती थी तो निर्णय देने से पूर्व संबंधित सदस्य को सुन लिया जाता था लेकिन इधर यह देखने को मिल रहा है कि सदस्य की सूचना पर जो रिपोर्ट शासन की ओर से आती है उसी को आधार मानकर निर्णय दे दिया जाता है इसलिये बहुत से तथ्य सामने आने से रह जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर आपकी तरफ से संरक्षण मिलना चाहिए कि सदस्य सारे तथ्य रखने में सफल हो सकें इसके लिये भी हमें अवसर मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सूचनाओं का उत्तर आमतौर से शासन द्वारा भेजने पर इसलिये देरी की जाती है कि ताकि मामला पूरा हो जाय, ठंडा पड़ जाय। इस तरह से सदस्यों को उस पर दिलचस्पी नहीं रह पाती है। इसके बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिए कि इतने दिनों के अंदर शासन की ओर से जवाब नहीं आता है तो आप स्वयं जो सूचना आपके पास आई है उस पर अपना निर्णय दे देंगे और उससे सदन को अवगत करा देंगे। यह मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

श्री शंकर सिंह–

आप इस पर व्यवस्था दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, पिछले कुछ समय से जिस तरह से विधायकों की गरिमा गिरती जा रही है उनके साथ आमतौर पर इस तरह का व्यवहार हो रहा है और उनको नियमावली में विशेषाधिकार का प्राविधान है, उसका पालन नहीं हो रहा है। उसे कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। पिछली परम्परा यह रही है कि कभी भी समय से सरकारी पक्ष से आख्या नहीं आती। आप अपने विवेक पर तुरन्त निर्णय करके विशेषाधिकार समिति को मामले को सुपुर्द कर दें। आज विशेषाधिकार ठीक ढंग से प्रभावी न होने के कारण विधायकों का ज्यादा अपमान हो रहा है। आप इस परम्परा को तोड़ कर सरकारी पक्ष से बिना मांगे ही तुरन्त निर्णय करके अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ताकि इस माननीय सदन के सदस्यों की गरिमा की रक्षा हो सके।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब विशेषाधिकार संबंधी कोई प्रश्न आते हैं तो उन पर निर्णय जल्दी होना चाहिए। 5–7 सूचनाएं जो मेरे पास पड़ी हैं मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन पर जितनी जल्दी हो सकेगा निर्णय लिया जायेगा। जहां तक शासन से जवाब लेने की बात है इसमें दो राय नहीं है शासन की बात को सुना जाय, लेकिन मैं उससे बाध्य नहीं हूं कि उनकी बात को मानूं। मैं स्वयं, जो थोड़ी पड़ी हुई हैं उनके बारे में निर्णय ले लूंगा।

श्री शंकर सिंह–

माननीय नेता विरोधी दल जो हमारे नेता हैं ने कहा कि आप स्वयं समय निश्चित कर दें एक हफ्ता, 10 दिन या जो भी ठीक समझें। समय निश्चित न होने से इसी तरह से हमारा अपमान होता आ रहा है। हमारी मर्यादा का प्रश्न है। इसी सदन में मैंने एस0पी0 जालौन, और जालौन पुलिस के बारे में उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया उसके फलस्वरूप मेरे खिलाफ यह चक्र चल रहा है। अगर समय निश्चित नहीं करते हैं तो मैं सदन में अपने नेता विरोधी दल के सामने जो हमारे नेता हैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस महीने के अंत तक तमाम प्रश्नों के संबंध में चाहे शासन से उत्तर आता है या नहीं मैं निर्णय दे दूंगा।

श्री खैरुल बशर के दल परिवर्तन किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन के सम्मुख यह सूचना देना चाहता हूं कि विधान सभा सदस्य, श्री खैरुल बशर, जिला आजमगढ़, जो कि अभी तक निर्दलीय सदस्य थे वह अब सदन में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य के रूप में बैठेंगे।

गढ़वाल विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 30 अगस्त, 1982 को सदन द्वारा पारित प्रस्तावानुसार–

1. गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों,

गढ़वाल विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

2. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबंधक बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों, तथा

3. उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्या भी होगी, के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम पुनः निर्धारित किया गया है :–

(1) नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय।	14 फरवरी, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक।
(2) नाम-निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि तथा समय।	15 फरवरी, 1983 को अपराह्न 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।
(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय।	18 फरवरी, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक
(4) मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	2 मार्च, 1983 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

2–उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा।

3–इन निर्वाचनों से संबंधित नाम-निर्देशन-पत्र आपको विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।

अवध विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

*शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित दो विश्वविद्यालयों–अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय–की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (15) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अनुसार मुझे आज 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैंने उन सब को अस्वीकार किया है।

(व्यवधान) (घोर व्यवधान) (विरोध पक्ष के अनेक सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)।

आप लोग कृपा करके बैठें, मैंने सबको अस्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी बात आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठें, पहले मेरी बात सुनें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप पहले सारी सूचनाओं के विषय में तो कम से कम बता दें।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनके नाम जैसे श्री हरगोविन्द वर्मा की सूचना है, उसको अस्वीकार किया है। विजय सिंह राना और चन्दन सिंह जी की जो सूचना है, उनके बारे में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह उसे नियम 52 के अन्तर्गत दे दें, तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मंजूर अहमद ज़ी की जो सूचना है, उसको भी वह नियम 52 के अन्तर्गत दे दें, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से अन्य भी वह नियम 52 में स्वीकार की गई है। इसी प्रकार से सरदार सिंह और कुंवर सिंह नेगी आदि की भी सूचनाएं हैं, वह नियम 52 के बारे में स्वीकार है। उक्त जो सूचनाएं नियम 52 में मुझे दे दी जाएंगी, मैं उनको स्वीकार कर लूंगा।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, हमारी सूचना है . . ., (व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मोहन सिंह जी, आप कृपा करके बैठिये।

श्री धनी राम वर्मा–

हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम सदन में धरना देंगे।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम सब लोग सदन में धरना देंगे।

(व्यवधान)

श्री हर गोविन्द वर्मा, श्री मसरूर जाफरी, श्री धनीराम वर्मा, श्री खैरुल बशर आदि कई सदस्य सदन के 'फ्लोर' पर आ गये और एक साथ बोलने लगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। यह लिखा नहीं जायगा।

श्री हरगोविन्द वर्मा–

यह हाउस चलने नहीं देंगे। हमारे किसान जेल में हैं। मान्यवर, 32 किसान जेल में हैं। मान्यवर, किसानों पर लाठी चली है, गोली चली है और यहां पर हाउस चले। हम हाउस चलने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी–

"लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।"

(व्यवधान)

श्री हर गोविन्द वर्मा–

मान्यवर, किसानों पर गोली चलाई गयी है। उस पर लाठी चलाई गयी है।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, आजमगढ़ के एस0 पी0 ने गोली चलाई है।

(व्यवधान)

(श्री खैरुल बशर, श्री मसरूर जाफरी, श्री हर गोविन्द वर्मा, श्री धनीराम वर्मा, श्री राम आसरे वर्मा आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर जाकर बैठें, मैंने माननीय मोहन सिंह को बुलाया है।

(श्री मोती लाल दहेलवी के प्रयास से बीच में खड़े हुए सदस्य वापस चले गये।)

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैंने एक महत्वपूर्ण विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। मान्यवर, जिस दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसमें यह घोषणा की गयी कि सम्पूर्ण प्रशासन दुरुस्त है और नियम और कानून के ऊपर इस सरकार का अंकुश है। ठीक उसी दिन एक गिरोह दस्यु इटावा जिले के जसवन्त नगर थाना अंतर्गत कछपुरा ग्राम में दस्यु सम्राटों के एक गिरोह ने, एक ही परिवार के आधे दर्जन लोगों की सामूहिक हत्या कर दी, जिसमें अबोध बालक भी सम्मिलित हैं। उसी रात को मुरादाबाद जिले के जय सिंह गांव के 6 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गयी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवार के लोग कछपुरा गांव में दस्यु दानवता के शिकार हुए हैं, उनके सभी आग्नेयास्त्र स्थानीय पुलिस अधीक्षक, श्री रतूड़ी ने जबरन जमा कर लिये थे और उनकी सुरक्षा का कोई वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं किया था। इसलिए ऐसी आशंका है कि इस हत्या काण्ड में पुलिस अधीक्षक, इटावा का भी हाथ था। एस0पी0 के साथ मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य का भी सहयोग है। उस नेक्से डाकू गिरोह से यह वहां पर इस प्रकार का काण्ड कराते हैं।

मान्यवर, हम लोगों का एक डेलीगेशन माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और निवेदन किया था कि हमारे दल के महाराजा रिपुदमन प्रताप सिंह की हत्या करने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

लिए डकैत गिरोह को कांग्रेसजन चन्दा देकर उसे अस्त्र-शस्त्र दे रहे हैं। मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर बात है कि उस दस्यु गिरोह की ओर से यह चालीसवीं हत्या है। लेकिन उस दस्यु गिरोह के उच्छेदन हेतु कोई कार्यवाही यह सरकार नहीं कर रही है।

ऐसी स्थिति में इस गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करा दें। यह बात सही है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, पर यदि हम इस प्रस्ताव पर अलग से चर्चा नहीं कर पायेंगे तो हम अपने कर्तव्यों से पद्च्युत हो जायेंगे। इस शासक दल के लोगों की डाकुओं से सांठ-गांठ हो गयी है, उनको इन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। हम चर्चा के द्वारा प्रदेश की जनता को उससे अवगत कराना चाहते हैं। (व्यवधान) इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करा दें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस नृशंस हत्या के विषय में मैंने भी अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव दे रखा है और यह बड़ी ही दर्दनाक घटना है और इससे प्रदेश की सरकार की अक्षमता सिद्ध हो गयी है और यह बात भी साफ हो गयी है कि माननीय मुख्य मंत्री की पकड़ अब प्रशासन पर नहीं रह गयी है और इसी कारण मान्यवर, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिये था। 9 बजे रात को डाकुओं ने जो महिलायें मरी हैं उनके गुप्तांग में गोली मारी है, दुधमुंहे बच्चों को गोली मारी गयी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस स्थान पर यह घटना हुई है उसी के 1 किलोमीटर के आसपास पी0 ए0 सी0 का कैम्प लगा हुआ था। एक आदमी ने पी0ए0सी0 वालों को तुरन्त इस घटना की सूचना दी, पर पी0 ए0 सी0 वालों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं जायेंगे। फिर लोगों ने स्टेशन पहुंच कर अधिकारियों को इसकी सूचना दी, टेलीफोन किया, मगर पुलिस 5 बजे पहुंची। एस0 पी0 12 बजे तक वहां नहीं पहुंचे। अगर समय से पुलिस पहुंच जाती तो हो सकता था कि जिन 2-3 आदमियों की मृत्यु बाद में हुई है, उन्हें बचा लिया जाता। वहां के राजनैतिक नेताओं का डाकुओं को संरक्षण प्राप्त है। एक व्यक्ति ने वहां के एस0 पी0 को लिख कर भी दिया था कि अमुक-अमुक की जान को खतरा है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने किसी भी प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था नहीं की और यह घटना घटी। मुझे माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य को सुन कर आश्चर्य हुआ। जब वे वहां गांव में गये तो गांव वालों से उनको कोई सूचना नहीं मिली क्योंकि पूरा गांव पोस्ट मार्टम में गया हुआ था। वहां के एस0 पी0 ने जो सूचना माननीय मुख्य मंत्री को दी वही उनको मिली। उनकी भेंट किसी भी गांव वाले से नहीं हो सकी। (व्यवधान) जो लोग डाकुओं को संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों ने ही यह करवाया है (व्यवधान) यह एक विशेष परिस्थिति है, इसलिये इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को आप ले लें। हमें पैसा नहीं चाहिये। जो शत्रु हैं, जो डकैत है समाज की शान्ति व्यवस्था के लिये चुनौती बने हुये हैं वे बेनकाब हों और इसको कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

(घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खैरुल बशर–

एसी घटना हिन्दुस्तान में आजादी के बाद कभी नहीं हुई है ।

(लोक दल के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलते रहे ।)

श्री सन्तबक्स रावत–

गोसांईगंज की पुलिस ने वहां की बाजार को स्वयं लूट लिया ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुछ विषय नियम 56 में दिये गये यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसलिये यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे दुर्भाग्य की बात यह हुई कि जिस दिन यह सदन बुलाया गया उसी तारीख को जिस दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसी रात को यह दर्दनाक कांड हुआ । इसके प्रति सभी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार सीतापुर का है हालांकि इसको आपने अस्वीकार कर दिया है, वहां पर किसानों को अरेस्ट किया और राज्य मंत्री जी की मौजूदगी में वहां पर लाठी चार्ज हुआ यह मेरी सूचना है, हो सकता है गलत हो। इसी प्रकार आजमगढ़ का एक वकीलों का मामला है । इस पर 3-3, 4-4 मिनट सुन लें तो सबको मौका मिल जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल–

मैं समझता हूं कि जिस तरह की घटना इटावा जिले में हुई है यह एक अभूतपूर्व घटना है । यह लोमहर्षक काण्ड हुआ है । मैंने भी एक प्रस्ताव नियम 56 के अन्तर्गत दिया है । मैं समझता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसको किसी वजह से टाला नहीं जा सकता । आप एक बात तो कह सकते हैं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण होंगे, विचार-विमर्श होगा 4 दिन का । इसमें माननीय सदस्य अपनी बातें कह सकते हैं लेकिन श्रीमन्, इस घटना को देखते हुए और उसके संबंध में जो बयानात पक्ष और विपक्ष की तरफ से अखबारों में, प्रेस में आये हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी का भी बयान आपने देखा होगा कि जिन लोगों का संबंध इस घटना से होगा उनको फांसी दी जायेगी, लेकिन मान्यवर, इसका समावेश महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं हो सकता । अगर आपने कोई दूसरा रास्ता निकाला होता, मान्यवर, काम रोको प्रस्ताव अगर सरकार के लिए निन्दा का प्रस्ताव होता है तो ऐसे-ऐसे अवसर आये हैं कि दो-ढाई घंटे को चर्चा के लिए पहले के माननीय अध्यक्षों ने स्वीकृति दी है । हर महत्वपूर्ण घटना पर चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो, बजट का समय हो, दो-दो ढाई-ढाई घण्टे का समय दिया है । इस वक्त दो महत्वपूर्ण घटनायें प्रदेश के अन्दर घटित हो गई हैं जिससे हमारे प्रदेश के जन-मानस में व्यापक असंतोष है । इसमें एक घटना तो आजमगढ़ की है जहां लोगों पर दो-दो बार लाठी चार्ज हुआ । इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार कौंसिल के सदस्य के सामने वहां लाठी चार्ज हुआ । जिला जज साहब के सामने मारा गया है । इसलिये श्रीमन्, एक निश्चित प्रक्रिया अलग से बनानी चाहिए बल्कि यह उदाहरण नहीं देना चाहिए कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार-विमर्श होगा उसमें इसका समावेश किया जाये । यही मेरा निवेदन है ।

*श्री विजय सिंह राना–

यद्यपि इस सदन की यह परम्परा है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता किन्तु उन पर चर्चा कराने की परम्परा है । मैं केवल एक जानकारी यहां पर आपसे चाहता हूं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव अगर विहित प्रक्रिया के अन्दर है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाये यही प्रक्रिया क्यों चली आ रही है। जब कोई विषय इतने लोक महत्व का है कि उसकी महत्ता असंदिग्ध है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी ? कछपुरा काण्ड में जिस तरह से लोमहर्षक काण्ड हुआ है मान्यवर, उसमें मानवता भी थर्रा उठी है । जब इस निकम्मी सरकार के मुख्य मंत्री वहां पहुंचे तो 90 वर्ष की बुढ़िया राजवीर की मां श्रीमती पान कुंवारी उनके सामने जो दहाड़ मारकर विलाप किया उससे धरती और आसमान के कलेजे दहल गये लेकिन सत्ता पक्ष के मदांध लोगों के हृदय पर आज भी कोई प्रभाव नहीं है जब शासन में बैठे लोग इतने हृदयहीन हो जायं तो शासन का क्या होगा ? वहां पप्पू, उससे बड़ा गुड्डू, उससे बड़ा सन्तू, उससे बड़ा नरेन्द्र, उसकी बुआ, उसकी मां, राजवीर के पिता इन 8 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इस सम्पूर्ण हत्याकाण्ड का नायक है वहां का एस0 एस0 पी0 प्रेमदत्त रतूड़ी। रतूड़ी जो वहां का एस0 एस0 पी0 है, यह नेकसे गिरोह प्रारम्भ से ही रतूड़ी के संरक्षण में पल रहा है । इसके स्पष्ट और तथ्य संगत प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है । इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाह क्षेत्र के पंडित इन्द्रजीत पाठक की कुछ दिन पहले पकड़ हुई थी और इसी नेकसे गिरोह ने पकड़ की थी। पं0 इन्द्रजीत को पकड़ कर इटावा जिले के लखनपुरा गांव में रखा गया था और नेकसे इसी गांव में प्राय: रहता है । पं0 इन्द्रजीत जब छूटकर आये तो इन्होंने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उन्हें पूरे 43 दिन तक लखनपुरा में रखा गया था । जब एक पकड़ 43 दिन तक एक ही गांव रही तो कैसे सम्भव हो सकता है कि वहां के एस0 एस0 पी0 को जानकारी न हो और न भी होता तो पकड़ के बताने के बाद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की । नेकसे गिरोह आज भी वहीं खुले में रहता है । इससे स्पष्ट है कि यह सब एस0 एस0 पी0 की जानकारी में है और स्पष्ट जानकारी है यह श्री रतूड़ी के संरक्षण में रहता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप जो कुछ कह रहे हैं संक्षेप में कहें।

श्री विजय सिंह राना–

इसलिये मेरा स्पष्ट आक्षेप है कि नेकसे गिरोह को पूरा संरक्षण है प्रेम दत्त रतूड़ी का। उसको हथियार दिये जा रहे हैं, कांग्रेस (आई) दल की ओर से चन्दा इकट्ठा करके हमारे यहां बाह क्षेत्र के पं. सेवाराम शर्मा जी धारा 216 में जेल भेजे गये और कांग्रेस (आई) के मंत्री काशी नाथ मित्र जेल में मिलने गये। इससे स्पष्ट है कि यह गिरोह शासन और पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में कार्य कर रहा है।

(शेम-शेम की आवाजें)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसी सत्ता जिसमें पुलिस और शासन के मंत्री का संरक्षण प्राप्त हो, जाति-पांति पर, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद पर शासन चले, जातिवाद पैदा किया जाये इससे बढ़कर शर्म की बात नहीं हो सकती।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठें। मेरी बात सुन लें।

(श्री धनीराम वर्मा सदन के फ्लोर पर आकर खड़े हो गये और बोलने लगे।)

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री धनीराम वर्मा ने कार्यवृत्त लेखक की मेज पर रखे पत्रादि उठाकर 'फ्लोर' पर फेंक दिया तथा रिपोर्टर्स की कुर्सियां गिराईं। मा0 सदस्य ने रिपोर्टर्स की टेबुल पर रखे हुये ध्वनि यंत्रों को भी उठाकर फ्लोर पर फेंका।

(इस समय सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

15 मिनट के लिये सदन स्थगित किया जाता है।

(इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई। 1 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही 30 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गयी। 2 बजकर 28 मिनट पर मार्शल द्वारा पुनः सदन की कार्यवाही 30 मिनट स्थगित रहने की सूचना दी गयी। 2 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गयी।

(तदुपरान्त 3 बजकर 13 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

आज सदन में श्री धनीराम वर्मा द्वारा किये गये व्यवहार की निन्दा एवं खेद प्रकाश

श्री ऊदल–

मान्यवर, आज माननीय सदन में जो घटना घटी है, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही निंदनीय है। इसका मुझे बहुत ही खेद है। श्रीमन्, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के लोग ही अगर विरोधी दल के लोगों के बोलने में व्यवधान पैदा करते हैं तो इससे विरोध पक्ष का ही अहित होता है। आज उसी प्रकार की घटना घटी है। जिन विषयों पर हमें यहां शांतिपूर्वक विचार विमर्श करना चाहिये, विरोध पक्ष के लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं और सरकार अपने विचारों को उपस्थित करना चाहती है तो इस तरह की कार्यप्रणाली अपनाकर हम उसको पीछे ढकेल देते हैं। आज जो स्पीकर फेंका गया और कुछ फाइलें फेंकी गयीं मैं समझता हूं यह और भी निंदनीय है। इसको मैं निंदा की दृष्टि से देखता हूं और निंदा करता हूं।

(शेम शेम की आवाजें।)

श्रीमन्, घटनायें होती हैं इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन यह परिस्थिति इस प्रकार की नहीं थी। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में महत्वपूर्ण घटनायें जब घट जाती हैं तो उससे जनमानस में रोष पैदा होता है।

[श्री ऊदल]

मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे सत्ता पक्ष के भाइयों में रोष होगा, ऐसी बात नहीं है कि रोष नहीं होगा लेकिन चूंकि वह सत्ता पक्ष में बैठते हैं इसलिये बहुत सी बातों को नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस बात को मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं कि उनमें रोष नहीं होगा। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो घटना घट गयी उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं, आप क्षमा कर दें और आगे की कार्यवाही शुरू करें। मैं सभी बंधुओं से, विरोधी दल के भाइयों से अपील करता हूं कि हम अपनी बात को जितने पुरजोर तरीके से कह सकते हैं कहनी चाहिए। कभी-कभार ऐसे मौके आ जाते हैं कि सत्याग्रह भी किया जाता है और फ्लोर भी क्रास किया जाता है लेकिन आज वह स्थिति नहीं थी। पिछले इतिहास में भी ऐसे मौके आये हैं कि किया गया है लेकिन मौके को देखकर कहना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आज की घटना के लिये खेद प्रकट करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष महोदय, सदन में भावावेश में जो कुछ हुआ उसका मुझे खेद है। अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊदल जी ने जो बातें कहीं वह 25 वर्ष के अपने पार्लियामेन्टरी जीवन को कम्पेयर करते हैं जो लोग नये आये हैं उनसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ होती है। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंटरी तरीके के कुछ नियम हैं जो सभी पर लागू होते हैं। लेकिन जो घटना घटी है उसका दुख निश्चित तौर से हमको है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस जनपद की घटना हो, वहां के सदस्य को अवसर न देना उसे स्वाभाविक रूप से उद्वेलित करना है, चाहे वह इधर के बैठने वाले हों या उधर के। और श्री धनीराम वर्मा की भूल के कारण कुछ देर सदन का कार्य स्थगित रहा, इसके लिए हम सब दुखी हैं। यह घटना प्रदेश के नाम पर एक कलंक है। ऐसे मौकों पर हम सभी को बहुत शान्ति और गम्भीरता से काम लेना चाहिए और पूरी तरह सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मर्यादित रहना चाहिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्री धनी राम वर्मा जी को भी सुनने का मौका दें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह बात सही है कि केवल कुछ मा0 सदस्यों ने प्रशासनिक स्थिति की शान्ति को अपनी गलती से भंग किया और जिससे आदरणीय सदन का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ और ऐसी स्थिति पैदा हुयी जिससे लक्ष्मण-रेखा पर अतिक्रमण करना पड़ा, यह कार्य तो किसी भी तरह से सराहनीय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर इन बातों पर विचार करना होगा कि कभी-कभी इंसान पर बगावत फर्ज बन जाती है, ऐसी स्थिति सामान्यतया कैसे और क्यों उत्पन्न होती है। इस पर मा0 नेता विरोधी दल ने भी अपना खेद प्रकट किया है, मैं भी इनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री फखरे आलम–

अध्यक्ष महोदय, आज जो घटना आदरणीय सदन में घटी वह निहायत अफसोस नाक थी और यह किस वजह से घटी, यह हम सभी को मालूम है और यह भी सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से यहां राज्य करना शुरू कर दिया है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस तरह से आम जनता को सताना और बर्बाद करना शुरू कर दिया है, यह उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, जिसकी वजह से मा0 धनीराम वर्मा जी को ऐसा करना पड़ा, जिस पर हम सभी को बहुत ज्यादा खेद है और साथ ही यह भी निवेदन करना है कि जब इस प्रकार की चर्चा इस सदन में हो रही हों तो उस जिले के रहने वाले माननीय सदस्य को अवश्य और पहले सुनें, वरना यही हो जायेगा कि जुल्म होंगे और उनकी आवाज को दबाया जायेगा तो ऐसी ही घटनाएं उग्ररूप ले लिया करती हैं, जिन्हें फिर संभालना मुश्किल हो जाया करता है और फिर आपके राज्य में यह मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जालिम और मजलूम को एक साथ खड़ा करने का इरादा है, अपनी गलत नीति के आधार पर। इसके लिये भी जरूरी है, इस बात का देखना। मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे मौकों पर आप इस बात को देखते हुए कि यह घटना कहां घटी है, यह हंगामा कहां हुआ है, इसको देखते हुए उन लोगों को इस बात का मौका दें कि वे अपनी बात कह सकें। मुरादाबाद और मेरठ में बड़ी-बड़ी घटनाएं घटीं वहां पी0ए0सी0 और सिविल पुलिस ने निहत्थे लोगों पर दमन किया।

(व्यवधान)

आपके हंगामे से मेरी आवाज नहीं रुक सकती है। आप मेरी आवाज को रोकना चाहते हैं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर सत्ता पक्ष रुकावट डालेगा तो इसका यह नतीजा होगा कि हम लोग भी वही तरीका अख्तियार करेंगे।

मैं तायरे आवारा व रुसवा सही लेकिन
मेहबूब चमन तक मेरी परवान नहीं है।

(व्यवधान)

मेरठ का नाम आते ही क्यों मेरे भाई चौंकने लगे। मेरठ में पी0ए0सी0 ने जो जुल्म ढाया है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। इन्सानियत शर्म से पानी-पानी हो गयी है। अगर मेरी जबान पर मेरठ का शब्द आता है तो कुछ भाई जोश में क्यों आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बात को इतना न बढ़ायें, संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री फखरे आलम–

मान्यवर, जो घटना आज सदन में घटी, उसका मुझे अफसोस है, निहायत दुख है।

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, आज जो दुर्घटना हुई, उसके ऊपर मुझे बड़ा दुःख है। इन आंखों ने यों तो इस सदन के अन्दर बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें देखीं, लेकिन इस सत्र के शुरू में जो हुआ है, उसका प्रारम्भ इस तरीके से हो, इसके ऊपर बहुत दुख है। मुझे इस बात की खुशी है कि मा0 नेता, विरोधी दल ने इन सारी घटना के संबंध में खेद प्रकट किया है। मैं आशा करता हूं कि मा0 नेता, विरोधी दल ऐसा प्रयास करेंगे कि भविष्य में अपने दल के ऊपर कंट्रोल रखने का कि इस तरह की घटना न घटे। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह सदन जम्हूरियत और डेमोक्रेसी में मंदिर से कम हैसियत नहीं रखता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

है। इसके अन्दर बैठकर हम लोगों को शान्ति पूर्वक ढंग से अपनी बात कहने की नियमावली के आधार पर पूरी आजादी है और वह हमारा अधिकार है। परन्तु आपके सामने तो एक यह मसला जरूर विचाराधीन है, जिस पर निर्णय लेने की जरूरत है कि इस सूबे के अन्दर पिछले दिनों में जो बड़ी-बड़ी अहम् घटनायें घटीं चाहे वह इटावा हो, मुरादाबाद हो या मेरठ हो या आजमगढ़ हो, जिनका समावेश केवल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में नहीं हो सकता, उन घटनाओं के सम्बन्ध में आपको और सत्ता पक्ष को इस बात को सोचने की जरूरत है कि जिन घटनाओं से इन जिले के लोगों में रोष प्रगट होता है और वह चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले, उन पर अलग से समय के निर्धारण की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि आप हर माननीय सदस्य के अधिकारी की रक्षा करते हुए इस बात का विचार करेंगे कि जो प्रान्त में घटनायें हुई हैं जिनका ताल्लुक ला एण्ड आर्डर से है और जिसके लिये पुलिस को पुरस्कृत किया जाता है, वही पुलिस की क्षत्रछाया में इतनी बड़ी-बड़ी घटनायें हो रही हैं। आज जो घटना हुई है उस पर मैं दुखः प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसके निराकरण के लिये जरूर कोई प्रयास करेंगे।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आज जो सदन के सामने घटना घटी, वह दुखद तो है ही इसके साथ ही सदन की मर्यादा के विपरीत है। माननीय विधायक चाहे वह सत्ता के पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दोनों के सहयोग से सदन की मर्यादा कायम रह सकती है। सदन की मर्यादा के विपरीत यह घटना हुई उसके वाद सदन में शान्ति कायम हुई है। मान्यवर, मैं इतना ही कहूंगा कि सदन में जो घटना घटित हुई वह दुखद है और माननीय नेता विरोधी दल ने इस संबंध में जो अपनी भावना व्यक्त की है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए सदन की मर्यादा बनाये रखने में पूरी तरह से आश्वासन देता हूं।

(श्री अम्मार रिजवी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप कृपा करके बैठें।

*श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो माननीय नेता विरोधी दल ने, मा0 गुप्ता जी ने तथा माननीय फखरे आलम साहेब ने सदन की घटना के संबंध में खेद व्यक्त किये हैं उससे मैं सहमत हूं परन्तु आज की जो घटना है वह ऐसी घटना है कि शायद कोई भी जन प्रतिनिधि जिसके जिले में इस तरह की घटना घटित हुई होगी तो उसने प्रयास न किया होगा कि उसकी बात सुन ली जाय। मेरे हजारों बार कहने के बावजूद भी.....

(सत्ता पक्ष की ओर से श्री हरदेव द्वारा खड़े होकर जोर-जोर से बोलने पर विरोधी पक्ष की ओर से श्री विजय सिंह राना भी उठकर खड़े हो गये और बोलने लगे और घोर व्यवधान होने लगा)

श्री अध्यक्ष–

माननीय धनीराम जी, आप रोष में न जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं रोष में नहीं हूं मैं तो बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि इस सदन के ढाई वर्ष के कार्यकाल में मैंने एक भी शब्द सदन की मर्यादा के विपरीत नहीं कहा और जब मुझसे कहा गया कि बैठो, मैं बैठ गया। जब मुझे बोलने का अवसर दिया गया तभी मैं बोला । लेकिन मेरे जिले के 8 निरीह लोगों की नृशंस हत्या हो गयी तो स्वाभाविक था कि मेरा खून खौले और यह भी स्वाभाविक था कि मैं अपनी बात को सदन के सामने रखूं और अपनी बात कहने के लिये किसी तरीके से कोई उपाय निकालूं जिससे कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मान्यवर, यदि आपके कार्यालय में कोई ऐसी परम्परा होती कि किसी विधायक के जिले में कोई बड़ी घटना घटित हो तो उसको प्रायरिटी बेसिस पर लिया जाय तो आज ऐसी बात हम जैसे व्यक्ति से न होती। मैं स्वयं शिक्षक रहा हूं और अनुशासन व शान्ति को पसंद करता हूं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

जिस स्कूल के आप शिक्षक थे तो वहां के स्कूल को आपने बन्द तो नहीं करा दिया ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, वैसे मनुष्य ही हूं और जब एक मनुष्य को मनुष्यता से अलग किया जाता है, उसके अधिकारों का हनन होता है जब उसके अधिकार पर बराबर हमला होता है, उसका अधिकार छीना जाता है तो स्वाभाविक है कि मजबूरी में कुछ न कुछ करना होता है। मान्यवर, यह घटना भावावेश में जाकर घटित हुई। मेरी कोई मंशा नहीं थी कि इस सदन की कार्यवाही को रोका जाये । मान्यवर, घटना इतनी दुखद है और सिस्टेमेटिक वे में है । इस घटना के पीछे. . .

श्री अध्यक्ष–

आप विस्तार में न जायें। संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, मैंने तो खेद प्रकट कर दिया है। . . . . .

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

धनीराम जी आप बैठें, व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सदन को चलाने के ऊपर सरकार को कितना भारी खर्च करना पड़ता है। एक मिनट में कितना भार आता है और हमारे गुरू जी उसकी कितनी क्षति कर रहे हैं। वह एक शब्द में भी क्षमा मांग सकते थे। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मा0 धनीराम जी आप कहें।

श्री धनीराम वर्मा–

यह हमारे जनपद की बात है, बड़ी दर्दनाक घटना है, 8 आदमियों की हत्या कर दी गयी। मैंने उस पर चर्चा की मांग की। यह भी मांग की कि वहां के एस0पी0 श्री रतूड़ी को सस्पेंड किया जाये। इस घटना में उनका बहुत बड़ा हाथ है।

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत विस्तार में न जायें।

श्री धनीराम वर्मा–

डी0 ओ0 लेटर लिखकर बर्बर लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं और वही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां पर अपराध करते हैं। पुलिस अधीक्षक, रतूड़ी को आप सस्पेंड करें और इस घटना की न्यायिक जांच करायी जाये और सदन में व्यापक चर्चा करायी जाये उस समय मैं और भी तथ्य आपके सामने रख सकूंगा।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में अधिकार संचालन की शक्ति आपको ही है, एक ही व्यक्ति को हो सकती है। अगर हम सब इस अधिकार को अपने हाथ में ले लें तो हमारा कर्त्तव्य कोई नहीं रह जाता। जो घटना घटी, मान्यवर, उस पर सभी लोगों ने खेद प्रकट किया है। नेता विरोधी दल स्वयं भी इस घटना पर बहुत ही दुखी थे। जो वजूहात थे हम उनका आदर करते हैं परन्तु इस सदन की बात जब बाहर जाती है तो पक्ष और विपक्ष की बात नहीं जाती है बल्कि यह बात जाती है कि असेम्बली में हंगामा हुआ। तो मान्यवर बात सारे सदन की आती है। प्रदेश में 12 करोड़ लोग हैं, वह देखते हैं कि हम लोग जो उनके प्रतिनिधि हैं किस प्रकार से अनुशासन की बात करते हैं और खुद अनुशासित नहीं रहते हैं, इस पर उनकी नजर होती है।

मान्यवर, यह विरोधी दल का अधिकार है कि वह अपनी बात को कहे और सत्ता पक्ष को उनकी बात को सुनना चाहिये, लेकिन ऐसा वातावरण न उपस्थित किया जाये कि कोई बात उस तरफ की सुनी न जा सके।

मेरा आपके माध्यम से, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय रियासत हुसैन जी ने कहा, यहां पर एक कोड की जरूरत है, जिसके द्वारा नियंत्रण रखने की जरूरत है। विरोधी दल से दो-दो तथा चार-चार सदस्य एक साथ बोल रहे हैं और वे चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाय। इस तरह से न तो वे अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हैं और न हम पूरा कर सकते हैं। जहां तक घटनायें घटित होने का सम्बन्ध है, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा, रियासत साहब ने कहा, धनीराम वर्मा ने कहा, हम पूरी तरह से उनकी इस बात से सहमत हैं। जो घटनायें घटी हैं वे अवश्य गम्भीर प्रकृति की हैं। हम सब को उनको एक साथ बैठकर सुनना चाहिये लेकिन उससे जो वातावरण यहां पर पैदा हो गया जो सवा घण्टा या डेढ़ घण्टा उन घटनाओं को सुनने में लगाया जा सकता था, उन पर विचार-विमर्श हो सकता था वह आपके कक्ष में बैठकर एक दूसरे से परामर्श करके ही चला गया। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इस पार्टी का सम्बन्ध है, ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम है, शांति व्यवस्था का सम्बन्ध है, जितनी फिक्र आपको है, एक सदस्य की हैसियत से हमारे दल के लोगों को भी है। मेरठ का मामला है। वहां न्यायिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जांच करायी जा रही है । हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मिस्टर पारेख उसकी जांच कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी इटावा खुद गये। जैसे ही वहां घटना घटी, उसके दूसरे ही दिन वे वहां गये और जो कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने वहां जाकर किया। तीन आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जो दोषी थे, उनको सजा दी गयी। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को सूचित करना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, जो दोषी होगा वह बख्शा नहीं जायगा।

मैं यह बात आपके माध्यम से प्रदेश की सारी जनता के सामने रखना चाहता हूं। आजमगढ़ का मामला है, वकीलों का मामला है, जो घटनायें हुई हैं वहां के सिविल जज ने कमिश्नर को जो पत्र लिखा था और जिन-जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा था, उनको हटा दिया गया है, या सस्पैंड किया गया है । आप इस बात से ही अन्दाज लगा सकते हैं कि मुख्य मन्त्री जी वहां पर वहीं के विधायकों को साथ लेकर गये हैं । मौके पर जाकर उन्होंने जांच की । जहां तक इन बिन्दुओं का सवाल है, यह पक्ष पूरी तरह से जागरूक है । चाहे कोई भी पार्टी शासन में हो, आप जब थे तो आपके सामने भी कई घटनायें घटी होंगी, उस वक्त हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सदन के सदस्य होने के नाते हम लोग पक्ष और विपक्ष की बात न करें और कोई दोषी व्यक्ति छूटने न पाये। मेरा सारे सदन से अनुरोध है हम यहां पर एक कोड बनायें जिससे कोई ऐसी अप्रिय बात यहां पर न होने पाये । उसके लिये आप किसी एक कमेटी का गठन कर दें । अपनी-अपनी बात सब कहें । आजादी हर एक को है और उस हद तक है कि दूसरे की आजादी खतरे में न हो । जब दूसरे की आजादी खतरे में आ जाती है तो यहां पर जो अधिकारी बैठे हैं, जो यहां पर कार्यवाही को लिख रहे हैं, जो यहां पर माइक लगा हुआ है, क्या उस पर जनता का पैसा खर्च नहीं हुआ है ? क्या यहां का लाउड-स्पीकर प्राइवेट प्रापर्टी है ? यह सब जनता का पैसा है । ऐसा करके जनता के पैसे का हम दुरुपयोग करते हैं, हजारों रुपये प्रति मिनट यहां पर खर्च हो रहा है.....(व्यवधान) ।

आप कृपा करके सुनिये । आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी । मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा हमने आपकी बात को बड़े धैर्य से सुना, उसी तरह से आप भी हमारी बात को सुनें। जैसा नेता विरोधी दल ने कहा, यहां पर किसी तरह का अनुशासन भंग नहीं हुआ है..(व्यवधान) । जैसा आप हमसे सुनने की अपेक्षा करेंगे उसी तरह से आप भी अपेक्षा करें । मैं अधिक न कह कर हाथ जोड़कर सारे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक कोड यहां पर बनायें ताकि जो यहां पर बाहर के लोग हैं, अधिकारी लोग यहां पर बैठे हैं वे कम से कम हमारा मजाक न उड़ायें कि हम इस लेवुल तक जा सकते हैं । हमारा एक स्टैण्डर्ड होना चाहिये । यदि हम अपना स्टैण्डर्ड नहीं बना सकते हैं अपने भाषण और अपने आचरण को मेन्टेन नहीं कर सकते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को आचरण और अनुशासन की बात करें। मुझे उम्मीद है कि जैसा आज माननीय नेता विरोधी दल ने एक बड़ी परम्परा डाली है, आपके कक्ष में जो उन्होंने कहा है, उनके वक्तव्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं और जो भी लोग वहां थे, रियासत जी, उदल जी, राजेन्द्र गुप्त जी, वे सब बहुत दुखी थे ।

माननीय, मैं समझता हूं कि यह जो दुखद घटना हुई इसको हम इस तरह से लें कि जो आने वाला भविष्य है उसमें ऐसा वातावरण बनायें जिससे फिर ऐसी बात न हो और एक दूसरों की बात सुनी जा सके ताकि बाहर के लोग इस वातावरण से यह न कहें कि असली हैसियत देखनी है तो विधान सभा में चले जाइये तो पता चल जायेगा कि

[श्री अम्मार रिजवी]

कैसी है। इस प्रकार का आक्षेप हम पर नहीं आना चाहिये। इस सदन का संचालन और संरक्षण आपको करना है हर व्यक्ति नहीं करेगा यह नहीं होना चाहिये कि अगर अपनी बात सुनानी है तो हमें मजबूर कर दें। अगर ऐसा है तो फिर कांस्टीट्यूशन की, नियमावली की क्या जरूरत है।ऐसा नहीं होना चाहिये कि माइट इज राइट।आपको सख्ती से नियंत्रण करना चाहिये।स्कूल टीचर क्लास के अन्दर लड़कों को सजा भी देता है मेरे दोस्त भी स्कूल टीचर रहे हैं मैंने भी पठन-पाठन का कार्य किया है मेरा भी टीचर का प्रोफेशन रहा है लेकिन उनका जो आज आचरण रहा है उसमें मुझे अफसोस है यह कहने में मुझे दुःख होता है कि मेरा और उनका पेशा एक रहा है।

जो माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने जो बातें कहीं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस सदन की गरिमा और निष्ठा तथा आदर को बनाये रखने के लिये मिल कर प्रयास करें ताकि दूसरे प्रदेशों और जनता में हम आदर्श रख सकें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पूरे तरीके से माननीय सदस्यों को सुना। मुझे बहुत अफसोस और दुःख है जैसा आज वातावरण यहां उत्पन्न हुआ एक डेढ़ घण्टे तक हम चैम्बर में बैठ कर बात करते रहे उस बात पर जो यहां आरम्भ हुई हमें अपने दिलों पर हाथ रखकर देखना चाहिये कि क्या वास्तव में यह व्यवहार ठीक है । हम लोग 10, 12 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रत्येक माननीय सदस्य पौने दो लाख वोटर का प्रतिनिधित्व करता है । जितने भी हम लोग यहां पर बैठे हैं वे सब जनता के लोग हैं अगर हमारा इस तरह का आचरण रहा तो क्या यह हम लोगों को शोभा देता है । प्रारम्भ में जब नियम 56 की बात आयी तो नेता विरोधी दल ने तथा कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही और उस पर मैंने अपना निर्णय नहीं दिया था अगर निर्णय दे दिया होता तो आपको अधिकार था यह कहने का कि आपको अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया। प्रत्येक माननीय सदस्य चाहे उधर का बैठने वाला हो या इधर का बैठने वाला हो जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं नियमों से बंधे हुए हैं । मुझे नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है शासन तथा विरोधी दल को नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है । आपको अधिकार है कि अपनी बात कहें । अगर किन्हीं कारणों से आप समझते हैं कि अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इनवाइट करता हूं आप आइये मेरे चैम्बर में या मेरे घर में मैं आपकी बात सुनने के बाद निर्णय दूंगा।आपके साथ किसी प्रकार की ज्यादती न हो यह मैं देखूंगा, लेकिन लाउड-स्पीकर ने क्या बिगाड़ा है, इन फाइलों ने क्या बिगाड़ा है जो इनके साथ कबड्डी खेलें । यह कोई अच्छी बात नहीं है । यह इस सदन की परम्परा नहीं रही है । इस सदन का एक इतिहास है। इन तमाम चीजों को हमें सोचना और विचारना पड़ेगा । अगर आप आकर यहां बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं यह एक दुखद बात है । आपसे उधर से लोग खुशामद करते हैं कि इधर आप अपने स्थान पर आ जाइये, लेकिन आप मानते नहीं हैं कहीं अनुशासन या नियम रहेगा या नहीं ? आपके नेता ने बार-बार कहा, उधर से लोग पकड़ने के लिए आये, देहलवी साहब बुलाने के लिए आए और बाद में उन्होंने उनकी बातों को भी नहीं माना, यहां यदि इस तरह की परम्पराएं रहीं,

वातावरण रहा है तो वह करने लायक है और इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उन चीजों को पसन्द नहीं करेगा। भारतवर्ष में यह सबसे बड़ा हाउस है और यहां की परम्पराएं, यहां के नियम और यहां की घटनाएं आपके प्रदेश में ही नहीं रह जाती हैं, बल्कि वह तमाम भारत वर्ष में जाती हैं। तो यदि हम इस तरह की चीजें करेंगे तो वह दुखदायी बातें हैं और उनसे इस सदन की गरिमा और शोभा नहीं बढ़ती है। मैं निवेदन करूंगा कि आगे चलकर इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो, जिसमें हमारी गरिमा घटे, जिसमें जनता का हम पर अविश्वास हो। यदि किसी माननीय सदस्य के साथ किसी प्रकार की कोई ज्यादती हुई तो वह मुझको आकर बताएं, मैं उस पर पुनः विचार करूंगा उस पर बाद में निर्णय लूंगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह की कोई बात नहीं होने पावेगी, जिससे सदन की गरिमा या महिमा समाप्त हो और सारे नियमों का पालन करते हुए यहां पर समस्त कार्य होगा।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

अब हम प्रातःकाल वाली बात पर पुनः आते हैं.....

श्री मंजूर अहमद–

सबेरे आपने मुझे बुलाया था.....

श्री अध्यक्ष–

अब वह अध्याय समाप्त हुआ। जैसा कि मैंने निवेदन किया था, नियम 56 के अन्तर्गत 17 सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई थीं। पहली सूचना श्री हरगोविन्द वर्मा जी की सीतापुर में गन्ना किसानों की हड़तालियों पर पुलिस तथा पी0ए0सी0 द्वारा लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना सर्वश्री विजय सिंह राना, चन्दन सिंह, ऊदल, धनीराम वर्मा, रामसागर, माता प्रसाद पाण्डेय, राजेन्द्र कुमार गुप्त व थम्मन सिंह जी द्वारा, जो इस प्रकार है–इटावा जिले में 8 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। तीसरी है मंजूर अहमद जी की– 6 सितम्बर, 1982 को मेरठ नगर के मोहल्ला शाहगासा में पुलिस व पी0ए0सी0 द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को पीटने एवं जेल भेजने के संबंध में। सातवीं श्री सरदार सिंह की–प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना है। 8वीं सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भंडारी, खैरुल बशर, मित्रसेन यादव, गोपीनाथ वर्मा, मसरूर जाफरी तथा परमाई लाल, प्रदीप कुमार यादव, यदुनाथ सिंह, रामगोविन्द तथा श्री अकबर हुसैन जी की–आजमगढ़ के वकीलों के ऊपर पुलिस ज्यादतियों के विरूद्ध वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में है। 13वीं इस प्रकार की है सर्वश्री मोहन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त व मोतीलाल दहेलवी जी की–इटावा व मुरादाबाद में कई लोगों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। 14वीं इस प्रकार है जो श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री शंकर सिंह की है

[श्री अध्यक्ष]

–प्रदेश के कई भागों में विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पांच जनपदों में दैवी आपदाओं के कारण भुखमरी की स्थिति । 15वीं सूचना सर्वश्री हरिवंश सहाय व नन्दकिशोर सिंह की–देवरिया जनपद में गन्ना किसानों को गन्ना के दाम का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । 16वें सर्वश्री सन्तबक्स रावत जी की, जो–दिनांक 6-3-82 को थाना गोसाईगंज, लखनऊ के सब इंस्पैक्टर द्वारा गोसाईगंज के बाजार के दुकानदारों को पीटना एवं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार पर है तथा 17वीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की जो–काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई चोरी के संबंध में है ।

मैंने तमाम नियमों को देखा है और उन्हें देखने के बाद कामरोको-प्रस्ताव के रूप में मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूं । लेकिन चर्चा के लिए होगा और जिसके बारे में आगे चलकर कार्य मंत्रणा समिति विचार करेगी कि कितना-कितना समय किस-किस विषय को दिया जाए । हम पूरी तरह से बैठकर उस पर विचार करने के बाद समय आदि निर्धारित कर देंगे । तो मैंने जो दूसरी सूचना इटावा जिले में 8 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पढ़ी है, जिनके नाम पढ़े थे, उसके विषय की चर्चा के लिए स्वीकार करता हूं । माननीय मंजूर अहमद की, 6 सितम्बर, 1982 को मेरठ के मोहल्ला शाहगारा में पुलिस व पी0 ए0 सी0 द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को पीटने एवं जेल भेजने के संबंध में है, इसके विषय को भी मैंने चर्चा के लिए स्वीकार किया है माननीय कुंवरसिंह नेगी और नरेन्द्रसिंह भंडारी और अन्य माननीय सदस्यों ने दिया है, उसको मैंने पढ़ा। आजमगढ़ के वकीलों के ऊपर पुलिस ज्यादतियों के विरुद्ध वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में जो सूचना है, उसके विषय को चर्चा के लिए स्वीकार करता हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री मोती लाल दहलदी की इटावा व मुरादाबाद जिले में कई लोगों की हत्या किये जाने के संबंध में जो सूचना है, उसके विषय को भी चर्चा के लिए स्वीकार करता हूं और आखिर में श्री यदुनाथ सिंह की, काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई चोरी के संबंध में, इस विषय को भी चर्चा के लिए स्वीकार करता हूं और बाकी सूचनाएं जो माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी है, उसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री मंजूर अहमद–

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस वक्त आपको आज्ञा नहीं दूंगा। आप बैठें। यह लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद–

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपा करके बैठें आप । यह लिखा नाहीं जायेगा ।

[* * *]

(व्यवधान)

नोट [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरठ में तो इन्होंने ही सब कराया है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री मंजूर अहमद के खड़े होकर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंजूर अहमद आप बैठ जाइये। यह लिखा नहीं जायगा मैंने आपको इजाजत नहीं दिया है। यह माननीय मंजूर अहमद ने जो कुछ कहा है, यह लिखा नहीं जायगा। मैंने इन्हें अनुमति नहीं दिया है।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था मांगने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन आपने स्वयं रूलिंग दे दी।

अवध विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आइटम नं0 9 वाला जो प्रस्ताव माननीया शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था, उस पर सदन की राय प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करने से रह गया था, उसे मैं अब प्रस्तुत किये देता हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित दो विश्वविद्यालयों (अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय) की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

(श्री राजेन्द्र त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य–

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने राजेन्द्र त्रिपाठी को बुला लिया है। अब आप बैठें। यह चर्चा 3--4 दिन तक चलेगी। इसमें प्रस्तावक महोदय को 25 मिनट, दल के नेताओं और मंत्रियों को 25 मिनट, माननीय सदस्यों को 10 मिनट का समय रहेगा। माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय नेता, विरोधी दल के लिये समय की कोई सीमा नहीं रहेगी।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 1 फरवरी, 1983 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी]

मान्यवर मैं यह अपना कर्तव्य समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय को मैं इसके लिये अवश्य धन्यवाद दूं क्योंकि उन्होंने अपने शासन की नीति-रीति को सूक्ष्म परन्तु बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री राज्यपाल ने नीति विषयक जो वक्तव्य दिये हैं उनकी भावनावों का आदर करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, कांग्रेस (आई) की इस कल्याणकारी सरकार ने कल्याण कारी राज्य की जो कल्पना की थी, निश्चित रूप से यह उस ओर अग्रसर है और उसके लिये इस सरकार ने अनुकरणीय प्रयास किया है।

मान्यवर, सबसे अच्छा काम जो आज तक नहीं हुआ, इस सरकार ने किया है वह है समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिये। उनको सामाजिक न्याय और आर्थिक सहायता दिलाने के लिए, उनके इस योग्य बनाने के लिए ताकि वे अपना जीवनयापन कर सकें, केन्द्रीय कांग्रेस (आई) सरकार ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बनायी उसे यह सरकार ठीक से चला रही है। जब विरोधी दल की सरकार थी तो उसने सन् 1979-80 में इस प्लान के लिये केवल 63 लाख रुपया दिया था जब कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1980-81 के लिये 22.06 करोड़ रुपया दिया। दोनों में कितना अन्तर है ?

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय ने जिस ओर संकेत किया है वह इस आकड़े से पुष्टि होता है कि 1980-81 में 1.56 लाख अनुसूचित परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास करने का जो लक्ष्य रखा गया था, वह 1981-82 में 3.60 लाख हुआ और 1982-83 में 4.50 लाख का लक्ष्य है। यह प्रयास प्रशंसनीय है।

हमारे विरोधी दल के माननीय साथियों को ऐसा मौका अब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उनको ऐसा मौका मिले तो वह कांग्रेस (आई) के इस उत्तम प्रयास का अनुसरण करे पिछली हरिजनों को तिरस्कृत करने की गलती पुनः न दोहरायेंगे।

मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि 82-83 के लक्ष्य में दिसम्बर तक 1.84 लाख परिवार लाभान्वित किया जा चुका है।

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना

(सदन की दर्शन दीर्घा से किसी व्यक्ति द्वारा सदन में पर्चे फेंके गये तथा 'मेनका गांधी जिन्दाबाद' के नारे लगाये गये)।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदरणीय सदन में जब भी कोई बात होती है उसका कहीं न कहीं दूरगामी असर पड़ता है। हमने देखा हमारे सम्मानित सदस्य जिनके बारे में नेताओं को खेद प्रकाश करना पड़ा, जो अध्यापक भी रहे हैं। मैंने थ्योरी का क्लास तो पढ़ा था आज प्रैक्टिकल करके भी उन अध्यापक बन्धु ने आज सदन को दिखा दिया और उसी का दूरगामी असर भी हुआ उस पर आप ध्यान न दें। सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हरिजन बस्तियों

में भी जो अनुसूचित जाति बाहुल्य ब्लाक हैं उनमें सुधार की शासन ने निश्चय किया है। इसमें 294 विकास खण्ड जहां अनुसूचित जातियों का बाहुल्य था उनको चुना गया है। उसको शासन ने सघन आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया है। यह शासन का एक सराहनीय प्रयास है। हरिजनों, गरीबों और निरीह लोगों के लिए कुछ दुकानें बनाई जा रही हैं और उनको अपना व्यवसाय चलाने के लिये शासन की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसकी ओर भी राज्यपाल महोदय ने इशारा किया है। मैं प्रशंसा करते हुये इसका समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस बार प्रत्येक ब्लाक में 5 लाख रुपये की धनराशि शासन द्वारा दी गयी है जो गरीब और हरिजन भाईयों को अनुदान के रूप में दी जानी है ताकि वह अपना व्यवसाय सुगमता से कर सकें। एक बात का प्रकाश राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और किया गया है। आज तक हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती रही है लेकिन वह धनराशि पर्याप्त नहीं होती थी। 60 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति व पुस्तकीय सहायता के रूप में मिलती थी। लेकिन अब से कक्षा 9 से 10 के समस्त विद्यार्थियों को यह धनराशि दी जायेगी। इसकी प्रशंसा करते हुये मैं आशा करता हूं कि समस्त माननीय सदस्य इसका समर्थन करते हुये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करेंगे।

हरिजनों को यही इतनी दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत उनके वातावरण की भी है। उस वातावरण के कारण उनके बच्चे छोटी कक्षाओं में पढ़ने के लिए आर्थिक कठिनाई और वस्त्र तथा खानपान के कारण नहीं जा पाते हैं। उनकी कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है। इसी क्रम में 6 आश्रम पद्धति के विद्यालयों की और स्थापना की गयी है। इसके लिये भी मैं शासन को धन्यवाद देते हुये महामहिम राज्यपाल की प्रशंसा करता हूं। इसमें से यह विद्यालय इलाहाबाद, बांदा, सुल्तानपुर, आजमगढ़, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ में खोले जायेंगे। इलाहाबाद का सामान्य नागरिक एवं एक विधायक होने के नाते मैं शासन की प्रशंसा करता हूं कि इलाहाबाद में एक और आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की कृपा किया है।

जिस प्रकार से हरिजनों को समाज में कठिनाई है उसी प्रकार एक और वर्ग समाज का है विधवाओं का है जिसे उत्पीड़ित किया जाता है। विधवा चाहे जिस वर्ग की हो उसे उपेक्षित जिन्दगी जीने के लिये मजबूर किया जाता है। इनके लिये 51-56 लाख रुपया शासन द्वारा दिया गया है। यह भी अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य शासन द्वारा किया गया है।

(4 बजकर 10 मिनट)

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिए आवास की व्यवस्था, शहरों और देहात, दोनों जगहों में उतनी उचित नहीं है। शहरों में तो वह जीवन किसी तरह बिता भी सकते हैं लेकिन देहात में, आप भी मान्यवर, देहात के रहने वाले हैं, एक-एक झोपड़ी में जीवन बसर करते हैं, इस कांग्रेस (आई) के शासन ने, वर्तमान सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत उनको आवासीय प्लाट दे रहे हैं। उसमें हरिजनों की बस्ती के निर्माण, मकान बनाने का प्राविधान कर रहे हैं। इसमें से नवम्बर 82 तक 15 लाख,

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी]

51 हजार, 495 परिवार चुने गये थे जिन्हें आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना था और इसमें से 15 लाख, 2 हजार, 773 आवासीय स्थल का आवंटन शासन ने कर दिया है। इसमें 15 लाख जो दिये हैं, उसमें 12 लाख 17 हजार 5 सौ जो स्थल दिये गये हैं वे अनुसूचित जाति को दिये गये हैं। इसलिए भी मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

मान्यवर, यह भी बात अभी आगे तक चलती। आज हमारी भावनायें शिक्षक और शिक्षा की तरफ जा रही हैं। इसलिए जा रही हैं कि हमारे माननीय सदस्य ने हमारी भावनाओं को कुरेदा है। मैं अभी तक थ्योरी में पढ़ता था लेकिन आज प्रैक्टिकल में देखा है वीभत्स तोड़ फोड़ का दृश्य इस आदरणीय सदन में जो हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति न हो अच्छे योग्य अध्यापक चुने जायं इसलिए शासन ने निश्चय किया है कि अध्यापकों के चयन का काम साधारण मैनेजमेन्ट कमेटी से हटा दिया जाये। इसलिए उच्चतर आयोगों का अध्यापकों के चयन के लिए गठन किया गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कालेजों के लिए अलग-अलग। इसलिए भी मैं शासन की प्रशंसा करता हूं।

मान्यवर, इस महान प्रदेश की प्रशंसा प्रदेश में ही नहीं वरन् इसकी प्रशंसा दूसरे प्रदेशों में भी हो रही है। इसलिए भी हो रही है कि अभी एशियाड खेल हुआ, इसमें बहुत से लोगों को व प्रदेशों की संस्थाओं को निर्माण का काम दिया गया था। उसमें काम दिया गया था उनको जो दिल्ली में शीघ्र निर्माण का काम करा सकते थे। तो इसमें आपके यहां ब्रिज कारपोरेशन ने, एशियाड खेल के बहुत पहले, ऊपर गामी सेतुओं का निर्माण किया जिसकी प्रशंसा आपके प्रदेश के बाहर के लोगों ने की। इस विभाग की, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जितनी मैं प्रशंसा करूं वह कम है। इसकी प्रशंसा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हुई है। ईराक में 80 करोड़ की लागत से 16 पुलों के निर्माण का ठेका ब्रिज कारपोरेशन को मिला है और इसमें से 6 पुल पूरे हो चुके हैं और 50 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। लाभ तो हो ही रहा है लेकिन इस विभाग की सभी लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है और मैं भी प्रशंसा करना अपना कर्तव्य मानता हूं।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे नेता विरोधी दल भी इसमें थोड़ा-थोड़ा प्रयास कर रहे थे लेकिन वह करते क्या। उस वक्त जो मुख्य मंत्री थे वह बिल्कुल नहीं मान रहे थे लेकिन इस शासन ने उसको पूरा किया। सड़कों को देहात तक ले जाने की मुहिम चलाई और वर्ष 1982-83 में 1850 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा और इसमें मैं समझता हूं कि प्रदेश के भाग्य के लिए यह एक अच्छा काम होगा। मान्यवर, समय की सीमा पर बार-बार ध्यान चला जाता है। आपसे शायद समय कुछ और मांगना पड़े। इसलिये इस निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, दिल्ली की पार्लियामेंट में निश्चय हुआ है कि जल परिवहन के लिये इलाहाबाद से फर्रुखा बैराज तक गंगा नदी में यातायात के लिए मार्ग बनाया जाये। उत्तर प्रदेश शासन ने इस ओर भी सक्रिय कदम उठाया है। शासन बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक और निश्चय पूर्वक विचार कर रहा है कि एक जल परिवहन निगम की स्थापना करके उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों में यातायात सुविधायें उपलब्ध की जाये जिससे

वहां पर बसने वाले लोग खासकर मछुआरे लाभान्वित हो सकें। बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है इस सरकार का। श्रीमन्, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग के बारे में।

(व्यवधान)

आपको अच्छा नहीं लगूंगा तो बैठ जाऊंगा । उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छा लग रहा हूं । श्रीमन्, जिन लोगों को रोड चाहिये थी, उनको रोड दिलाने का प्रयास किया गया । मैं इस संबंध में पहले ही शासन की प्रशन्सा कर चुका हूं । यह प्रशंसनीय कार्य है इसलिए इसे प्राथमिक रूप में लिया था, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्यो-पैथिक कालेजों का प्रान्तीकरण करके भी शासन ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, इन पद्धतियों को सुदृढ़ करने के लिए। राज्य कर्मचारियों के लिये, खासकर शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के लिए और कर्मचारियों के लिए समयबद्ध वेतनमान का निश्चय कर दिया गया है । जिन लोगों की प्रोन्नति नहीं हो पाती थी उनको इसका लाभ मिलेगा । इस प्रकार 12 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, यह एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इस सरकार ने किया ।

राजनैतिक पीड़ित लोग, जिनके बदौलत आजादी मिली, बहुत से लोग हमारे बीच से चले गये, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिये, यह निश्चय किया गया कि उनके आश्रितों को सर्टीफिकेट दिये जाएं ताकि उनको भी कुछ सुविधाएं हासिल हो सकें। जनगणना विभाग हर 10 साल में गणना करता है आबादी की, जो उत्तर प्रदेश में बढ़ती है। माननीय सदस्य जी यहां बैठे हैं, इस आबादी के आधार पर मतदान पाते हैं और यह यहां आते हैं । उस काम को करने वालों की आयु चली जाती है, उन्हें छूट नहीं मिलती। उनकी आयु में तीन वर्ष की छूट देकर 12 फरवरी, 1982 से शासन ने एक प्रशन्सनीय कार्य किया है । पहली बार पेय जल के बारे में जो हमारी दिक्कतें हैं, उनकी ओर शासन ने ध्यान दिया। गवों में भी पेय जल का जो संकट था उस ओर भी ध्यान दिया गया और उसे दूर करने के प्रयास किये गये । समयाभाव के कारण मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं । पेयजल व्यवस्था की ओर ध्यान देना हमारी सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है। शासन का निश्चय था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी । हर हाथ को काम उद्योगों से मिल सकता है। शासन ने निश्चय किया है कि प्रदेश के हर जिले में एक उद्योग स्थापित होगा जो पिछड़े हुये इलाके हैं उस ओर पहले से ही इंगित किया गया है । इन उद्योगों को स्थापित करके जो उस इलाके के लाखों संख्या में बेरोजगार हैं, उनमें कुछ रोजगार मिल सकेगा । रोजगार देने के लिये जो यह प्रयास किया गया है वह एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है।

पूरा वातावरण कैसे सुधरे? राष्ट्रीय एकीकरण भावना की कमी है। जिसने मेरठ में फसाद पैदा किया, उन लोगों में मानवता की कमी है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोग पैदा होता है वातावरण से। रोग का इलाज कोई कर सकता है लेकिन वातावरण पूरा अशुद्ध है। वातावरण के इलाज के लिए राष्ट्रीय एकीकरण के कार्यों के जो संकेत हैं मैं समझता हूं कि यह प्रशंसनीय है। सुलहकुल आगरा में, रानी लक्ष्मी बाई झांसी समारोह के जो आयोजन किए गए हैं, उस दिशा में यह आदर्श और एक शुभ लक्षण है और आशा करता हूं कि प्रदेश में इस तरह एक यूथ सेंटर तथा यूथ फोरम बनाये जिसमें हर जाति का और हर कौम का युवक बैठकर अपनी समस्याओं पर विचार कर सके। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी और इसके कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकेगी ।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी]–

मान्यवर, एक बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के हितों का, माननीय नेता विरोधी दल, जो एक किसान भी हैं, को ध्यान है, उनको भारी पीड़ा पहुंची थी 1978-79 में, जब किसान को गन्ना जलाना पड़ा था, मेरठ की तरफ तथा बुलन्दशहर की तरफ ।परन्तु कांग्रेस सरकार ने इस तरफ विशेष ध्यान दिया ।1981-82 में 770 लाख टन गन्ने का जो उत्पादन हुआ है वह एक नया कीर्तिमान रहा है ।उसकी पिराई के लिये इस सरकार ने उचित मूल्य की व्यवस्था की है, यह भी एक प्रशंसनीय काम है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को मूल्य भुगतान के लिये लोकदल, जनता शासन में मूल्य भुगतान बहुत दिनों तक नहीं हो पाता था लेकिन गत वर्ष 470 करोड़ रुपये के मूल्य का गन्ना लिया था उसमें से 432.35 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक हो गया है और शेष भुगतान जो रह गया है उसके भी भुगतान हेतु शीघ्र प्रयास किया जा रहा है, यह भी एक शुभ लक्षण है । श्रीमन्, चीनी मिलों को स्थापित किये जाने का शासन ने जो निश्चय किया है तथा महामहिम राज्यपाल जी ने भी जो इशारा कया है उसमें से दो चीनी मिलें बिरनाया (लखीमपुर) तथा तिलहर (शाहजहांपुर) में स्थापित हो यई है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्. 5 मिनट का समय और देने की कृपा करें ।

मान्यवर, विद्युत विभाग में भी कुछ विद्युत की उपलब्धि हुई है, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। किन्तु विनम्रतापूर्वक शासन से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है और यह किसान जो शासन को अपना हितैषी मानता है वह बार-बार अपनी आखें लगाकर आपकी ओर देखता है, उसे भी कुछ राहत अवश्य मिलनी चाहिये । मैं शासन की मजबूरियां मानता हूं कि उन्हें संसाधन जुटाने है, तनख्वाह बढ़ गयी है तेल की कीमत बढ़ी है इसलिये बिजली दर बढ़ाना पड़ा। परन्तु किसान की सहानुभूतिपूर्वक स्थिति ध्यान में रखें ।

श्रीमन्, हमारे देश में प्रजातन्त्र का जो स्वरूप है वह बहुत ही अच्छा हो, विकसित हो, इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं । मुझे यह ध्यान आता है कि जो हमारे यहां बार-बार घटनायें हो जाती है। सदन में प्रजातांत्रिक पद्धति पर आघात पर आदरणीय रियासत हुसेन साहब व अन्य नेताओं में खेद प्रकट किया इस पर, मुझे एक शेर याद आया-

बागवा ने एक नया सितम ईजाद किया,
चमन को फूंक कर पानी को बहुत याद किया।

मान्यवर, मैं इसीलिए यह शेर कह रहा था कि सदन में भी मर्यादा का ध्यान नहीं रहा दूसरों को मर्यादा सिखाते हैं। इसीलिए भी कांग्रेस सरकार को प्रशंसा करता हूं कि इतने वर्षों के बाद प्रजातांत्रिक पद्धति जो बची हुयी थी, उस पर जनता शासन ने कुठाराघात किया था । विकास खंडों (क्षेत्र-समितियों) को भंग कर दिया था, जिला परिषदें भंग कर दी गयी थीं लेकिन कांग्रेस शासन ने प्रयास कर पंचायतों के चुनाव कराये और प्रयास है कि शीघ्र ही क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों के चुनाव हो जायं। श्रीमन्, मैंने तो देखा है कि चुनाव विषम स्थिति में भी कराये गये थे । एक अनुशासित सिपाही होने के नाते मेरा फर्ज है कि आपका आदेश मानू । अभिभाषण पर बहस का कार्यक्रम कैसे और किस रूप में चलेगा । पूरे कार्यक्रम में जो इनका स्वरूप है, उस स्वरूप पर दो ही तरह की भावना चलेगी । मैंने 40 लोगों का संशोधन प्रस्ताव एजेन्डे में पढा । तो कोई किसी कारण से दुःखी है, तो कोई किसी कारण से । लेकिन आज जो वाता-

वरण है, उसमें माननीय राज्यपाल ने निवेदन किया है कि सभी आदरणीय सदन के सदस्य अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करें ।

मान्यवर, अभी जो मेरठ में हुआ, यह एक दुखद घटना है । मेरठ की दुखद घटना के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था । ऐसे समय में मेरठ के दंगे में दुर्भाव का वातावरण था, लेकिन मेरठ की बात को अगर कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसकी सबको मिलकर निन्दा करनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी करना चाहिए कि बार-बार इस तरह की घटनाओं की अतिरंजित चर्चा से लोगों में भय पैदा होता है, वे ऐसा भय पैदा न करें । ला एण्ड आर्डर की स्थिति में प्रदेश में लगातार सुधार हो रहा है और स्थिति सुधरती जायेगी। लेकिन अगर कोई छुटपुट घटना, सामूहिक हत्याएं हो रही हैं तो उन पर गंभीरता से विचार करना होगा । आठ साल के बच्चे को मारने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, वे कौन से कारण हैं, जिस कारण ये सब हो रहा है । क्या इनके पीछे कोई षडयंत्र तो नहीं है ? कहीं इन सामूहिक हत्याओं के द्वारा आपके प्रदेश को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? इसलिए मैं इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप सबका इस पर सोचना कर्तव्य है। इसलिए भी शासन की प्रशंसा करता हूं कि ईद, होली, दशहरा, मुहर्रम, बकरीद आदि बड़े-बड़े त्योहारों को इन्होंने सद्-भावपूर्ण वातावरण में मनवाने में कामयाबी पायी है।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि आदरणीय सदन के माननीय सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय शासन की उपलब्धियों को भी ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ जो इन्होंने संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं, उन प्रस्तावों पर, औपचारिकतापूर्ण बहस अवश्य करेंगे लेकिन जिद्द नहीं करेंगे, बल्कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करने की अनुग्रह करेंगे। मैं एक बार पुनः इस शासन के और सदन के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट किया धन्यवाद ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मैं माननीय त्रिपाठी जी द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय राज्यपाल के प्रति प्रस्तुत किया गया है, उसका हृदय से समर्थन करता हूं । सारे देश में परिवर्तन हो रहा है । हमारे प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, सारे देश में और हमारे समाज में परिवर्तन हर क्षेत्र में, हर दिशा में हो रहा है । हमारा प्रदेश तेजी से तरक्की के पथ पर अग्रसर हो रहा है, तेजी से इस रास्ते पर जहां कहते हैं राष्ट्र खूबसूरत रूप में सामने आये तो कृषि, उद्योग के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में तरक्कियां जो कर रहे हैं वह विज्ञान और टेक्नोलोजी के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रदेश को और देश को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की जरूरत है और बनाना है । यदि हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता कायम रहे और दुनिया में मान मर्यादा बढ़े तो उसमें जिस दृष्टिकोण की जरूरत है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसको बनाने की जरूरत है । हमने इस दिशा में तरक्की किया है जैसे पोखरन का विस्फोट, आर्य भट्ट और सेटलाईट आदि चीजों को याद कर सकते हैं । इस क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तरक्की किया है।यही नहीं हम टेक्नोलोजी के माध्यम से पूरे आर्थिक ढांचे को बदलने को तत्पर है और बदलते चले जा रहे हैं । अभी कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह]

और पालिसी निर्धारित किया था कि किस तरह तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे । और किस तरह अपने देश की तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में एक पालिसी निर्धारित किया । तो हमारा देश इस दिशा में प्रगति कर रहा है।

समाज और हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। इस तरह दो तरह का संघर्ष चल रहा है। एक तो वह जो परिवर्तन को रोकना चाहते हैं और देश को कमजोर करना चाहते हैं एवं देश को गृह युद्ध में फंसा देना चाहते हैं, एक तो वह ताकत है। दूसरी वह ताकत है जो देश को आगे, आधुनिक और नवीन बनाना चाहती है और साइन्स एवं टेक्नोलोजी के आधार पर ढांचा खड़ा करना चाहती हैं। तो यह लड़ाई उन लोगों से है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं । अभी-अभी चर्चा हुई और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि देश में और प्रदेश में राष्ट्रीय एकता की जरूरत है और हमें हर प्रयास इसको बनाने के लिए करना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि कोई बात न रह जाय जिससे दुनिया के लोग चका चौंध हो जायं कि भारत ऐसे देश में जहां तमाम विविधता होने के बावजूद भारत एक राष्ट्रीय एकता में बंधा पड़ा है । लेकिन मैं उन ताकतों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं ।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो दुनिया में प्रचार कर रही है और कहती हैं पहली बात हिन्दू जनसंख्या गिरती चली जा रही है, दूसरे अरब से पैसा आ रहा है और वह सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए खर्च किया जा रहा है, तीसरे कुछ दिनों बाद ऐसा समय आयेगा कि सभी को कुरान पढ़ना पड़ेगा और यहां कुछ नहीं रहेगा । इस तरह की तरह-तरह की बातें कुछ तत्व फैला रहे हैं । मान्यवर, मैंने यह मोटे तौर से बताया है । इसके साथ ही साथ हमारा समाज सिकुड़ता चला जा रहा है और यह आदत पहले से है और दूसरी तरफ ऐसे तत्व हैं जिनका अफसरियत में बाहुल्य है जो उनमें डराने की भावना पैदा कर रहे हैं जिससे कि उनको डर हो जाये । तो एक वह भावना है और दूसरे कुछ लोग हैं जो सिकुड़ते चले जा रहे हैं वह महसूस करते हैं कि हमको सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। उनके ऊपर बुद्धिजीवियों का क्रोबुद्ध लोगों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और वह सिकुड़ते जा रहे हैं । छोटे-छोटे मुल्ला, मौलवी की ताकत और प्रभाव उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है । तो इससे हमको और आप सभी को सावधान रहना चाहिए जो ऐसी ताकतें हैं जो इस मुल्क को कमजोर करना चाहती हैं और लेबनान बना देना चाहती हैं। मेरा विचार है कि 90 फीसदी, 99 फीसदी लोग ऐसे हैं जो शांति से रहना चाहते हैं, उचित व्यवहार के साथ रहना चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना चाहते हैं। कुछ ही लोग, असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो इसके खिलाफ काम करने की जुर्रत करते हैं ।

मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि कुछ इन्स्टीट्यूशन्स ऐसी हैं, आर0एस0एस0, जनसंघ और इससे सम्बन्धित दूसरी परिषदें जिनका खतरा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है । उनका प्रचार कार्य तेजी से बढ़ता जा रहा है । साम्प्रदायिक भावना को वह बढ़ा रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमको, सबको आज आगे आने की जरूरत है और जो माइनारिटीज में अकलियतें हैं, अल्पसंख्यक हैं उनके मुख्य धारा में भी आने

की जरूरत है। यह वह महसूस करें कि हमको अपनी आइडेंटिटी को बनाये रखना है लेकिन साथ ही साथ हमको मुख्य धारा में आना बहुत जरूरी है।

अब थोड़ी सी बात मैं उर्दू या हिन्दी के सम्बन्ध में कहना चाहता है। इस सम्बन्ध में बड़ा प्रचार किया जा रहा है । मेरा तजुर्बा है कि आज की जेनरेशन, मुसलमान के बच्चे हिन्दी से बिल्कुल एलर्जिक नहीं हैं। उनमें कोई मनोवृत्ति ऐसी नहीं है। मैंने देखा है कि मेरे जनपद में मुसलमानों के लड़कों ने हिन्दी से बी0ए0, एम0 ए0 प्रथम श्रेणी में पास किया है। मुसलमानों की लड़कियों ने संस्कृत में प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की है उनको इससे कोई एलर्जी नहीं है। उर्दू हमारी और सबकी भाषा है उसकी तरक्की करनी चाहिए उसकी तरक्की से हिन्दी कहीं जा रही है ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसको उभाड़ना चाहते हैं और दंगा फसाद इत्यादि कराना चाहते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा ब्राड माइन्डेड होने की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो यह मुल्क तबाह और कमजोर हो जायेगा। हमको वह रास्ता अख्तियार करना चाहिये जिससे मुल्क तरक्की करे और आगे जाय। वह तत्व जो विघ्न पैदा करना चाहते हैं उनको दूर करने की आज जरूरत है। किसी भी समाज में, किसी भी व्यक्ति के साथ भेद भाव नहीं होना चाहिए ।

मुझे एक बात याद आती है। एक नीग्रो ने बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि चूंकि मेरा रंग काला है इसलिये मुझको किसी ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठा दीजिये लेकिन साथ ही साथ चूंकि मेरा रंग काला है और मुझमें ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठने की योग्यता है तो उस स्थान पर न बैठायें। कहने का मतलब है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिये। यही प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करती है और राष्ट्र को मजबूत करती है और जब आप भेदभाव की प्रक्रिया करेंगे चाहे संप्रदाय के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर या जाति के नाम पर तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। हमको ऐसे मौके पर एक राष्ट्र की तरह उभर कर आना चाहिये नहीं तो हम अपना काम नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिये हमें सैक्रीफाइस करने की जरूरत है। इस्टैब्लिशमेन्ट आफ फ्रीडम रिक्वायर्स समथिंग मोर दैन मियर इन्टेलेक्चुअल डिफेंस, सिर्फ हम अपनी बुद्धि से लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करें या उसको मजबूत करने की कोशिश करना चाहें तो वह नाकामयाब होगा। इसके लिये कुछ करने की जरूरत है। हठधर्मिता के साथ सेकुलरिज्म को मजबूत करें तब हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे जा सकते हैं। उन लोगों का जिनका सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं है या जिनका सेकुलरिज्म में कम विश्वास है या जिनका विश्वास स्किन डीप, सतही है उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो हमको सबके साथ निष्पक्षता का व्यवहार करना जरूरी है। और मजहब और ऐसे राजनीतिक पहलुओं को आज अलग करने की जरूरत है, अपने जाति मकसद के लिए किसी जाति या मजहब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि कुछ ही समय में हमारा देश एक मजबूत देश और मजबूत राष्ट्र होगा।

इस लिए मेरा निवेदन है कि चाहे मेरठ हो या मुरादाबाद आज 35-36 साल के बाद उन्हीं बातों को, जो होना था, वह हो गया, उन्हें दोहराना नहीं चाहिए, यह बहुत दुख की बात है कि इस तरह की घटनाएं आज हों। ऐसा करने से हम खुद कमजोर हो रहे हैं और इसमें हम सब का हाथ है किसी एक पर इसकी जिम्मेदारी नहीं लादी जा सकती है। इन चीजों पर जब काबू पा सकेंगे, तभी इस प्रदेश

[श्री लाल प्रताप सिंह]

और देश की प्रगति आर्थिक, सामाजिक रूप से संभव हो सकेगी और देश का हर तरह से उत्थान हो सकेगा, ऐसा हमारा विचार है। और इस सम्बन्ध में हम केन्द्र सरकार से भी मदद लेना चाहते हैं और उनसे इस सिलसिले की मांग की भी गयी है।

यही हमारा प्लान है कि हर ब्लाक में एक औद्योगिक इकाई होनी चाहिए और 4 बड़े कारखाने हमारे इस सूबे में लगाने की योजना चल रही है, जिसमें से दो को स्वीकृति मिल भी चुकी है और दो पर विचार-विमर्श चल रहा है। और अभी दिल्ली में प्रगति मैदान में एक मेला लगा था जिसे देखकर प्रत्येक जनमानस ने इस बात को सराहा कि अब यह देश भी आत्म निर्भर व प्रगति के पथ पर है, और काफी भूरि-भूरि प्रशंसा लोगों के मुंह से सुनी गयी। इस प्रगति को और आगे गति देना हमारा सब का कर्तव्य है, इस उद्देश्य में हमें एक-एक पैसे को विकास कार्यों में लगाने के प्रोत्साहन देने चाहिए जब आदमी इस ओर अग्रसर होगा तो उसका ध्यान साम्प्रदायिकता की ओर नहीं जायेगा और किसी भी मामले में तंगनजरिये से काम नहीं लेगा और जिन मौकों पर या परिपेक्ष्य में हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, वह न होकर एक जुटकर कार्य करेंगे और आखिर में एक बात अपने प्रेस वाले भाइयों से कहूंगा, लिखने को वह चाहे जो कुछ भी लिखें, लेकिन कहूंगा यह कि वह जाति पांति को लेकर ज्यादा मामले को जनता के सामने नहीं लाना चाहिए। देखा यही गया है कि जब कभी चुनाव होते हैं तो यही छापा जाता है कि फलां, फलां कैंडीडेट फलां जाति का है और उसे फलां-फलां जाति का समर्थन प्राप्त है और फलां गांव में इतने-इतने जाति के लोग रहते बसते हैं इसलिए उसकी जीत व हार निश्चित है, तो यह भी कोई आपकी पत्रकारिता हुयी, यह पत्रकारिता किस स्टैन्डर्ड में रक्खी जाए कि जाति-पांति के सवाल को उठाकर हम अपने को पहले से कमजोर करते चले जा रहे हैं। इस मुल्क का किसी जाति से ताल्लुक नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि आज पत्रकार रास्ते से ही भटक गया है। अब पत्रकारिता की और पत्रकार की कोई एजूकेटिव वैल्यू नहीं रह गयी है।

महामहिम राज्यपाल के भाषण से स्पष्ट है कि यह प्रान्त बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और एक आधुनिक राष्ट्र बनने की ओर विकसित हो रहा है। इसके साथ ही मैं श्री त्रिपाठी जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तावित और मा0 लाल प्रताप सिंह जी द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव में मेरा निवेदन है कि निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:—

1—प्रदेश में विद्युत आपूर्ति पूर्णतया असन्तोषजनक है और कृषकों को उनके कार्य हेतु 6 घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से विद्युत आपूर्ति न होने पर भी शासन ने एक पक्षीय निर्णय लेकर विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

2—प्रदेश में गन्ना कृषकों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों से भुगतान कराने में प्रदेश की सरकार असफल रही है, जिसके फलस्वरूप गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है। इस वर्ष कृषकों को 8-9 रु0 प्रति क्वि0 की दर से गन्ना बेचना पड़ रहा है। गन्ना कृषकों को मिलने वाले मूल्य में तथा उनके द्वारा लगाई

गयी उत्पादन लागत में सामंजस्य स्थापित करने में यह सरकार असफल रही है और यही नहीं यह सरकार केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित प्रदेश में गन्ना मिलों से निर्धारित मूल्य दिलाने में भी असमर्थ रही है ।

3–प्रदेश के विभिन्न निगमों जैसे राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य चीनी निगम में प्रतिवर्ष अरबों रुपए का घाटा हो रहा है, जो शासन की अक्षमता का द्योतक है।

4–प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव हैं। मेरठ जैसे नगर में महीनों स्थिति अनियंत्रित रही, सैकड़ों आदमियों को जान से हाथ धोना पड़ा तथा करोड़ों लोगों को सम्पत्ति से भी हाथ धोना पड़ा ।

5–सदन में बार-बार आश्वासन देने के बाद भी स्थानीय निकायों के चुनाव सम्पन्न नहीं कराए जा सके।

6–प्रदेश के समस्त विकास कार्य ठप्प हो चुके हैं। जनता सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी विकास योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियां समाप्त होती जा रही है।

7–सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है। एक दल विशेष के लोग इस व्यवस्था से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में अनाज वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही है, जिन्हें यह सरकार नियंत्रित करने में बिल्कुल असफल रही है। सरकार की अक्षमता के फलस्वरूप प्रदेश में भूख और ठण्ड से हजारों लोग मर गए।

8–प्रदेश के मंत्रि मण्डल में अनेक मंत्रियों के संरक्षण में प्रदेश की पुलिस आपराधिक प्रवृत्ति की होती जा रही है।

9–प्रदेश में चिकित्सालयों में जीवनोपयोगी दवाएं उपलब्ध नहीं है और निजी प्रैक्टिस पर इस सरकार द्वारा हटाया गया प्रतिबन्ध गरीबों के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रहा है और प्रदेश की गरीब जनता को चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

10–प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाएं धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे अधिष्ठानों पर व्यर्थ में करोड़ों रुपया प्रति वर्ष व्यय करना पड़ रहा है।

11–प्रदेश में गत वर्ष का बजट स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी अभी तक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जनपदों में नहीं भेजी गयी है, जिनके कारण कोई भी विकास का कार्य वित्तीय वर्ष के दौरान सम्पन्न नहीं हो सका है।

12–प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उत्तरोत्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं सचिवालय तक में कर्मचारियों द्वारा सरकार के विरुद्ध खुला विद्रोह किया गया है।

13–प्रदेश के करोड़ों नवयुवक बेरोजगार बन गये है। सरकार की ओर से कोई कारगर उपाय, बेरोजगारी की समस्या से जूझने का नहीं सुझाया गया है।

अधिष्ठाता महोदय, 1 फरवरी को महामहिम राज्यपाल ने औपचारिकता निबाहते हुए अपना अभिभाषण यहां दिया, वह भी माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का नीति विषयक पत्रक होता है। यह पत्रक

[श्री राजेन्द्र सिंह]

न तो इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को आगे ले जाने के लिये न देश की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये है, इसमें कोई सुझाव इस प्रकार के नहीं दिये गये हैं और न यह कारगर सिद्ध हो सकेगा।

श्रीमन्, प्रदेश में अनेकों समस्याएं हैं जो कि इस सरकार की अक्षमता की, इस सरकार की अदूरदर्शिता की द्योतक हैं और जन-कल्याण की भावनाओं के विपरीत हैं। जन कल्याण की भावनाओं के विपरीत कार्य करने की वजह से यह स्थिति आज उत्पन्न हुई है। श्रीमन्, जिस दल की यह सरकार सामने बैठी हुई है, अभी उन्हीं के कार्यवाहक अध्यक्ष, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने एक बात कही है। अभी धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तावित करते समय श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि यह सरकार कल्याणकारी राज्य की कल्पना करती है। कितना बड़ा असामंजस्य है, कितनी बड़ी बात वह कह गये। इनके कार्यवाहक अध्यक्ष ने अपना पद सम्भालते हुए यह बात कही कि अभी तक कांग्रेस का कार्यक्रम चुनावोन्मुखी था उसे हम जन कल्याणकारी बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें यह बात साफ निहित है कि पंडित जी जो कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं, उनका इस प्रदेश की जनता के साथ निकट का संबंध है, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने प्रदेश की जनता की समस्याओं को देखा है, इसी कारण उन्होंने ऐसी बात कही कि अभी तक कांग्रेस सिर्फ चुनाव द्वारा किसी न किसी प्रकार से कुर्सियों के लिए प्रयास करती रही है कि वह कुर्सी से चिपकी रहे इसलिये अब कांग्रेस के कार्यक्रम को जन-कल्याणोन्मुखी बनाया जायेगा।

श्रीमन्, इस प्रकार की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। यह साधन की पवित्रता में विश्वास नहीं करती है। यह बस कोई भी तरीके से, किसी भी रास्ते से गद्दी पर आने का प्रयास करती रहती है ताकि यह अपने कुर्सी रूपी साध्य को प्राप्त कर सके। श्रीमन्, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है, कोरा आश्वासन, झूठा वादा देने में इनकी कोई सानी नहीं है। श्रीमन्, इनके गत 20-32 वर्ष के शासन ने प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, असुरक्षा, फिरका परस्ती, अराजकता, हत्या, लूट और भाई भतीजावाद दिया है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे महान विचारक और राजनीतिज्ञ, स्वर्गीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जिन्हें राजा जी भी कहते हैं, की एक उक्ति जो इस सरकार पर सही लगती है को पढ़ देना अपना कर्तव्य समझता हूं। मान्यवर, यह अंग्रेजी में है:

"आई एम सारी टू राइट अनप्लीजेन्ट वर्ड्स इन्स्टेड आफ स्वीमिंग विद दि करंट आफ हाइपोक्रेसी व्हिच सीक्स टू एक्सप्लाट दि कामन फाल्क्स रिवरेन्स फार फादर गांधी। बिरला हाउस इज टू विकम गांधी सदन। दि होल आफ इंडिया इज रियली गांधी सदन, वट एलास, आल दैट गांधी स्टूट फार हैज बीन गिवेन अप बाई दोज इन पावर इन इंडिया एण्ड दि बिरला हाउस गांधी सदन विल बी ए कान्ट्राडिक्शन आफ दि पालीसीज नाउ गवर्निंग इंडिया। गोड्से एसेसिनेटेड गांधी आन जनवरी 30, 1948 एण्ड ही वाज ट्रायड एण्ड एक्जीक्यूटेड। वट आलमोस्ट एवरी वन हू नाव होल्ड्स अथारिटी इन इंडिया एण्ड हू, इन्स्टेड आफ स्पीकिंग दि ट्रूथ, स्पीक्स अन्ट्रूथ्स, इज ए को-एसेसिन विथ गोड्से, दो नाट ट्रायड कान्विक्टेड, एवरीवन इन पावर हू मिसलीड्स दि विग गांधी

सदन आफ इंडिया टू टोटलीटेरियनिज्म, अवे फ्राम दि फ्रीडम फार व्हिच गांधी स्टूड आल हिज लाइफ इन एन अन कानविक्टेड एनेटर आफ गोड्से। एवरी डिसआनेस्ट मेन आइदर इन गवर्नमेन्ट आर इन विजिनेस, इज ए को-एसेसिन विद गोड्से। एवरीवन हू यूटीलाइजेज पावर फार परसनल आर पार्टी एडवान्टेजेज इज ए गोड्से एवरीवन हू गिव्स आर रिसीव्स ब्राइब इज एन अन कान्विक्टेड गोड्से । एवरी हिपोक्रेट इन पब्लिक लाइफ पुट्स ए नाइफ इन्टू गांधीज साइड।''

मान्यवर, यह माननीय रिजवी साहेब को बहुत पसन्द आई है।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय नेता विरोधी दल अपने पास बैठे हुए लोगों को नहीं देखते हैं और सामने देख रहे हैं। इसी बात पर मुझे हंसी आ गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैंने यह कहा कि जिन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह देश आजाद हुआ और जिनके विचार थे, महात्मा गांधी का भारत, इसको ये न बना सके। मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसकी हिन्दी बना दूं। 30 जनवरी, 1948 को गोड्से ने महात्मा गांधी की हत्या की और उसे दंडित किया गया, किन्तु लगभग वे सभी जो आज सत्ता में बैठे हैं, सत्य को छोड़कर असत्य को बोलने के आदी हो गये हैं, गोड्से के सहयोगी हैं, जिन पर मुकदमा चलाकर दंडित नहीं किया जा सका। वे सभी सत्ता नशीन लोग, जिन्होंने इस गांधी सदन को अधिनायकवाद में बदल दिया और उस स्वतंत्रता से दूर चले गये, जिसके लिये गांधी जी जीवन भर लड़ते रहे। वे भी गोड्से के समान हैं। सभी बेइमान व्यक्ति जो सत्ता में हो या किसी उद्योग में–गोड्से के समान हैं। जिसने भी सत्ता का उपयोग स्वहित में अथवा दलहित में किया है, वह गोड्से है। जो रिश्वत लेता अथवा देता है, वह अदण्डित गोड्से है। सार्वजनिक जीवन में मिथ्या भाषी गांधी पर चाकू चला रहे हैं।'

श्रीमन्, वैसे इनकी कार्यप्रणाली से जनता उबती जा रही है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसकी मिसाल है। श्रीमन्, इनके नीचे से जमीन खिसक रही है। इनका हमारे प्रदेश के राजकोष से कोई लगाव नहीं है। इसका उपयोग ये अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। जो बातें मैंने अभी सरकार के बारे में बतायी हैं वह इस सरकार की देन है यहां पर गरीबी है, असुरक्षा है, लूट हो रही है, राहजनी हो रही है, अराजकता है, यह सब इनकी देन हैं। जो व्यक्ति या जो दल जिन बुराइयों का जन्मदाता है वह उसका पालन तो कर सकता है लेकिन उनका संहार नहीं कर सकता। जिन बुराइयों को इन्होंने 32 साल में पैदा किया है उन्हें यह कैसे राज्यपाल के मुंह से कहला पायेंगे, समस्याओं का निवारण इनका दिवा स्वप्न है।

श्रीमन्, विधान परिषद् है। इस प्रदेश की एक बाडी है लेजिस्लेचर की बाडी है। उसमें 47 स्थान रिक्त हैं, ग्रेजुयेट कांस्टीटुयेन्सी, लोकल टीचर्स कांस्टीटुयेन्सी। मैं मान सकता हूं कि लोकल बाडीज का चुनाव किन्हीं कारणों से ये नहीं कर सके तो लोकल बाडीज से जो चुनकर आते हैं उनमें देर हो जाय किन्तु ग्रेजुयेट कांस्टीटुयेन्सी और टीचर्स कांस्टीटुयेन्सी के चुनाव तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे उनकी लिस्ट तो तैयार है। इसका कोई जिक्र महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नहीं किया है।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

है। श्रीमन्, कानून व्यवस्था की बात कही गई। राजेन्द्र त्रिपाठी जी, भूतपूर्व गृह राज्य मन्त्री जो बातों को ट्विस्ट करने में बहुत माहिर है.....

एक सदस्य–इसीलिए उनको निकाल दिया गया... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

निकाला तो इन्हीं बातों से गया होगा। उन्होंने एक बात कही कि छुट-पुट घटनाओं से हम कानून व्यवस्था को बुरा नहीं कह सकते। पता नहीं उनका क्या मकसद है। लेकिन कहावत है- जब चावल उबलता है तो उठाकर एक चावल देख लिया जाता है कि पक गया है अथवा नहीं। यह परखने का तरीका है। उनकी परख का कुछ और तरीका है हमारी परख का तरीका कुछ और है। लेकिन ला एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं। ला एण्ड आर्डर की स्थिति अगर जानना है तो राजेन्द्र त्रिपाठी जी आप रिक्शे पर बैठ जाइये और उससे बता दीजिये कि मैं कांग्रेस आई का हूं तो वह उतार देगा। ट्रेन में बैठ जाइये वहां पर साधारण आदमी क्या कहता है? एक साधारण आदमी जो दो वक्त के खाने का प्रबन्ध करता है जो राजनीति नहीं जानता वह सबसे सही स्थान है इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था जानने के लिए।

श्रीमन्, जो कांड अभी कछपुरा में हुआ जिसके संबंध में सुबह नियम 56 में बात आई वह एक लोमहर्षक कांड है। इससे बुरी घटना नहीं हुई हो ऐसी बात नहीं है। दंवली और बेहमई काण्ड हुए, कानपुर काण्ड हुआ, वह भी इतनी ही बुरी घटनायें हैं। लेकिन इसके अंदर एक खास बात है कि पहली तारीख को 9 बजे यह कांड हुआ उसके बाद मैं और मुलायम सिंह जी जो लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं 2 ता0 को रात्रि 9 बजे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री से मिलते हैं। इस कांड की सूचना इस प्रदेश के मुख्य मंत्री को दो तारीख की रात 9 बजे तक नहीं थी। मैं उनकी आदत जानता हूं अगर वे जानते तो जिक्र होता। मुलायम सिंह जी इटावा के ही हैं मुख्य मंत्री जी के हावभाव से पता चल जाता कि वह चिंतित हैं लेकिन ऐसा नहीं था। जब दंवली कांड हुआ तो तत्कालीन गृहमंत्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी गृह विभाग के मालिक थे। उन्होंने भी इतनी देरी इस प्रदेश के लोगों को सूचना देने में की। बेहमई कांड की सूचना मैनपुरी के डी0 एम0 और एस0एस0 पी0 को नहीं लगी। आगरा जो उसके नजदीक है वहां के डी0 एम0 और एस0एस0पी0 पहुंचे और वहां के अखबार अमर उजाला का करस्पोन्डेन्ट वहां पहुंच गया। मुख्य मंत्री के पहुंचने से पहले अखबार वाले वहां पहुंच गये। जानबूझकर इटावा के एस0एस0 पी0 ने इन चीजों को अपने तरीके से बनाने के लिये यहां सूचना नहीं दी, ऐसा मेरा एलीगेशन है। मान्यवर, एक साल पहले की कार्यवाही उठा ली जाय, राजेन्द्र त्रिपाठी जी अब पद से हटे हैं उस समय वह मालिक थे मैंने एस0एस0पी0 इटावा के संबंध में कहा था कि इनके नैक्से से घनिष्ठ सम्बन्ध है। मैंने कहा था अगर मुख्य मंत्री जी चाहें तो मैं बता सकता हूं कि श्री रतूड़ी नेक्से से कब मिलते हैं मैं स्थान भी बता सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल, आपका भाषण कल जारी रहेगा आज आप बैठ जायं।

सदन में पर्चे फेंकने की घटना के संबंध में कार्यवाही
(5 बजकर 10 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

अब सदन के लिए कुछ सूचनाएं हैं । आज दिनांक 7 फरवरी, 1983 की अपराह्न 4 बजे दर्शक दीर्घा नं0 4 से जिस समय कि श्री राजेन्द्र त्रिपाठी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे, उस समय दीर्घा में बैठे हुए तीन व्यक्तियों ने 'मेनका गांधी जिन्दाबाद' के नारे लगाये, जिससे कि सदन की कार्यवाही में विघ्न पड़ा । दीर्घा में तैनात विधान भवन रक्षकों ने उन तीनों व्यक्तियों को तुरन्त ही अपने कब्जे में कर लिया और दीर्घा से हटाकर मार्शल की अभिरक्षा में पटल कार्यालय में बैठा दिया । खोजबीन करने पर ज्ञात हुआ कि इन व्यक्तियों के नाम क्रमशः श्री रवि सक्सेना, जिनको कि श्री राधेश्याम पटेल, सदन विधान सभा द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया था । दूसरे डा0 राम अधार यादव, जिन्हें कि बाराबंकी के सदस्य, श्री रामसागर द्वारा प्रवेश-पत्र जारी किया गया था और तीसरे हैं श्री ओंकार नाथ मिश्र, जिन्हें कि श्री राधेश्याम पटेल द्वारा प्रवेश-पत्र जारी किया गया था । उक्त तीनों व्यक्ति मार्शल के हिरासत में बैठाये हुए हैं । अब यदि माननीय सदस्यों की राय हो तो उक्त तीनों व्यक्तियों को, जिन्होंने दर्शक दीर्घा से नारे लगाकर माननीय सदन की कार्यवाही में विघ्न डालने का प्रयास किया, उनका यह कार्य सदन की अवमानना का आधार बनता है, फिर भी ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए । यदि माननीय सदन सहमत हो तो उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को, जो मार्शल के हिरासत में हैं, इसी को पर्याप्त दण्ड मानकर रिहा कर दिया जाय ?

(किसी सदस्य की ओर से इस पर कोई आपत्ति न होने पर)

तो यह निश्चय हुआ कि इन्हें रिहा कर दिया जाय ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री थम्मन सिंह, प्रदीप कुमार यादव, श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह एवं श्री उदल की सूचना जो आजमगढ़ के वकीलों पर तथा सरकारी कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा निर्मम लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है, के विषय को माननीय अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिये पहले स्वीकार किया जा चुका है । सभी नियम 51 की सूचनायें जो सर्वश्री नन्दराम, सरदार सिंह, राम आसरे वर्मा, मसरूर जाफरी, खैरुल बशर, राम सागर, जमुना प्रसाद, मोहन सिंह, रुद्र प्रताप सिंह व माता प्रसाद पाण्डेय जी की हैं, अस्वीकार की गयी हैं ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
7 फरवरी, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

परिशिष्ट (क)

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98 पर।)

शिक्षकों की मांगे	संलग्नक कार्यवाही
1–अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का भुगतान जूनियर हाई स्कूलों की भांति शासन स्वयं करे।	1–संसाधनों के अभाव में सम्प्रति इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
2–अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिपिकों का वेतनमान बेसिक शिक्षा परिषद् के लिपिकों के समान किया जाय। साथ ही उनकी भांति नकदीकरण की भी सुविधा दी जाय।	2–नकदीकरण की सुविधा देना सम्प्रति संभव नहीं है। शेष मांग विचाराधीन है।
3–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनायी जाय।	3–सेवा नियमावली तैयार की जा रही है।
4–प्रदेश के असहायिक जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के संबंध में विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने पर क्षति पूर्ति एवं शिक्षा शुल्क से वेतन भुगतान का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया जाय।	4–शासन द्वारा मांग अस्वीकृत की जा चुकी है।
5–प्रधानाध्यापक को चयन वेतनमान का आदेश भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार तुरन्त दिया जाय।	5–मांग विचाराधीन है।
6–माध्यमिक शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की भांति सामूहिक बीमा योजना मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति आनुतोषिक सुविधा एवं चिकित्सा सुविधायें अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी प्रदान की जाय।	6–सामूहिक बीमा योजना एवं आनुतोषिक सुविधा की मांग विचाराधीन है। चिकित्सा सुविधा की मांग को शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।
7–विभागीय आदेशों का प्रबन्धाधिकरण द्वारा उल्लंघन करने पर माध्यमिक विद्यालयों की भांति साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने का आदेश निर्गत किया जाय।	7–मांग विचाराधीन है।

8—प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा के अनुसार उन्हें 1-7-78 से प्रशिक्षित मान कर उनका वेतन निर्धारण किया जाय।	8—मांग शासन के विचाराधीन है।
9—मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापकों का वेतनमान निर्धारित किया जाय।	9—मांग शासन के विचाराधीन है।
10—जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में एकरूपता लायी जाय।	10—इस मांग को शासन द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।
11—जूनियर हाई स्कूल के हाई स्कूल के रूप में उच्चीकृत होने पर उन शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन भुगतान पूर्ववत् जारी न रखा जाय।	11—मांग शासन के विचाराधीन है।
12—जूनियर हाई स्कूल के हाई स्कूल के रूप में उच्चीकृत होने पर सक्षम प्रधानाध्यापक की पदोन्नति प्रिंसिपल के पद पर की जाय।	12—मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।
13—प्रदेश के स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में से कम से कम 300 विद्यालयों को प्रति वर्ष वेतन वितरण सूची पर लिया जाय। इन विद्यालयों को इनकी स्थायी मान्यता वर्ष की वरीयता के आधार पर अनुदानित किया जाय। ज्ञातव्य है कि तत्सम्बन्धी मानक गत वर्ष बदल दिये गये थे जिनका आधार तर्क संगत नहीं है।	13—इस मांग को शासन द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।
14—प्रदेश के प्रत्येक शहर में शिक्षकों के आवास के लिये आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सस्ते भवन बनवाकर शिक्षक कालोनी की व्यवस्था की जाय ।	14—इस मांग को शासन द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 122 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर का संलग्नक–

जूनियर हाई स्कूलों की स्थाई मान्यता के लिए निर्धारित शर्तें :–

(1) विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता हो।

(2) विद्यालय चलाने के लिये पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हों ।

(3) बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा ।

(4) बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हतायें रखने वाले अध्यापक/कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे।

(5) विद्यालय के अध्यापकों/कर्मचारियों को परिष्द् के समान अर्हता वाले अध्यापकों/कर्मचारियों के समान वेतनमान, मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जायगा।

(6) विद्यालय की प्रबन्ध समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो ।

(7) विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लिया जाय ।

(8) विद्यालय का संदान रु0 2500 की मूल्य की धनराशि का हो ।

(9) संस्था द्वारा रु0 1000/- की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जाय और उसे निरीक्षण अधिकारी के नाम से प्रतिश्रुत कर दिया जाय ।

(10) प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक वर्ग के लिये 25'×20' के आकार का एक पक्का कमरा हो । पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखण्ड और इलाहाबाद, इटावा, आगरा तथा मथुरा के जनपदों के ग्रामीण अंचल के ट्रांस यमुना क्षेत्र में 20'×20' आकार के कमरे मान्य हैं । सामान्य विज्ञान और कृषि के लिये 30'×20' के आकार का एक पक्का कमरा हो ।

(11) वैकल्पिक विषयों, प्रधानाध्यापक, भण्डार-गृह तथा कार्यालय के लिये स्थान की पृथक व्यवस्था होनी चाहिये।

(12) खेल कूद के लिये मैदानों में क्रीड़ा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में 2 एकड़ तथा नगर क्षेत्र में 1 एकड़ होना चाहिये । पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में 3/4 एकड़ और नगर क्षेत्र में 1/2 एकड़ क्रीड़ा क्षेत्र होना चाहिये । बालिका विद्यालयों के लिये तथा नगर क्षेत्र के बालकों के विद्यालयों के लिये क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है परन्तु खेल कूद के लिये कुछ स्थान होना जरूरी है ।

(13) पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और योग्य अध्यापक हों । स्थायी अध्यापकों पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू हो ।

(14) साज-सज्जा निम्नवत् हो :–

(1) बैठने के लिये कुर्सियां और डेस्क

(2) रु0 500/- मूल्य की उपयोगी और स्वीकृत पुस्तकें

(3) रु0 500/- की विज्ञान सामग्री ।

(15) कृषि शिक्षण के लिये 3 एकड़ का फार्म मैदानों में और 1 1/2 एकड़ का फार्म पर्वतीय क्षेत्र में होना चाहिये । कृषि के लिये उपयोगी उपकरण, भूमि की जुताई का समुचित प्रबन्ध हो । कृषि तथा उससे सम्बद्ध विषय की रु0 100/- मूल्य की किताबें हों । शिल्प को पढ़ाने के लिये कारखाने के स्थान, सज्जा, कच्चे माल के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता हो ।

(16) शिक्षा का माध्यम सामान्यत: हिन्दी होगी ।

———

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 123 पर।)

मुख्य शिकायतों की सूची

1. लोक सेवा आयोग द्वारा चुने शिक्षक/शिक्षिकाओं का 20 वर्ष कार्यरत होने के बाद भी स्थायीकरण न होना। वरिष्ठता सूची का न बनना/पदोन्नति के अवसर नियमित रूप से प्राप्त न होना तथा अस्थाई पदों को स्थाई न किया जाना।

2. 1970 में 30 वर्ष तक के पुराने प्रवक्ताओं को सेवा से निकाल दिया जाना।

3. राजकीय शिक्षक/शिक्षिकाओं के सेवा रिकार्ड अपूर्ण होने के कारण दक्षता रोक, स्थाईकरण, पदोन्नति, अवकाश, पेन्शन तथा भविष्य निर्वाह निधि अनिर्णीत रहना।

4. वेतन, अवकाश वेतन, वेतन वृद्धि, दक्षता रोक, यात्रा भत्ता तथा अवकाश ग्रहण करने के बाद भविष्य निधि तथा पेन्शन के रूप में अवशेष देयों का दीर्घकाल तक भुगतान न करने के सम्बन्ध में।

5. इन समस्याओं का समाधान ढूंढने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित करके तरह तरह से त्रस्त किया जाता है और अवकाश ग्रहण करने के बाद मृत्यु के बाद भी इन समस्याओं का समाधान नहीं होता।

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 126 पर)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा–बस्ती

संलग्नक 'क'

विधायक का नाम	विकास खंड का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई कि0मी0	अनुमानित लागत (लाख में)	अतिरिक्त लागत	संशोधित लागत	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ	डुमरियागंज	1–धनख पुर–मानपुर रानी (पुलिया)	1–000	40,000	..	..	पूर्ण	0–40	
		1–महुवारे बरडिहवा मार्ग ग्राम के निकट बने पुलिया पर स्लेप लगवाना।	..	6,000	..	..	पूर्ण	0–60	
		3–बस्ती-डुमरियागंज मार्ग पर हल्लौर से सड़क के हाई स्कूल वाले कस्बे के अन्दर तक मिट्टी का कार्य।	1–000	20,00,000	1.000	..	..	..	
		4–अगौन-अग्गामार सड़क पर अभी नदी के कटाव को बचाने के लिए अमीना के निकट बड़ी (पुलिया)		15,000	0.45	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मनवापुर	1–मनवापुर–मरबटिया (खड़ंजा नई पुलिया)	2–750	1,80,000	..	..	..	1–75 कि0 मी0 खड़ंजा तथा 3 पुलिया पूर्ण।	1–34
	2–डुमरियागंज-बढ़नी मार्ग को ग्राम चौखाड़ा से महतिनियां के आगे मनवापुर–मरबटिया मार्ग को मिलाना।	2–500	50,000	..	..	..	..	
	3–शाहपुर–सिगारजोत रोड पर पड़रीघनखरी ग्राम के बीच एक बड़े पुल का निर्माण।	..	20,000	1–30	..	..	..	
	योग	..	3,11,000	2–75 लाख	6–06 लाख	..	1–80 लाख	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 131 पर।)

शिकायती पत्र में दिये गये आरोपों का विवरण

1—मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व बैलेट को नहीं दिखाया गया और न ही एजेण्टों एवं प्रत्याशियों के समक्ष सील किया गया।

2—मतदान स्थल पंचायत राज एक्ट में दिये गये निर्देशिका के अनुसार नहीं बनाया गया ।

3—मतदान सम्बन्धी कार्यवाही एजेन्टों तथा प्रत्याशियों के समक्ष होना चाहिये परन्तु मतदान अध्यक्ष ने ऐसा नहीं करने दिया।

4—मतदाताओं को अमिट स्याही नहीं लगायी गयी जिससे कई व्यक्ति गलत मतदान भी किये हैं जिसका सत्यापन निर्वाचन नियमावली से किया जा सकता है।

5—बैलेट पेपर एकाउन्ट तथा गणना के फल की रिपोर्ट एजेन्टों तथा प्रत्याशियों को नहीं दिया गया ।

6—सदस्यों के चुनावों में भी बहुत बड़ी धांधली हुई है ग्राम सभा परसिया डीह वार्ड से दो सदस्य चुने जाने थे परन्तु 4 प्रत्याशी खड़े थे इन सभी प्रत्याशियों को 408 मत प्राप्त हुए हैं जबकि इस ग्राम से केवल 149 मतदाताओं ने ही वोट दिया है । इस प्रकार 298 से अधिक जो मत मिले, वे अवैध हैं।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 132 पर।)

श्री सन्त बक्स रावत द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर में इंगित शिकायतों की सूची

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने अपने उक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर शिकायतें की हैं :-

1–पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने में अनियमितता ।

2–परिषदीय एवं कृषि अध्यापकों का स्थानान्तरण ।

3–फैजाबाद तथा अयोध्या नगरपालिका में बेसिक शिक्षा परिषद् के द्वारा संचालित पौष्टाहार योजना में अनियमितता ।

4–श्री कौशल कुमार, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला बसखारी के निलम्बन में अनियमितता ।

5–जूनियर हाई स्कूल रामनगर में आवश्यकता से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता।

6–विज्ञान, उर्दू एवं संस्कृत के अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता।

7–एक ही विद्यालय में एक से अधिक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में अनियमितता ।

8–विद्यालयों में विज्ञान, संस्कृत तथा उर्दू के अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता।

9–वरीयता का ध्यान न रखते हुए अध्यापकों की पदोन्नति एवं नियुक्ति में अनियमितता ।

10–जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1981 के परीक्षा शुल्क की वापसी में अनियमितता।

11–श्री राम यतन तिवारी, प्रधानाध्यापक, कन्या प्राइमरी पाठशाला, अशरफपुर बरवा का प्रत्यावर्तन।

12–श्री महमूदुल हसन, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, नूरपुर कला को पदोन्नति में अनियमितता।

13–श्री राम बहादुर, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, गंगापुर ग्राण्ट की पदोन्नति में अनियमितता।

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 134 पर)

क्रम-सं0	बिल नम्बर	बैंक से डेबिट नोट प्राप्त होने की तिथि
1	7487	6-2-78
2	7479	14-2-78
3	7486	7-2-78
4	8798	15-2-78
5	7491	14-2-78
6	6583	31-1-78
7	6581	31-1-78
8	6582	1-2-78
9	6584	2-2-78
10	6585	6-2-78
11	8015	24-1-78
12	8014	24-1-78
13	9666	13-2-78
14	9940	9-3-78
15	7480	9-2-78
16	2945	15-2-78
17	2945	15-2-78
18	7496	10-1-78
19	एफ0 सी0 आई0 जे0ई0 452	शाखा प्रबन्धक की सूचना दिनांक 25-1-79

नत्थो 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 135 पर)

परिशिष्ट

लखनऊ मण्डल में वर्ष 1979–80, 1980–81 और 1981–82 में स्वीकृत प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण कार्यों को वर्षवार तथा जनपदवार वर्तमान स्थिति निम्नवत् है––

जनपद का नाम	स्वीकृति का वर्ष	प्राइमरी स्कूल	जू0हाई स्कूल	योग	भवनों की प्रगति: पूर्ण	निर्माणा-धीन	अप्रारम्भ	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1––हरदोई	79–80	11	7	18	6	9	23	2 भवनों के लिए भूमि अप्राप्त। 21भवनों का निर्माण लागत मूल्य बढ़ने फलस्वरूप धनाभाव के कारण सम्प्रति स्थगित है।
	80–81	5	5	10				
	81–82	7	3	10				
	योग	23	15	38				
2––सीतापुर	79–80	15	5	20	2	12	31	29 तदैव 2 भवनों के लिए भूमि अप्राप्त है।
	80–81	5	4	9				
	81–82	13	3	16				
	योग	33	12	45				

5—लखनऊ	79–80	2	1	3	1	17	..		
	80–81	2	1	3					
	81–82	6	6	12					
	योग	10	8	18					
4—उन्नाव	79–80	5	2	7	8	21	21	भवनों का निर्माण लागत मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप धनाभाव के कारण सम्प्रति स्थगित है।	
	80–81	3	3	6					
	81–82	10	6	16					
	योग	18	11	29					
5—खीरी	79–80	12	7	19	..	15	26	19 भवनों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है।	
	80–81	5	6	11					
	81–82	6	5	11				7 भवनों के लिए वन भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।	
	योग	23	18	41					
6—रायबरेली	79–80	12	3	15	9	24	4	1 भवन के स्थान पर सम्प्रति फसल खड़ी है।	
	80–81	4	2	6				1 भवन स्थल विवाद ग्रस्त है।	
	81–82	12	4	16				2 नगर क्षेत्र के लिए भूमि अनुपलब्ध है।	
	योग	28	9	37					
	कुल योग	135	73	208	18	85	105	105	

उपरोक्त सभी 208 विद्यालय चालू हो गये हैं। इनके लिए स्वीकृत 208 भवनों में से सम्प्रति 18 विद्यालय भवन पूर्ण हो गये हैं। 85 भवन निर्माणाधीन हैं तथा 19 भवन शीघ्र प्रारम्भ होने वाले हैं। शेष 86 भवनों में से 13 भवनों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है (6 नगर क्षेत्र में तथा 7 वन क्षेत्र में) 2 स्थलों पर विवाद है एवं 71 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य भवनों के लागत मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण वर्तमान समय में सम्बन्धित निर्माण एजेंसियों द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। भूमि उपलब्ध कराने तथा विवादग्रस्त स्थलों के विवाद समाप्त कराने हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। भवनों के लागत मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप शासन स्तर पर अतिरिक्त धन की व्यवस्था सम्बन्धित निर्माण एजेंसियों को सुलभ कराने की कार्यवाही की जा रही है।

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 136 पर।)

संलग्नक

पडरौना विकास खण्ड के–डुमरी रजवाहा, सौंदिया माइनर, चितहा रजवाहा, पिपरा माइनर, नौतन माइनर चीफ शाखा, कल्यान रजवाहा, हरदी रजवाहा, खसरारी शाखा, बदरौना माइनर, जमुनिया रजवाहा, सांडी माइनर, सपहा रजवाहा, कठकुइयां माइनर, रसूलपुर माइनर, वलवीरपुर माइनर, वड़हरा माइनर, हरपुर रजवाहा, सुखवलिया माइनर, नगरी माइनर, सरइयां माइनर, सिकटा माइनर, वरहज माइनर, सेखवनियां माइनर, नाहर छपरा माइनर, कुरमौल माइनर, गायघाट रजवाहा ।

विशुनपुरा विकास खण्ड के–चितहा रजवाहा, गायघाट रजवाहा, कुदौना रजवाहा, डुमरी माइनर, मठिया शाखा, वकुलहा माइनर, सोनबल माइनर, वतिस्या माइनर, वड़हरा रजवाहा एवं हरपुर रजवाहा ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 143पर)

एफ0 सी0 आई0 द्वारा बैंकों के माध्यम से प्राप्त किए डुप्लीकेट बिलों का विवरण

बिल नं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान की तिथि	बैंक का नाम
7487	3–1–78	1,88,198.00	4–2–78	इलाहाबाद बैंक
7479	3–1–78	85,540.00	13–2–78	,,
7486	3–1–78	51,324.00	5–2–78	,,
8798	18–1–78	68,432.00	14–2–78	,,
7491	3–1–78	17,108.00	13–2–78	,,
6563	15–1–78	43,056.00	30–1–78	,,
6581	15–1–78	64,584.00	30–1–78	,,
6582	16–1–78	43,056.00	31–1–78	,,
6584	6–1–78	21,528.00	1–2–78	,,
6585	16–1–78	53,820.00	3–2–78	,,
8015	16–1–78	1,87,293.60	23–1–78	,,
8014	18–1–78	8,83,724.40	23–1–78	,,
9666	20–1–78	14,924.00	11–2–78	,,
9940	30–1–78	17,108.00	3–3–78	एस0 बी0 आई0
7480	3–2–78	85,540.00	3–2–78	,,
2945	3–1–78	2,95,373.83	14–2–79	पी0 एन0बी0
2945	31–1–79	33,171.71	14–2–79	,,
7494	31–1–79	1,66,088.52	9–1–78	इलाहाबाद बैंक
एफ0सी0आई0जे0ई0	6–1–78	1,41451.75	7–8–79	मूल्य अन्तर को
,,	452	64,584.00	7–8–79	,,

अनुबन्ध 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 144 पर।)

आदेश

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री काशी नाथ पाठक को यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 (रजिस्टर्ड आफिस 22, विधान सभा मार्ग, लखनऊ) के कम्पनी सेक्रेटरी के पद पर 1400/- (एक हजार चार सौ रुपया) प्रतिमाह प्रारम्भिक वेतन पर रु0 1400-50-1500 द0रो0 60-1800 के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों के साथ अस्थायी रूप से एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्त किया जाता है।

1—श्री पाठक को योगदान देने से पूर्व अनुबन्ध इस आशय का करना होगा वह इस निगम में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य करेंगे और यदि उससे पूर्व निगम की सेवा छोड़ना चाहेंगे तो उन्हें इस निगम को 10,000/— (दस हजार रुपया) क्षति पूर्ति के रूप में देना होगा चाहे उनके जाने से निगम को कोई हानि हुई हो अथवा नहीं परन्तु

2—निगम को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी समय श्री पाठक को परिवीक्षा काल में एक माह की नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर और परिवीक्षा काल के पश्चात् तीन मास का नोटिस या उसके बदले तीन मास का वेतन देकर सेवा से पृथक कर सकते हैं ।

3—तीन वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने के पश्चात यदि श्री पाठक सेवामुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें तीन माह की नोटिस या तीन माह का वेतन के बराबर धनराशि कारपोरेशन को देना होगा किन्तु कारपोरेशन को यह अधिकार होगा कि वह उससे कम अवधि का भी नोटिस स्वीकार कर सकता है ।

4—दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र तथा अपने स्थायी निवास स्थान के जनपद के जिलाधिकारी से पूर्व वृतान्त का प्रमाणित विवरण भी प्रस्तुत करना होगा ।

5—श्री पाठक को उक्त पद पर योगदान करने से पूर्व चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6—प्रथम नियुक्ति पर योगदान करने हेतु श्री पाठक को कोई यात्रा भत्ता देय न होगा ।

7—श्री पाठक को इस निगम में अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

पी0एस0यू0पी0—एल0 357 विधान सभा (785)—1983—813।